खण्ड-215, अंक-2
मंगलवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1882
(9 अगस्त, 1960 ई0)

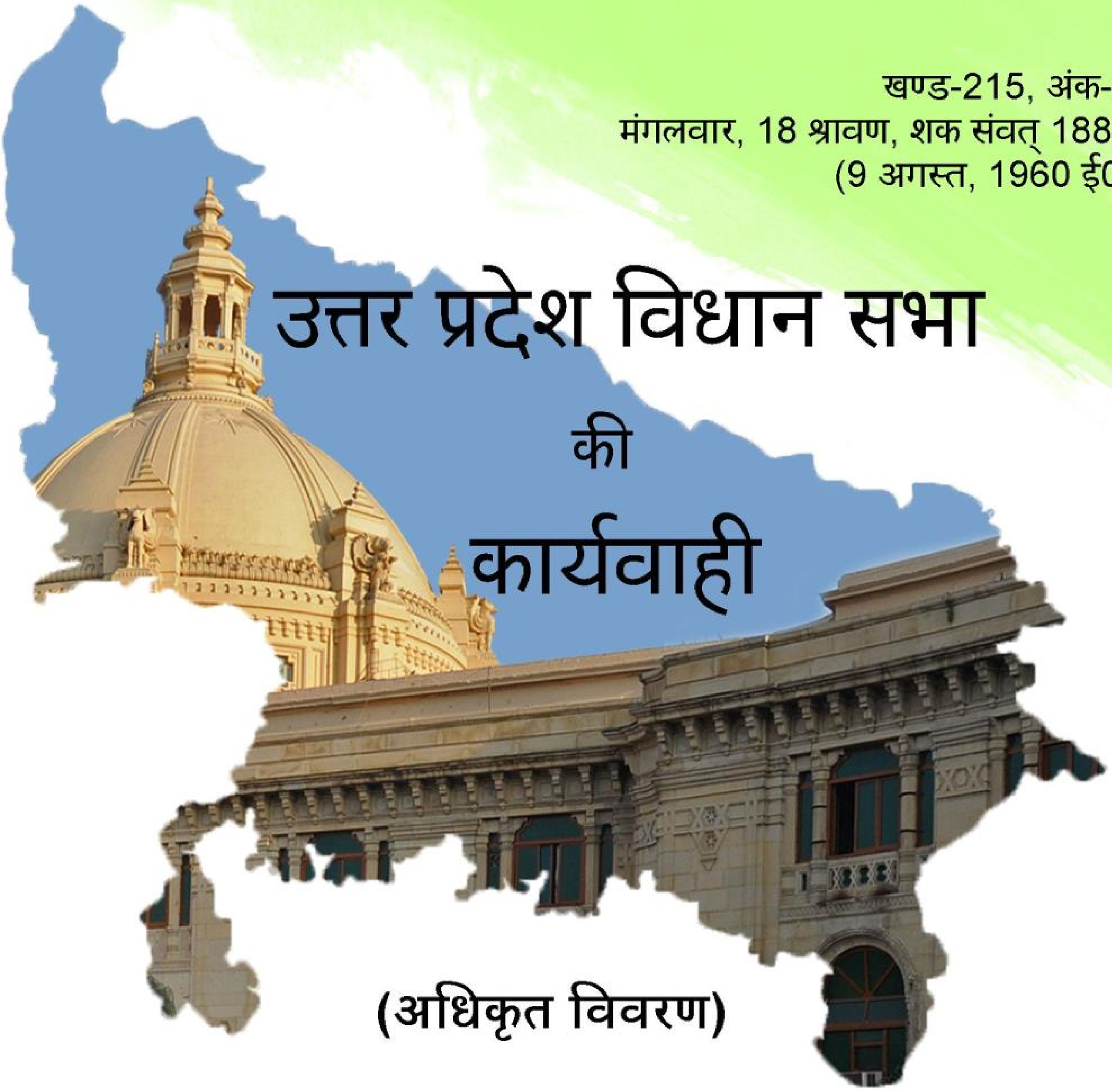

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ अगस्त १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंहचौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु फरुग, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर आचार्य, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नन्देवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह त्रिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेतीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विजयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी ११ नहीं बजे हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। जब मैं आ गया तो ११ बज गये।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

काठगोदाम पुल टूटने के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काठगोदाम पुल के टूटने पर जो जांच समिति बनी उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स क्या हैं और वह समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? क्या मंत्री उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

सार्वजनिक निर्माण-मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—काठगोदाम पुल के टूटने पर जो जांच समिति बनी उसके सदस्यों का नाम और Terms of reference संलग्न सूची में दी है। जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६२ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बनायी गयी थी और इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिये कितना समय दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक रिपोर्ट देने का संबंध है, कमेटी बनने के बाद तीन हफ्ते के अन्दर उसे अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिये थी और उसके तुरन्त बाद ही यह बनायी गयी थी। तारीख की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच समिति की कितनी बैठकें हुईं और कब-कब ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---मैं बीच में एक बात सूचना के तौर पर बतला दूं। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। जिस वक्त इस का उत्तर तैयार करके आपकी सेवा में भेजा गया उसके बाद ही वह रिपोर्ट आ गयी। काफी लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट है और माननीय सदस्य को अगर वह देखना है तो मेरे दफ्तर में आ कर देख लें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कितनी बैठकें हुईं, यह मैंने पूछा था।

श्री धर्मसिंह---इस वक्त आंकड़े नहीं हैं। जब रिपोर्ट एग्जामिन की जायगी तो यह सब देखा जायगा। वह रिपोर्ट तो ८ ही तारीख को कार्यालय में प्राप्त हुई।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी बताया कि रिपोर्ट उनको प्राप्त हो गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से पुल टूटा और पुल जिस समय टूटा उससे पहले के बारे में कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी कि कब उसकी मरम्मत हुई और जांच हुई ?

श्री धर्मसिंह---मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट कार्यालय में ८ तारीख को प्राप्त हुई है। वह अभी एग्जामिन नहीं हुई है। पहले वह पूरे तरीके से एग्जामिन हो जाय तब बताया जा सकता है कि क्या कारण थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट में मुख्य-मुख्य बातें सिफारिश के तौर पर क्या कही गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने जबाब दे दिया कि अभी रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एग्जामिन नहीं किया, लेकिन देखा है।

श्री अध्यक्ष---(सार्वजनिक निर्माण मंत्री से) अभी आपने सिफारिशें भी नहीं पढ़ी हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास आयी है क्या उसको वे छपवा कर सदन के सदस्यों के पास भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं यह काफी महंगी पड़ेगी इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि काफी महंगी पड़ेगी तो वह रुपये के हिसाब से पड़ेगी या उसमें जो सरकार की आलोचना होगी उसके हिसाब से पड़ेगी ?

श्री गिरधारीलाल—आलोचना तो उसमें बिलकुल नहीं है। जो बिल्कुल बेबुनियाद आलोचना चल रही थी उसकी सफ़ाई में समझता हूं उसमें ज्यादा हुई है, लेकिन काफी लम्बी रिपोर्ट है, उसको छपवा कर बंटवाने में काफी खर्चा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब माननीय मंत्री जी ने अभी रिपोर्ट देखी नहीं है तो यह कहने का क्या आधार है कि काफी महंगी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष—उसका वाल्यूम तो दिखायी देता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर जो एग्जामिन हो रही है यह बता सकती है कि उसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली गयी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया कि अभी उसे देखना बाकी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी बनी उसमें नान आफीशियल्स न रखने का क्या कारण है और जांच सिंचाई विभाग के खिलाफ थी फिर भी उसकी जांच उसी विभाग के चीफ इंजीनियर से कराई गई ?

श्री धर्मसिंह—चीफ इंजीनियर इस कमेटी के एक सदस्य हैं और टैक्नीकल आदमी हैं, इस कमेटी को टैक्नीकल आदमी की आवश्यकता थी, इसलिये इनको रखा गया है।

दिल्ली प्रशासन के मास्टर प्लान में गाजियाबाद

****२—श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) तथा **श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली प्रशासन ने कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ नगरों को मिलाने की योजना है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं। मास्टर प्लान में सिर्फ यह दिखलाया गया है कि दिल्ली के विकास के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के नगरों का भी कैसा विकास हो सकता है।

****३—श्री ऊदल तथा श्री रामचन्द्र विकल**—क्या उत्तर प्रदेश सरकार से उपरोक्त नगरों को लेने के लिये दिल्ली प्रशासन ने कोई मांग की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की कोई सीमा दिल्ली में नहीं मिलाई जावेगी और न ऐसा कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार कभी विचार भी करने को तैयार होगी।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि मास्टर प्लान में यह बताया गया है कि दिल्ली के विकास के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के नगरों का भी विकास कैसे हो सकता है ? इसके लिये दिल्ली के प्रशासन को क्यों आवश्यकता पड़ी कि वह देखे कि उत्तर प्रदेश के इन नगरों का विकास किस तरह से हो सकता है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, यह विचार है कि दिल्ली बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में जगह विकास के लिये बहुत कम रह गई है, तो अनिवार्य नतीजा यह निकलेगा कि आस-पास की जगह पर मकान और इंडस्ट्रीज बनेंगे। इसलिये यह विकास बेतरतीब न हो इसी के लिये यह प्लान बनाया गया है। इसमें किसी के अधिकार लेने या जमीन लेने का सवाल नहीं है। सिर्फ व्यवस्थित तरीके से विकास हो नई बस्तियों का यही इसका उद्देश्य है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब मास्टर प्लान तैयार हो रहा था तो क्या दिल्ली, प्रशासन ने राज्य सरकार से सलाह मशविरा किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उन्होंने हमें अपनी राय दी और हमारी सरकार ने उस पर विचार किया और उन लोगों को भी इनवाइट किया और हमारे जो प्लानर्स हैं उनको भी बुलाया गया और इसमें इंडस्ट्रीज के जो भाई हैं वह भी आये थे और सब ने मिलकर विचार किया। इस तरह से एक व्यवस्थित प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें उनका भी सलाह-मशिवरा लिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नगरों की कोई सूची दी है, जिन-जिन का विकास होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से नगर हैं उत्तर प्रदेश के जिनको वह शामिल करना चाहते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तक तो वह किसी और को शामिल नहीं करना चाहते हैं। गाजियाबाद में, वह समझते हैं, बहुत जल्दी विकास हो जायगा, इसलिये गाजियाबाद के लिए उन्होंने खास तौर से प्रस्ताव किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन ने जो उत्तर प्रदेश के नगरों का विकास करने की योजना बनायी है वह संक्षेप में क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संक्षेप में यह है कि वह चाहते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट छोड़ दिया जाय ताकि दिल्ली को पवित्र हवा मिलती रहे। दिल्ली के चारों तरफ हरियाली रहे, मकानात न बनाये जायं, दरख्त रहें, बाग रहें, खेत रहें, इस तरह का क्षेत्र छोड़ दिया जाय। उसके बाद फिर विस्तार और विकास हो। विकास होने में यह किया जाय कि जहां पर फैक्टरीज लगायी जायं वह एक क्षेत्र अलग बनाया जाय, रहने के लिये मकानात अलग बनाये जायं, दूकानें अलग हों, बड़ी-बड़ी सड़कें छोड़ दी जायं, नालियों के लिये काफी स्थान रहे। यह सब इसके अन्दर है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—दिल्ली के प्रशासन ने जो दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया है उस में दिल्ली के बनाने के बारे में यहां की प्रदेशीय सरकार की सलाह ली या केवल इस प्रदेश के उन नगरों के बारे में सलाह ली जिनको वह विकास में लेना चाहते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसमें हमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि हमारे टाउन प्लानर से सलाह-मशविरा किया तो मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के नगरों के लिये मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया है, उनका विकास उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी पर होगा या दिल्ली का प्रशासन उसका विकास करेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमारे उत्तर प्रदेश के शासन के अधिकार में होगा।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि यह मास्टर प्लान जो दिल्ली के प्रशासन का है उसके सिलसिले में प्रदेश की सरकार ने बैठ कर विचार किया तो उत्तर प्रदेश के शहरों तक वह मास्टर प्लान लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई शर्त केन्द्रीय सरकार के यहां है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पहले तो यह कहना गलत है कि उन्होंने जो प्लान बनाया उसको हमने स्वीकार किया। वास्तव में उन्होंने जो प्लान दिया उसकी बेसिस पर खुद हमने विचार किया और जो कुछ हम लोगों ने ठीक समझा उसको स्वीकार किया। उनकी सिर्फ सलाह थी। उनकी तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जितना हमने उचित समझा वह हमने माना जो कुछ उचित नहीं समझा नहीं माना। इसके अलावा वह सारा काम हम अपनी तरफ से करेंगे दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मन्त्री जी ने बताया कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत गाजियाबाद को लिया गया है। तो क्या गाजियाबाद से उनका आशय प्रापर नगर से है या गाजियाबाद तहसील से है? यदि गाजियाबाद तहसील से है तो क्या लोनी का क्षेत्र भी उस मास्टर प्लान के अन्दर लिया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी, शायद लोनी भी उसके अन्दर आ जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट बतलायेंगे कि जो उन्होंने कहा है कि यू० पी० की सरकार ने इतना स्वीकार किया है और इतना स्वीकार नहीं किया है, तो क्या स्वीकार किया और क्या स्वीकार नहीं किया, उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतला देंगे?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है। किसी शहर के बारे में तो आप पूछ नहीं रहे हैं .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ के नाम हैं प्रश्न में, उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या चीज स्वीकार की है और क्या स्वीकार नहीं की है?

श्री अध्यक्ष—यह मास्टर प्लान कोई छोटी चीज तो है नहीं। आप जानना चाहते हैं कि कितना पसन्द किया, कितना पसन्द नहीं किया तो यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सिद्धान्त की बात बतला दें या कोई ऐसी विशेष बातें हों तो वह बतला दें क्योंकि सब से महत्वपूर्ण तो प्रश्न यही है कि हमारी सरकार ने क्या स्वीकार किया?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्लान को हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अपने खर्चे से पूरा कराने की जिम्मेदारी स्वयं ली है, उस पर कितना रुपया खर्च होगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन, रुपया तो शायद बहुत ज्यादा खर्च होगा, लेकिन अभी तो हमने श्रीगणेश किया है और उसके लिये बहुत थोड़ा से रुपया रखा है ५–६ लाख रुपये के करीब।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दिल्ली की सरकार ने प्लान हमारी सरकार के सामने रखा और जैसा मन्त्री जी ने कहा कि हमने तमाम विभागों को उसके ऊपर बैठाया और उस पर हम विचार कर रहे हैं तो जो फाइनल मास्टर प्लान हमारी सरकार बनाने जा रही है वह कब तक हमारे सामने आ जायगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन, जो गाजियाबाद से ताल्लुक रखता है वह तो फौरन ही आ जायगा।

तारांकित प्रश्न

रतोई ताल पम्प नहर को पानी मिलने में विलम्ब

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ताल रतोई पम्प नहर, जिला आजमगढ़ को तोड़ कर के दोहरीघाट पम्प नहर द्वारा उस क्षेत्र की सिंचाई की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह—रतोई ताल पम्प नहर को, रतोई ताल से पानी न देकर दोहरी घाट पम्प नहर से निकाली गई माइनर से पानी देने का प्रस्ताव मार्च, १९५८ से विचाराधीन है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ताल रतोई, खुरहट, पकड़ी ताल तथा सलोना ताल पम्प नहरों को चलाने के लिये मऊ पावर हाउस से बिजली क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—खुरहट, पकड़ीताल तथा सलोना ताल नहरों को आजकल मऊ पावर हाउस से ही चलाया जा रहा है।

केवल रतोई ताल पम्प नहर को तेल के इन्जन से चलाया जा रहा है। इसको जब तक दोहरीघाट पम्प नहर से पानी नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही चलाना पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ से अब तक इसका निर्माण नहीं किया जा सका, इसके कारण क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसके दो-तीन कारण हैं। एक तो जमीन मिलने में दिक्कत थी। लैण्ड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही की जा रही है और इसका जो सर्वे वगैरह था उसमें थोड़ी देर लगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया जब लैण्ड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही समाप्त हो जायगी, इसपर कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिस नहर को बनाने के लिये प्रश्न विचाराधीन है उस स्थान पर नहर बनी हुई है, तो उसमें इतनी देर करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उस पर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक ताल के द्वारा पानी दिया जाता है। अब यह है कि जो वहां पर कैनाल है उसके द्वारा पानी दिया जायगा। तो उसके लिये कुछ लैण्ड की जरूरत पड़ेगी जिसके ऐक्वीजीशन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दोहरी-घाट पम्प कैनाल में पूरी मशीन लगाई नहीं गई है इसलिये रतोई पम्प नहर में पानी नहीं दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—यह तो सही नहीं है, लेकिन यह बात ठीक है कि पूरी मशीन लगाई नहीं गई है। कुछ फारेन एक्सचेंज की दिक्कत रही। उसके लिये जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह नहर कब तक बनकर पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—यह आशा की जाती है कि १९६१-६२ तक यह काम पूरा हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जमीन ऐक्वायर करने के मामले में लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा १६ की कार्यवाही पूरी हो गई है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—अब इसके लिये तो देखना पड़ेगा कि क्या-क्या कार्यवाही हो गई है।

सुराजपुर माइनर नहर को बढ़ाने की योजना

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर, जिला आजमगढ़ की उप-शाखा सिकरी कोल का निर्माण क्यों रुका हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—सिकरी कोल नाम की कोई उपशाखा नहीं है। सुराजपुर माइनर, जो दोहरीघाट पम्प नहर से निकलेगी, के बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे सिकरी कोल के क्षेत्र की आबपाशी की जायगी। इस माइनर के एक्सटेन्शन के लिये भूमि अधिकृत करने के कागजात तैयार किये जा रहे हैं तथा भूमि अधिकृत करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण-मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस माइनर के बनने का काम कब से शुरू हुआ था और कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया कागजात इत्यादि तैयार किये जा रहे हैं। तो जिन कागजात की आवश्यकता है वह तैयार हो रहे हैं और उन कागजात के अप्रैल, १९६१ के अन्तिम सप्ताह तक तैयार हो जाने की आशा है। इसके बाद २, ३ महीने और लग सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार के पास ऐसी योजना है जिसके मुताबिक जब तक यह दोहरीघाट पम्प नहर बनकर तैयार हो तब तक उससे सभी सम्बन्धित शाखायें जो प्रस्तावित, हैं, बनकर तैयार हो जायेंगी ?

श्री धर्मसिंह—जैसे-जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसपर कार्यवाही की जाती है और बनाई भी जाती है।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने यह पूछा था कि जो प्रस्तावित शाखायें हैं जिनको खुद डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है, वे प्रस्तावित शाखायें दोहरीघाट पम्प नहर की १९६१-६२ में बन कर तैयार हो जायेंगी, ऐसी कोई सरकार की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—किन-किन शाखाओं से माननीय सदस्य का अभिप्राय है उसकी सूची बतलायी जाय तो बताया जा सकता है कि कितना रुपया लगेगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर के मामले में कितनी जमीन की आवश्यकता होगी और जमीन को लेते समय इस बात पर ध्यान रखा जायगा कि जब तक उनको कम्पेन्सेशन न दे दिया जाय तब तक जमीन का पजेशन न लिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये कितनी जमीन की आवश्यकता होगी इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जब लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होगी तो उसके अनुसार पूरे तरीके से सारी बातें की जायेंगी।

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में शारदा एक्सटेंशन कैनाल की शाखाओं की निर्माण योजना

*५—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू कंस्ट्रक्शन डिवीजन, जौनपुर द्वारा जो शारदा एक्सटेंशन कैनाल की चार शाखायें आजमगढ़ जिले में बन रही हैं उनकी अब तक की प्रगति क्या है ? प्रत्येक शाखा पर कितना-कितना व्यय हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर)

*६--श्री मुक्तिनाथराय--इन शाखाओं के निर्माण में कितना धन स्वीकृत हुआ है, कितना धन व्यय हो चुका है, कितना व्यय होना शेष है ?

श्री धर्मसिंह--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर)

*७--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन शाखाओं में सिंचाई के निमित्त पानी कब तक पहुंच जायगा ?

श्री धर्मसिंह--ठेकमा नहर के मील ३१६ फर्लांग तक जुलाई, १९६० में चल चुकी है । शेष भाग में मार्च, १९६१ के बाद पानी मिल सकेगा । अन्य तीनों शाखायें मार्च, १९६२ तक तैयार होंगी ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज रजबहे और फूलपुर रजबहे का निर्माण-कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू किया गया है और कब तक शुरू होगा ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक लालगंज रजबहे का सम्बन्ध है उसमें अभी तक जमीन इत्यादि नहीं मिल पायी है । जिलाधीश, आजमगढ़ को इसके जो कागजात हैं, वे भेज दिये गये हैं और आशा की जाती है कि जैसे ही नोटीफिकेशन इत्यादि हो जायगा उस पर कार्यवाही की जायगी । जहां तक फूलपुर रजबहे का सम्बन्ध है उसका भी नोटीफिकेशन इत्यादि हो रहा है और जमीन प्राप्त होने के बाद उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुये कि निर्माण कार्य में, एक्वीजीशन के जो रूल बने हुये हैं, उनसे दिक्कत होती है तो निर्माण-कार्य जल्दी से हो क्या सरकार एक्वीजीशन के नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--उसके जो इस वक्त रूल बने हुये हैं उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है । पहले यह अवश्य होता था कि पहले किसान इजाजत देता था तब उस पर कार्यवाही की जाती थी । फिलहाल सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसमें तब्दीली की जरूरत है ।

इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से उत्तीर्ण ओवरसियरों, ड्राफ्ट्समैनों को मान्यता देने की प्रार्थना

*८--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० (भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा स्थापित इन्डस्ट्रियल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट जैसा कि लखनऊ, कानपुर, तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर चल रहे हैं) से उत्तीर्ण ओवरसियरों, ड्राफ्ट्समैनों को सरकार द्वारा वही वेतन-क्रम दिया जाता है जो वेतन क्रम राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण ओवरसियरों, ड्राफ्ट्समैनों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री महावीरसिंह)--जी नहीं ।

ओवरसियर व ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्य नहीं है, इसलिये आई० टी० आई० के ओवरसियरों व ड्राफ्ट्समैनों को वह वेतन-क्रम जो सरकार द्वारा मान्य विद्यालयों के डिप्लोमा होल्डर्स के लिये निर्धारित है नहीं दिया जाता है ।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्रियल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित है उसके पास ओवरसियरों, ड्राफ्ट्समैनों को सरकारको मानने में क्या आपत्ति है ?

श्री महावीरसिंह—उनकी ट्रेनिंग और उनका कोर्स उतना नहीं है जितना कि उन संस्थाओं का जिनको कि हमने मान्यता दी है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० के ओवरसियरों और ड्राफ्ट्समैनों और अन्य संस्थाओं के ओवरसियरों और ड्राफ्ट्समैनों के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है ?

श्री महावीरसिंह—मान्यता हम नहीं देते, लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट में उनको रखा जाता है तो वह अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन की तरह से रहते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि भारत सरकार द्वारा संचालित आई० टी० आई० के कोर्स में और दूसरी संस्थाओं के कोर्स में कुछ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाय ताकि वहां के पास हुये आदमी यहां के काम में भी आ सकें ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न विचाराधीन है और आपस में बातचीत हो रही है और अगर इसमें सामंजस्य कायम हो गया तो दोनों ही मान्यता प्राप्त समझे जायंगे, नहीं तो मजबूरी है।

*९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[२३ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

राप्ती नदी पर बर्ड घाट पुल का निर्माण

*१०—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर शहर के समीप राप्ती नदी पर बर्ड घाट नामक स्थान पर जो पुल बनाया जा रहा है उसके कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—३० जून, १९६१ तक।

नदियों के कटाव को रोकने की योजनायें

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में घाघरा, राप्ती, गंगा, गन्डक आदि नदियों से होने वाले कटाव को रोकने के लिये कोई ठोस योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ बड़ी और छोटी नदियों से होने वाले कटाव को रोकने की योजनायें चलाने का सरकार विचार कर रही है, परन्तु ऐसी योजनाओं की सूची तभी तैयार हो सकेगी जब कि केन्द्रीय सरकार से इस कार्य के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में मिलने वाली धनराशि की सूचना अन्तिम रूप से मिल जावेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विचाराधीन कोई योजना है जो केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त होने पर कार्यान्वित की जायगी ?

श्री धर्मसिंह—योजनायें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये बनायी जाती हैं और वे सब केन्द्रीय सरकार को बाद में भेजी जायेंगी। उनमें से कुछ भेज भी दी गई हैं। यह निर्णय बाद में हो सकेगा कि कितना धन उपलब्ध होगा और तभी निश्चयपूर्वक कहा जा सकेगा कि कौन-कौन सी योजना वास्तव में रखी गई हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विचाराधीन जो योजनायें हैं उनमें कौन-कौन नदियों पर काम होना है ?

श्री धर्मसिंह--घाघरा से होने वाले कटाव को रोकने के लिये एक योजना है १० लाख की, गन्डक के कटाव को रोकने के लिये एक २० लाख की योजना है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे बड़े कटावों को रोकने के लिये ३५ लाख रुपये की एक स्कीम है, दूसरी छोटी नदियों के कटाव को रोकने के लिये १० लाख रुपये की स्कीम है। इसके अलावा शहरों के बचाव के लिये २७९.४३ लाख रुपये का प्राविजन किया गया है और यह जनरल सेन्स में नदियों के कटाव का जो कार्य है उसमें किया जा सकेगा। मैंने जैसा कहा कि यह टेंटेटिव है और इन पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार के विचाराधीन गंगा के कटाव को रोकने के लिये भी कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

श्री धर्मसिंह--जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मेरे पास गंगा के विषय में कुछ नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--इन लाखों रुपये की जो योजना सरकार के विचाराधीन है उसमें क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी क्षमता प्रान्तीय सरकार की है और कितनी धनराशि की मांग उसने केन्द्रीय सरकार से की है?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने निवेदन किया, यह योजनायें तो फिलहाल प्रान्तीय सरकार द्वारा बनायी जा रही हैं। अब कितना पैसा भारत सरकार देगी उसके आधार पर निर्णय किया जायगा कि कौन सी योजना ली जाय। फिलहाल ऐसा कोई प्रश्न उठता नहीं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या राप्ती के कटाव से गोरखपुर शहर की रक्षा के लिये भी कोई विशेष योजना विचाराधीन है?

श्री धर्मसिंह--जो मैंने पढ़ा उनके बारे में योजना है। गोरखपुर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

गरौठा कस्बे में नदी के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१२--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि गरौठा (झांसी) कस्बे की नदी में दूसरे पार किनारे के खेतों की जमीन नदी के बहाव से निरन्तर कटती व बेकार होती जा रही है? यदि हां, तो वह उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री धर्मसिंह--झांसी जिले में गरौठा कस्बे के नालों और नदियों के किनारे ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक खड़े ढाल के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में कोई खेती नहीं की जा रही है।

ऐसे भूमि कटाव को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो उत्तर दिया वह क्या विभाग की रिपोर्ट पर आधारित है? यदि हां, तो क्या वे इसकी जांच जिला मैजिस्ट्रेट से भी कराने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह--जो रिपोर्ट मंगाई जाती है वह विभाग द्वारा ही मंगाई जाती है। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जिलाधीश से भी रिपोर्ट मांग ली जाय तो मंगा ली जायगी।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--श्रीमन्, बुन्देलखंड में आमतौर से भूमि का काटव हो रहा है जिससे करोड़ों एकड़ भूमि कटाव में चली जाती है। तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे कि बुन्देलखंड की जमीन के कटाव को रोका जा सके?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न बुन्देलखंड से संबंधित नहीं है।

राजघाट व ऊदी घाट का ठेका

*१३—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजघाट जमुना व ऊदी घाट चम्बल, जिला इटावा को जिला इंजीनियर इटावा ने सन् १९५९ में स्वयं चलाया तो उस समय यात्रियों, पशुओं आदि के आने-जाने का किराया एक दिन में दोनों तरफ का लिया जाता था या एक तरफ का ?

श्री महावीरसिंह—केवल एक तरफ का लिया गया ।

*१४—श्री गजेन्द्रसिंह—यदि एक बार का किराया लिया जाता था तो इससे सरकार की आमदनी को कितनी हानि हुई और उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री महावीरसिंह—किराया नियमानुसार लिया गया । अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि सन् १९५९ में यह घाटों का ठेका क्यों नहीं उठाया गया जब कि हर साल उनको ठेके पर उठाया जाता रहा है ?

श्री महावीरसिंह—ठेके पर उठाने का प्रयत्न हो रहा था किन्तु समय खत्म हो चुका था, इसलिये विभाग को इन्तजाम करना पड़ा था ।

श्री गजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ठेकेदार लोग दोनों तरफ का किराया ले रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह—अगर वे लेते हैं तो गलत लेते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री को पता है कि वहां पर दोनों तरफ का किराया लेने के खिलाफ कोई आन्दोलन भी अभी हाल में हुआ था ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, हुआ था, लेकिन अब हिदायत दे दी गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री गजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पर अब भी दोनों तरफ का किराया लिया जाता है ?

श्री महावीरसिंह—कुछ शिकायतें तो आई थीं कि किराया दोनों तरफ का लिया जा रहा है, लेकिन उसके लिये उनको हिदायतें भेज दी गई हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह—जैसा कि उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक तरफ का किराया लिया जाता है, किन्तु जब उनके पास यह शिकायत आई कि किराया दोनों तरफ का लिया जाता है, तो क्या उन्होंने इसकी जांच कराने की कृपा की ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, सूचना मिली थी कि दोनों तरफ का किराया लिया जाता है, उसके लिये हमने हिदायत दे दी । उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने हिदायतें दे दीं कि किराया दोनों तरफ का नहीं लेना चाहिये, तो क्या उसके बाद भी यह शिकायत आई कि किराया दोनों तरफ का लिया जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह—इसके बाद की कोई सूचना नहीं है ।

*१५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[२९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

महूपुर तथा नागनार हरैया के किसानों की भूमि पर जंगल विभाग का कब्जा

*१६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर परगना अहरौरा के ग्राम महूपुर और नागनार हरैया के किसानों की भूमि जिस पर वह करीब १२–१४ साल से वैधानिक रूप से काबिज थे जंगल विभाग द्वारा बेदखल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महूपुर और नागनार हरैया के किसानों के खिलाफ वन विभाग से जमीन संबंधी कोई मुकदमा ५ साल से चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी हालत यह है कि वन विभाग का उस जमीन पर जिसका एलान सन् १९५२ में हुआ था, जमींदारी एबालिशन के बाद उस पर हमारा कब्जा है, लेकिन कुछ थोड़ी-सी जमीन पर किसानों ने गलत तौर से कब्जा कर लिया जिसका मामला सेटिलमेंट आफिसर के सामने चल रहा है । उस पर उनका कोई अधिकार है या नहीं या वह वन विभाग की है इसके मुताल्लिक जब फैसला हो जायगा तब उस पर अमल किया जायगा ।

श्री भीखालाल—क्या यह सही है कि जिन किसानों ने जमींदारी एबालीशन के पहले जमींदारों से जमीन के पट्टे लिखा लिये थे उनके खिलाफ भी वन विभाग बेदखली की कार्यवाही कर रहा है और मुकदमा चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो सेटिलमेंट आफिसर तय करेंगे कि उनके पट्टे जायज हैं या नाजायज और उनका हक है या नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अभी उत्तर में कहा गया 'जी नहीं', मैं यह जानना चाहता हूं कि 'जी नहीं' से क्या यह मतलब है कि वह लोग उस पर काबिज ही नहीं थे या यह मतलब है कि जंगल विभाग द्वारा बेदखल नहीं किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका मतलब तो यही है कि बेदखल नहीं किये गये हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी के पास यह भी शिकायत आई है कि जो वहां पर काबिज थे उनकी जमीनें छुड़ाई गई हैं, जंगल वालों ने उनको परेशान किया है और उनको हटाने की कोशिश की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जो वाकयात थे वह मैंने जवाब में बतला दिये, इस तरह की शिकायत की मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री भीखालाल—मंत्री जी ने बताया कि सेटिलमेंट आफिसर तय करेंगे कि वह पट्टे जायज हैं या नाजायज, लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि उन किसानों के खिलाफ जिन्होंने जमींदारी खात्मा के पहले पट्टे करा लिये थे उनको भी बेदखल करने के लिये मुकदमें दायर किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे तफ्सील नहीं मालूम है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें किस किस्म की कार्यवाही हो रही है, वह पट्टे पहले के हैं या बाद के, उन पर जायज कब्जा है या नाजायज, यह मैं अभी नहीं बतला सकता, लेकिन जो नोटीफिकेशन सन् १९५२ में हुआ था उसमें जो जमीन गवर्नमेंट की तरफ से वन विभाग को दी गई थी उसके ऊपर हम वहाँ अपना क्लेम पेश कर रहे हैं कि यह हमारी जमीन है ।

*१७-१८—श्री ऊदल, श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये ।]

रिहन्द बांध की डूब में मध्य प्रदेश के गांवों का मुआवजा

* १९—श्री ऊदल, श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द डैम में मध्य प्रदेश के भी कुछ गांव डूब में पड़ रहे हैं जिनका मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है या दे रही है ? यदि हां, तो कितने गांव हैं उनका क्षेत्रफल क्या है और किस रेट से उन्हें मुआवजा दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि और बातों के लिये तो सूचना एकत्र की जा रही है, लेकिन यह तो मालूम ही होगा कि मध्य प्रदेश के कितने गांव इस डूब में आ गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ५५ ऐसे गांव हैं, लेकिन अभी इसके बारे में और मालूमात की जा रही है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने मुआवजे के लिये इस सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की है ?

श्री धर्मसिंह—लिखा-पढ़ी तो बहुत दिनों से हो रही है इन मामलों में, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मध्य प्रदेश के जो गांव इस डूब के क्षेत्र में आये हैं उनके निवासियों को फिर से बसाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार कर रही है या आप कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—अगर फिर बसाने का कार्य करना हुआ तो उसे मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, यह सरकार नहीं ।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो मुआवजा दे रही है वह उत्तर प्रदेश की सरकार से ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के गांवों का मुआवजा वही मांग रही है जोकि मध्य प्रदेश का रेट है और इसी कारण मुआवजे की आदयगी में विलम्ब हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है । अभी तो सभी तरह की सूचना एकत्र की जा रही है जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मध्य प्रदेश में मुआवजा उस रेट से दिया जा रहा है जो कि हमारी सरकार यहां देती है ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि बातचीत हो रही है । रेट का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने गांव डूब क्षेत्र में हैं और क्या उनको बसाने का सरकार की ओर से कोई इन्तजाम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब उन्होंने दे दिया है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश के माल मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने डूब क्षेत्र के गांवों में जाकर किसानों से यह कहा है कि तुम जितना मुआवजा मांगोगे उतना तुमको दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—नहीं गया । इसकी कोई सूचना नहीं है ।

एस० डब्ल्यू० जी० कापर कण्डक्टर का प्रयोग

*२०—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ११ हजार वोल्ट या इससे ऊपर की लाइन जो कापर नं० ८ (आठ) S.W.G. के द्वारा विद्युत् विभाग बनाता है उसमें कितना हन्डरवेट कापर प्रति मील लगता है तथा क्या यह सत्य है कि १९५९ के पहले यह स्टैन्डर्ड था कि उक्त कापर ११.५ हन्डरवेट प्रति मील लगता था जो अब केवल ११.१ हन्डरवेट रह गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—८ एस० डब्ल्यू० जी० कापर कण्डक्टर वास्तविक आवश्यकतानुसार लगाया जाता है परन्तु औसतन ११००० वोल्ट या उससे ऊपर की एक मील लाइन के बनाने के लिये ११.५ हन्डरवेट लगता है । जिसमें अर्थिंग (Earthing) जम्पिरिंग (Jumpering), ज्वाइंटिंग (Jointing) आदि सम्मिलित हैं । यह सही नहीं है कि १९५९ के पूर्व इस कापर का स्तर प्रति मील ११.५ हन्डरवेट था परन्तु यह सही है कि सैगिंग (sagging) के लिये कोई निर्धारित स्तर नहीं था । २०-२-५९ से सैगिंग के लिये स्तर निर्धारित कर दिया गया है और इसके आधार पर प्रति मील लाइन के लिये इस कन्डक्टर का ११.१ हन्डरवेट लगाया जाता है और अर्थिंग, जम्पिरिंग, ज्वाइंटिंग के लिये अलग से दिया जाता है ।

*२१—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगे कि सन् १९४७ से १९५८ के अन्त तक विद्युत विभाग ने ११ हजार या उससे ऊपर के वोल्टेज की कितनी हजार मील लाइनें कापर नं० ८ (आठ) S. W. G. के द्वारा बनाई हैं ?

श्री धर्मसिंह—लाइनों की लम्बाई का ब्योरा वोल्टेज के आधार पर रखा जाता है न कि हर प्रकार के कन्डक्टर के आधार पर । इसलिये इस सूचना को देना सम्भव नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर में एक ही बात को दो तरह से कहा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कौन सी बात सही है ? उन्होंने कहा कि १ मील लाइन बनाने के लिये ११.५ हन्डरवेट लगता है बाद में कहते हैं कि यह सही नहीं है, घट गया है । इसे जरा स्पष्ट कर दें ।

श्री धर्मसिंह—प्रश्न का उत्तर सही है । प्रश्न में पूछा गया है कि ११००० वोल्ट या इससे ऊपर की लाइन में १ मील में ११.५ हन्डरवेट लगता है, जिसमें अर्थिंग, जम्पिरिंग और ज्वाइंटिंग भी सम्मिलित है । इसके बाद नीचे कहा गया है कि २०–२–५९ के बाद इस तरह के आर्डर भेजे गये जिनमें ११.१ हन्डरवेट लग जाता है । जिसमें अर्थिंग, जम्पिरिंग और ज्वाइंटिंग अलग से दिया जाता है । इसलिये कोई अन्तर नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उसका स्तर ११.५ के बजाय ११.१ हन्डरवेट निर्धारित किया गया और अर्थिंग, जम्पिरिंग व ज्वाइंटिंग अलग से दिया गया, तब उसने यह भी हिसाब लगाया कि अर्थिंग, जम्पिरिंग और ज्वाइंटिंग में कितना लगता है ? कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसा करने से खर्चा पहले से अधिक बढ़ गया हो ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात तो नहीं है । ११.५ के आस-पास या उससे कम ही औसत आकर पड़ता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ज्वाइंटिंग, अर्थिंग और जम्पिरिंग में अलग-अलग कितना लगता है ?

श्री धर्मसिंह—वह निर्धारित नहीं है, आवश्यकतानुसार दे दिया जाता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जब पहले से कुछ कम लगता है तो प्रति मील पहले से खर्चा कितना कम होता है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न के उत्तर को मैंने बहुत साफ पढ़ दिया था कि पहले से कम नहीं लगता है । उतना ही लगता है । लेकिन २, ३ चीजों को अलग कर दिया गया है, इसलिये अब ११.१ लगता है । ११.५ से अधिक बिलकुल नहीं लगता है ।

श्री अध्यक्ष—आपने अभी उत्तर यह दिया था कि जम्पर्रिंग वगैरह अलग करने से ११.५ कम या ११.१ लग जाता है। ऐसा कुछ कहा था । तो वह यह जानना चाहते हैं कि उससे खर्चा कितना कम हो गया ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तव में पहले ११.५ एक्जेक्टली नहीं लगता था । इससे ज्यादा और कम भी लग सकता था । जैसा सैंगिग होता है, तार नीचे को होता है, तो वह घट-बढ़ सकता है । सरकार को पूरा अन्दाजा नहीं था कि कितना दिया गया और कितना नहीं । औसतन ११.५ लगता था । उसके बाद जम्पर्रिंग वगैरह के लिये स्पेसीफीकेशन के हिसाब से पहले बतला देते हैं । जैसा वह होता है उसके हिसाब से लगता है । इसलिये कम और ज्यादा का इसमें कोई प्रश्न नहीं है । जितना लगता है उतना अलग से देते हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जहां तक, मान्यवर, मैं मंत्री जी के अल्फाज को समझा हूं पहले ११.५ क्लीयर लगता था और अब कम लगता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल रुपया फी मील पहले से अब कम लगता है क्या ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर में निवेदन कर दिया गया है । ज्यादा लगने का कोई सवाल नहीं है । एफीशियेंसी लाने के लिये और ठीक से देखभाल करने के लिये यह सब कुछ निर्णय किया गया है ।

ढोरा रिजर्वायर के मजदूरों की सुविधायें

*२२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ढोरा रिजर्वायर के मजदूरों को कितने कमरों के क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—विभागीय श्रमिकों के रहने के लिये क्वार्टरों के प्रबन्ध का ब्योरा संलग्न है । ठेकेदारों के श्रमिकों के रहने का प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं करते हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर)

*२३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां के मजदूरों के लिये दवा-दारू का कोई प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—इस समय ढोरा रिजर्वायर पर काम करने वाले मजदूर किच्छा अस्पताल से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्राप्त करते हैं इसके अलावा रिजर्वायर के निर्माण स्थल पर एक चिकित्सा गृह भी बन चुका है और इसके लिये एक डाक्टर की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैकेनिक, आपरेटर और मस्टर रोल में जो आदमी रखे गये हैं, उनको ८ आदमियों को एक क्वार्टर में रहना पड़ता है, जबकि वहां फैमिली क्वार्टर्स भी नहीं हैं और रसोई का कोई इन्तजाम नहीं है ? लिस्ट में फैमिली क्वार्टर्स और रसोई वगैरह सब कुछ दिया गया है । ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—आवश्यकतानुसार दिया जाता है । थोड़े समय के लिये टैम्पोरेरी प्रबन्ध होता है और काम समाप्त होने पर उसकी आवश्यकता नहीं रहती है ।

श्री प्रतापसिंह—जो ढोरा रिजर्वायर पूरा होने को है तो आज तक अस्पताल की इमारत क्यों नहीं बनवाई गई और मजदूरों के लिये चिकित्सा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि प्रश्न २३ में कहा गया है, थोड़ा-बहुत इन्तजाम किच्छा में है। फिलहाल रिजर्वायर के अस्पताल में डाक्टर आदि की नियुक्ति कर दी गई है। ५ अगस्त को ऐसे आदेश भेज दिये गये हैं और एक व्यक्ति को कहा गया है कि वहां चार्ज ले।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ढोरा रिजर्वायर में काम करने वाले कुल कितने मजदूर हैं और कितनों के लिये क्वार्टर का प्रबन्ध है ?

श्री धर्मसिंह—रेग्यूलर स्टाफ में वहां ४६ के करीब हैं। इनमें से सभी के लिये करीब करीब इन्तजाम है। वर्क-चार्ज्ड में १८५ हैं जिनके लिये ८ कमरे वाली बैरक इत्यादि का इन्तजाम है। इसके बाद कुछ मस्टररोल के काम भी हैं जिनमें ४० व्यक्ति के करीब काम करते हैं। उनके लिये टिन शैड वगैरा का इन्तजाम है।

श्री प्रतापसिंह—जो लिस्ट माननीय मंत्री जी ने दी है उसमें जो वर्क चार्ज्ड स्टाफ है उसमें, मैकेनिक, आपरेटर, वर्क सुपरवाइजर, गट्ठा मुंशी, पम्प आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, बेलदार, क्लीनर, चौकीदार और स्वीपर, दस प्रकार के लोग दिखाये गये हैं, इन लोगों के लिये बताया गया है ८ कमरों वाली एक बैरक, दो कमरे, और ६ कमरों वाले ८ बैरक आगे ८ फीट चौड़ा बरामदा। ये कुल कितने आदमी हैं और उनके लिये कुल कितने क्वार्टर हैं ?

श्री धर्मसिंह—वर्क चार्ज में १८५ लोग हैं। इनके लिये १६ × १२ का ८ कमरे वाला एक बैरक, दो कमरे १२ × १० के तथा २४ × १० के ६ कमरे वाले ८ बैरक और उनके सामने ६० × ८ फीट का एक बरामदा है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी ने जो यह ६ कमरे वाले ८ बैरक बताये हैं वे बने भी हैं या नहीं बने ?

श्री अध्यक्ष—अगर आपको कोई स्वतंत्र जानकारी है तो उनको जानकारी कराइये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि ६ कमरे वाले ८ बैरक नहीं बने हैं और चूंकि उनके बिना मजदूरों को बरसात में बहुत तकलीफ हो रही है इसलिये उनके बनने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जो कुछ सूचना दी गई है वह जांच करने के बाद ही आई सूचना के आधार पर दी गई है। यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है तो उसको दिखला लिया जायगा। जहां तक क्वार्टर बनने का प्रश्न है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सन् १९६१ में यह काम खत्म होने ही जा रहा है।

ब्लाक डेवलपमेंट घोसी को बिजली मिलना

*२४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न ६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी, घोसी, जिला आजमगढ़ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली लगाने के लिये कब पत्र लिखा तथा परिणाम क्या हुआ ?

श्री धर्मसिंह—बिजली का बकाया अदा करने के बाद ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी ने फिर से ब्लाक में बिजली लगाने के लिये ७ जून, १९५८ को लिखा था। ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी के नये कनेक्शन की निर्धारित शर्तें पूरी कर देने के और एस्टीमेट स्वीकार होने

के पश्चात् १ जुलाई, १९६० को २ के० डब्ल्यू० बिजली ब्लाक के वास्ते स्वीकार कर ली गई। यह बिजली चालू हो गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या विद्युत मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस ब्लाक में बिजली कब से चालू हुई है?

श्री धर्मसिंह—६ अगस्त, १९६० से वहां बिजली चालू हो गयी है।

माताटीला बांध प्रभावित कपड़ेर कलां व खुर्द गांवों का मुआवजा

*२५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार दिनांक ८-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के भराव में आने वाले गांव वालों को कपड़ेर कलां और कपड़ेर खुर्द को दिये गये रेटों से कम रेटों पर मुआवजा देने और आम तथा महुआ के ३ वर्ष तक के पेड़ों का एक रुपया और ६ वर्ष के पेड़ों का १ रुपया आठ आना प्रति पेड़ से ही मुआवजा दिये जाने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—यह कहना सत्य नहीं है कि अन्य गांवों में कपड़ेर कलां और कपड़ेर खुर्द के मुकाबिले में मुआवजा कम रेटों पर दिया गया है। आम तथा महुआ के ३ वर्ष तक के पेड़ों का १ रुपया और ६ वर्ष तक के पेड़ों का एक रुपया आठ आना प्रति पेड़ के हिसाब से मुआवजा देने का कारण पेड़ की परिधि (girth) की कीमत तथा फलों की कीमत का हिसाब लगा कर दिया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को यह स्मरण है कि उन्होंने प्रश्न संख्या ८१, तारीख ८-३-६० को जो सूचना दी थी उसमें यह बताया था कि कपड़ेर खुर्द और कपड़ेर कलां में एक मंजिल मकान के लिये ३ रुपया वर्ग फीट के हिसाब से और अन्य गांवों को २.५५ पया और २.८५ रुपया फीट के हिसाब से रेट दिया गया है और कपड़ेर कलां और कपड़ेर खुर्द में १ से ३ वर्ष तक के फलदार पेड़ों के लिये १० रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया और अन्य गांवों में ३ वर्ष तक के पेड़ों के लिये ३ रुपया प्रति वर्ष दिया गया है?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि आंकड़े इस समय हमारे पास हैं, उनके आधार पर ऐसा नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आम और महुए की कलम नर्सरी में एक रुपये और दो रुपये तक की मिलती है और उसको मुआवजा आप ३ वर्ष तक के पेड़ों के लिये एक रुपया और ६ वर्ष तक पेड़ की रक्षा करने के बाद केवल डेढ़ रुपये देते हैं, तो वे ज्यादा मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री धर्मसिंह—विचार करने का प्रश्न नहीं है। वहां आम और महुए के पेड़ों की कलम के लिये कई किस्म का रेट है। एक रेट तो पेड़ की मुटाई के हिसाब से लगाते हैं और दूसरा रेट उनकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं और तीसरा रेट जो है वह टिम्बर की वैल्यू के आधार पर निर्धारित होता है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी सम्बन्धी जो पुस्तिका दी गयी है उसके पेज ७ पर लिखा है कि हमीरपुर जिले के माताटीला बांध का जो निर्माण हो रहा है उसमें यहीं के सीमेंट का प्रयोग हुआ है। तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध झांसी जिले में है या हमीरपुर जिले में?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रिंटिंग की मिस्टेक मालूम होती है।

श्री धर्मसिंह—वह तो झांसी जिले में है. इसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं, और आप भी जानते हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सरकार के मैनुअल में बुन्देलखंड में आम और महुए के वृक्ष फलदार वृक्ष नहीं माने जाते हैं और इसी वजह से उनको मुआवजा कम दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है, जो भी मुआवजा दिया गया है वह नियमों के आधार पर दिया गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इसका पता है कि अपने पड़ोसी प्रदेशों में मुआवजे की रकम ज्यादा दी जाती है और नियमों के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुआवजे की रकम कम देनी पड़ी, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि वह आगे अपने पड़ोसी प्रदेशों के हिसाब से ही उचित मुआवजा दिलवाने के लिये नियम बनवावें ?

श्री गिरधारीलाल—मेरा खयाल है कि यह बात ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे आदमियों को दूसरे स्टेट वाले मुआवजा देते हैं तो बहुत सी वजह से ज्यादा दे देते हैं क्योंकि वह मुआवजा यहीं से देना पड़ता है। जो इत्तिला हमें मिली है वह यही मिली है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ८-३-६० के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि अन्य गांवों में जो मुआवजा दिया गया है उनमें १० वर्ष से ५० वर्ष उम्र तक के पेड़ों के लिये ५ से ३ प्रतिशत तक रुपया काट लिया गया है जब कि कपड़ेर कलां और कपड़ेर खुर्द वालों का कोई रुपया नहीं काटा गया है ?

श्री अध्यक्ष—वह जवाब दे चुके हैं कि इसके लिए देखना पड़ेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दूसरे प्रदेश वाले हमारे प्रदेश वालों को ज्यादा मुआवजा देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब दूसरे प्रदेश वालों के पेड़ या जमीन माननीय मंत्री जी लेते हैं तो वे भी उनको ज्यादा मुआवजा देते हैं अपने प्रदेश वालों की अपेक्षा ?

श्री गिरधारीलाल—हमारी नियत तो कभी ऐसी नहीं रही है। हम हमेशा अपने लोगों के साथ इन्साफ करने की कोशिश करते हैं और वैसे ही दूसरों के लिये भी इन्साफ करते हैं।

नलकूपों का सिंचाई क्षेत्र

*२६—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं तथा उनका जिलेवार सिंचाई का क्या क्षेत्रफल है ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६५-१६६ पर)

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन २,५६६ ट्यूबवेल्स में सरकार का कितना व्यय हुआ और उनसे सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री धर्मसिंह—आय के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है और किन-किन में कम ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दिया गया है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—इसमें कमांड एरिया दिया गया है। मैं कमांड एरिया में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत चाहती हूं। वह बिलकुल स्पष्ट होता है।

श्री अध्यक्ष—इतना ब्योरा हर जिले का वह कहां से दे सकते हैं ?

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में नलकूपों से अधिक सिंचाई हुई है वहां पर अधिक सिंचाई करने के क्या-क्या कारण हैं और जिनमें कम हुई है वहां कम होने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास इस तरह के आंकड़े नहीं हैं, जैसा कि मैं ने शुरू में ही निवेदन किया कि जितना कमांड एरिया है उसके आंकड़े हैं, लेकिन अधिक या कम सिंचाई के अलग-अलग कारण बताना इस समय कठिन है।

मुरादाबाद जिले के नलकूप

*२७—श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल ऐसे हैं जो मोटर या गूल या बोरिंग खराब होने के कारण बन्द हैं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न में उल्लिखित कारणों से मुरादाबाद जिले में कोई भी नलकूप बन्द नहीं है।

*२८—श्री सुक्खनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में वह कितने नये ट्यूबवेल बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—१०।

नानक सागर में लगी भूमि का प्रतिकर

*२९—श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल में नानक सागर बनाने के लिये कितनी भूमि ली गई थी और उसके बदले में किसानों को और जगह भूमि दी गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी ? यदि मुआवजा दिया गया, तो प्रति एकड़ कितना रुपया ?

श्री गिरधारीलाल—कुल १०,४४४.७ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में एक्वीजीशन की कार्यवाही की गई है जिसमें से ५,१७१.२ एकड़ का कब्जा लिया जा चुका है। इस रकबे में काश्त केवल ३,२८९.९ एकड़ थी और उसके एवज में १,४४३.५ एकड़ जमीन दी जा चुकी है जिसका विवरण संलग्न है। मुआवजा भिन्न-भिन्न खेतों का किस्म जमीन, शरह लगान, इत्यादि के अनुसार भिन्न-भिन्न रेट से दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६७ पर)

फैजाबाद जिले में सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृहों के चौकीदार तथा माली

*३०—श्री अवधेशप्रतापसिंह—(जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में सिंचाई विभाग में किन-किन निरीक्षण-गृहों पर ५ वर्ष से अधिक समय से चौकीदार तथा माली वर्क-चार्ज पर ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—गुसाईंगंज तथा ईसापुर निरीक्षण गृहों पर।

*३१—श्री अवधेशप्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इनको रेग्यूलर में लाने की सोच रही है?

*३२—(क) यदि हां, तो कब तक?
(ख) यदि नहीं तो, क्यों?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इनकी नियुक्ति रेगुलेशन बेलदार के स्थान पर की जा रही है।

माताटीला बांध संबंधित ठेकेदारों का बकाया धन तथा टेंडर्स

*३३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध पर काम करने वाले ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट दिसम्बर, १९५९ तक बाकी है और कितना-कितना तथा कब से?

श्री धर्मसिंह—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १६५ पर)

*३४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५९ से जनवरी, १९६० तक माताटीला बांध पर किन-किन कामों के लिये कितने बार टेंडर मांगे गये और प्रत्येक बार कितने-कितने टेंडर आये? उनमें कितने स्वीकार किये गये?

श्री धर्मसिंह—(१) माताटीला बांध की अपस्ट्रीम पिचिंग की मोटाई बढ़ाने, और

(२) मिट्टी के बांध के ऊपरी सिरे को २ फीट ऊंचा डोला बनाने के लिये तीन बार टेण्डर मांगे गये:—

(क) पहली बार १४ टेण्डर,
(ख) दूसरी बार ३ टेण्डर,
(ग) तीसरी बार ३ टेण्डर।

प्राप्त हुए। कोई टेण्डर स्वीकार नहीं किया गया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन-तीन बार टेंडर मांगने के बाद भी टेंडर स्वीकार न होने का कारण क्या था?

श्री धर्मसिंह—टेंडर मांगने की जो शर्तें थीं वे पूरी नहीं की जाती थीं, इसीलिये वे अस्वीकृत हुये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि टेंडर इस कारण से कम आये कि ठेकेदारों का पेमेंट वर्षों से रुका पड़ा है और उक्त बांध के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के व्यवहार के कारण वहां के अनेकों क्लर्क छुट्टी लिये पड़े हैं?

श्री धर्मसिंह—माताटीला के ठेकेदारों की जितनी सूची है उन सब का पेमेंट मार्च, १९६० तक हो गया, इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—जैसा कि सरकार ने कहा कि टेंडर कैंसिल कर दिये गये तो जिस चीज के लिये वह टेंडर मांगे गये और बाद में कैंसिल किये गये तो वह सब काम क्या अब सरकार स्वतः करा रही है?

श्री धर्मसिंह---जब टेंडर स्वीकृत नहीं हुये तो काम तो थोड़ा-बहुत जैसे होता है होता ही रहा ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वह कौन-सी मुख्य शर्तें थीं जिनको कि टेंडर देने वाले ठेकेदारों ने पूरा नहीं किया ?

श्री धर्मसिंह---टेंडर में जो रेट था वह एस्टीमेट के रेट से अधिक थे। ठेकेदारों ने पत्र-व्यवहार में भी ज्यादा समय लिया और काम के विषय में कुछ बातें थीं जिन की वजह से शर्तें पूरी नहीं होती थीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिये कानून की शिक्षा की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अनुसार जो विषय उपस्थित किये गये हैं ध्यान आकृष्ट करने के लिये उनमें से मैंने श्री रामसुदर पांडेय जी का स्वीकार किया है। उसमें यह है कि "लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को कानून की शिक्षा देने के लिये प्रादेशिक सरकार की सहायता से कक्षायें खोली जाती थीं, किन्तु इस वर्ष विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने आर्थिक सहायता देने से इन्कार कर दिया है, जिसके कारण कानून कक्षा कर्मचारियों के लिये खोलना असम्भव है। सरकार के इस आदेश से सैकड़ों कर्मचारी कानून की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं तथा इस आदेश से कर्मचारियों में तीव्र असंतोष व्याप्त है ।

अतः ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इस विषय पर वह शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी बता दें कि वह उत्तर आज दे सकेंगे या आगे किसी दिन ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस सबकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मंगानी पड़ेगी, कम से कम २ दिन का समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष---तो आप ११ को अपना स्टेटमेंट दे सकेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा पुलिस की सहायता लेने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आज लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दफा ५२ के अन्तर्गत एक सूचना मांगी थी। मैं १ तारीख से ही बराबर, या तो कामरोको प्रस्ताव या दफा ५२ के प्रश्न देता रहा हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों और प्रबन्धकारिणी के बीच संघर्ष है उस विषय में . .

श्री अध्यक्ष---नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है उसमें आपका भी काम हो जायगा। यह नियम ५३ के अनुसार नेता विरोधी दल ने दिया है . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय देवनारायण भारतीय जी न नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव दिया है उसको पढ़ दीजिये। श्रीमन्, वह कल की घटना है, कल पुलिस ने चेज किया है . . . . .

श्री अध्यक्ष---जिस वक्त माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर बहस होगी उस समय आप सब कह लेंगे।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"मैं नियम ५३ के अन्तर्गत लोक महत्व के एक आवश्यक प्रश्न अर्थात् "लखनऊ विश्वविद्यालय के संचालन में उप-कुलपति द्वारा पुलिस की सहायता की मांग तथा सरकार द्वारा उस सहायता को देने के प्रश्न पर", चर्चा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेंगे।"

तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिये मैंने नेता सदन से बातचीत कर ली है और नेता विरोधी दल से भी। नेता विरोधी दल चाहते हैं कि बहस अगर आज ही हो जाय तो अच्छा है। तो मैं नेता सदन की अनुमति से आज २ घंटे का समय रखे देता हूं, साढ़े ३ से साढ़े ५ बजे तक का। इस का मतलब यह हुआ कि अधिकतम जोत सीमा बिल की बहस का जो डेढ़ घंटा आज कम हो जायगा वह ११ तारीख को पूरा कर दिया जायगा और उसी रोज पंचायत का एक छोटा-सा विधेयक आयेगा, उसकी सूचना मैं दिये देता हूं वह लिया जायगा। तो उस रोज उसको भी पारित करने का कार्य समाप्त किया जायगा। इस तरह से व्यवस्था मैंने बातचीत करके कर दी है। तो आज साढ़े तीन बजे से इस पर चर्चा होगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इसके सम्बन्ध में एक निवेदन यह है कि जैसा देवनारायण भारतीय जी ने कहा जो अब तक सवाल दिये जाते रहे हैं उनका सम्बंध केवल पी० ए० सी० के जाने से नहीं रहा है, और प्रश्न भी हैं। तो इतनी आप आज्ञा और दे दें कि २ घण्टे की बहस में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख हो सके जिन्होंने इस आन्दोलन को जन्म दिया और यह बढ़ा।

श्री अध्यक्ष---उसमें चूंकि इशारा उस तरफ है जिस परिस्थिति में उन्होंने बुलायी तो कुछ परिस्थिति का आप वर्णन कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं रचनात्मक। लेकिन इतना खयाल रखना चाहिये कि विश्वविद्यालय एक अटानोमस बाडी है इसलिये उसके निर्णयों पर अधिक तीव्रता से टीका टिप्पणी न हो, बल्कि जो परिस्थिति है उसमें से सुझाव, कोई रास्ता निकालने का रचनात्मक सुझाव हुआ तो मैं ऐसी बात कहने की इजाजत दे दूंगा।

श्री उग्रसेन---पी० ए० सी० जाने के बाद जो मारपीट हुई, दुकानें लूटी गईं, तोड़-फोड़ हुई, यह घटनायें जो घटी हैं उनको हम कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---जी हां, कह सकते हैं। यह तो सरकार से सम्बन्धित चीजें हैं।

श्री उग्रसेन---धींगा-धांगी मची हुई है....

श्री अध्यक्ष---आप अभी बैठिये।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन तथा आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये प्राप्त नामजदगियों की सूचना

श्री अध्यक्ष---बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन और आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये भी जो नामजदगियां हुई हैं वह यह हैं, उम्मीदवारों के नाम पढ़ कर सुना देता हूं।

इन्टरमीडियेट बोर्ड के लिये नाम इस प्रकार है :—

(१) श्री जगन्नाथ लहरी, (२) श्रीमती विद्यावती वाजपेयी, (३) श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी, (४) श्री बुलाकीराम वर्मा, (५) श्री चन्द्रसिंह रावत, (६) श्री तेजबहादुरसिंह, (७) श्री जगदीशशरण अग्रवाल, और (८) श्री राम स्वरूप वर्मा।

आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये ५ स्थानों के लिये १० नामजदगियां हुईं—

१—श्री जगन्नाथ लहरी ।
२—श्री चन्द्रसिंह रावत ।
३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ।
४—श्री डूंगरसिंह ।
५—श्री लक्ष्मीसिंह ।
६—श्री मदनगोपाल वैद्य ।
७—श्री यशपालसिंह ।
८—श्री बिशम्बरसिंह ।
९—श्री रामसिंह चौहान तथा
१०—श्री देवीप्रसाद मिश्र ।

इसमें २२ अगस्त तक नाम वापस लेने की तिथि नियुक्त की गयी है और निर्वाचन २६ को होगा १२ बजे से ५ बजे तक, अगर निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ तो ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

खंड ४—(क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष—कल उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक पर चर्चा चल रही थी और श्री भजनलाल भाषण दे रहे थे । वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक पर जो धारा ४ के अन्तर्गत ४० एकड़ के स्थान पर २० एकड़ रखने का मैंने अपना जो संशोधन पेश किया है उसके संबंध में मैं मंत्री जी को यह बतला देना चाहता हूं कि अधिकतम जोत सीमा विधेयक के अन्तर्गत हम किस तरह से जमीन को बचा सकते हैं और इस बिल के द्वारा अधिक जमीन बचाने की योजना सरकार ने बनाई है । लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस बिल के द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी एकड़ जमीन प्राप्त की है जिसको वे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांट सकते हैं ।

मैं हाउस को तथा मंत्री महोदय को यह भी बतला देना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने प्रकार के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं । उनकी आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय है कि जिसकी वजह से वह वर्ग कराह रहा है । सन् १९५१ के आधार पर देश की तथा प्रदेश की जनगणना के आधार पर हमारे देश के अन्दर १६,११,७२,००० के करीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के अन्दर ४० लाख के करीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। इनकी श्रेणियां ३, ४ प्रकार की हैं । एक तो वे जो भूमि पर मजदूरी लेकर काम करने वाले हैं । उनमें भी दो प्रकार के मजदूर हैं। एक तो वे मजदूर जो अपने मालिक से बंधे हुए हैं । वे पैसा, कपड़ा, अन्न ले लेते हैं और उसकी एवज में साल भर खेती का काम करते हैं। दूसरे स्वतंत्र हैं जो कि कुछ समय के लिये खेती में जाकर काम करते हैं और जो कुछ पैसा या अन्न प्राप्त होता है उससे वे अपनी जीविका चलाते हैं । इस प्रकार से दो प्रकार के भूमिहीन खेतिहर मजदूर इस श्रेणी में हैं ।

दूसरे भूमिहीन किसान जो हैं उनकी भी दशा शोचनीय है जो खेत पर काम नहीं करने जाते हैं और जो खेती ही पर आधारित हैं । उनमें लोहार, बढ़ई, धोबी इस प्रकार के लोग हैं जिनका भी भार भूमि पर ही मुनहसिर है । तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस बिल के द्वारा कितने हजार या लाख एकड़ जमीन बचा पायेंगे । मेरी राय यह है कि इस सरकार का जो नियम है वह भी तो अजीब नियम है ।

---

*८ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से ।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भजनलाल]

जहां तक पूंजी का सवाल है मान लीजिये कोई मिल-मालिक है, तो उस मिल में जो उसकी पूंजी लगी हुई है उस पर टैक्स सरकार, उसके द्वारा जो आमदनी होती है उस पर लगाती है। गुलाब, चमेली, बेला इत्यादि के बड़े-बड़े फार्म्स खोलकर बड़े-बड़े सेठों ने इत्र बनाने के कारखाने खोल रखे हैं। सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि उसके द्वारा जो आमदनी होती है उस पर टैक्स लगाती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आप कन्नौज की बात कह रहे हैं क्योंकि इत्र वगैरह की बात आप कह रहे हैं?

श्री भजनलाल—जी हां। गाजीपुर और कन्नौज की बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि यहां पर श्रीमन्, सरकार की नीति इसके बिलकुल विपरीत है क्योंकि भूमि जो किसानों की पूंजी है उस पर सरकार टैक्स वसूल करती है। यह एक नयी धारा उल्टी नर्बदा में बह रही है। मिल मालिकों के लिये तो मिल पर टैक्स नहीं है उसकी पैदावार के आधार पर टैक्स है, लेकिन किसान की भूमि जो उसकी है उस पर यह सरकार टैक्स लगाती है और उसकी पैदावार पर आयकर नहीं लगाती है। मैं इसीलिये यह कहता हूं कि सरकार फिर भी सजग हो और भूमि से जितनी भी पैदावार हो उस पर सरकार को आयकर लगाना चाहिये।

अब आयकर किस सीमा पर निर्धारित किया जाय यह वह स्वयं ही विचार करें। मेरी पार्टी की तरफ से तो यह है कि जब सरकार ने एक नियम बना रखा है ३६ सौ या ३ हजार रुपये की आमदनी के ऊपर आयकर लगाती है शहरों में बसने वाली जनता पर तब हमारी पार्टी का यह सुझाव है कि जब इतनी पैदावार उस खातेदार के हिस्से में हो जाय जो कि ३ हजार की आमदनी से ऊपर हो तब सरकार उस पर टैक्स लगावे। इस नियम को लेकर सरकार आयकर निर्धारित करे जिससे कि किसान को कुछ राहत मिले, वह बढ़े, दिल खोलकर मेहनत करे और पैदावार को बढ़ावे।

श्री अध्यक्ष—आप कुछ संक्षेप में चलिये क्योंकि बजट तक खण्डों पर विचार समाप्त करना है।

श्री भजनलाल—मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वह इसका जवाब देंगे कि बिल पेश होने के पूर्व क्या उन्होंने इस बात के आंकड़े मंगाये हैं कि हम कितनी एकड़ जमीन इस बिल के द्वारा हस्तान्तरित करेंगे। क्या यह भी आंकड़े मंगाये हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और कितने इंच जमीन प्रति व्यक्ति को हम बांट सकते हैं? इंचों में उसका शुमार हो सकता है, एकड़ में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिल में जो है उसको देखते हुए और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की परिभाषा को देखते हुए जो जमीन बटेगी वह सारहीन है क्योंकि इसमें इंचमात्र भी जमीन बचनेवाली नहीं है। तो मेरा सवाल है कि एक हल बैल से एक किसान अच्छी प्रकार से सवा ६ एकड़ जमीन जोत-बो सकता है, उसका तिगुना यानी १९ एकड़ और बागात को शामिल करके २० एकड़ तक अधिकतम जोत सीमा को स्वीकार करना चाहिये। सरकार यह भी देखे कि अधिक से अधिक जमीन बच सके और वह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अधिक से अधिक जमीन दे सके।

इसके अलावा, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों में खेतिहर मजदूर बटाई पर काम करते हैं, नौकरी पर काम करते हैं या कुछ अन्न लेकर काम करते हैं, कुछ पैसे लेकर काम करते हैं उनकी आखिरकार दशा क्या है? उनकी दशा यह है कि कर्ज में ही पैदायश, कर्ज में ही जीवनयापन और कर्ज में ही जाकर वे मृत्यु शैय्या पर सो भी जाते हैं। यही उनकी एक सच्ची कहानी है, इसके अलावा और कोई नहीं। बाप का कर्जा बेटे पर, बेटे का कर्जा पोते पर और पोते का कर्जा दर सन्तानों पर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है और अपने कर्जों से वे कभी भी अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं। अगर

सरकार ४० लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करना चाहती है तो मैं यह मांग करता हूं कि आज जितना भी इस वर्ग के ऊपर कर्जा है वह सारे का सारा मन्सूख कर दिया जाय और इस बिल के अन्तर्गत जितनी भी जमीन मिले वह उनमें वितरित कर दी जाय ।

साथ ही हमारी मांग यह भी है कि सवा ६ एकड़ से अगर कम जमीन उनको मिलती है--और यह तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ३ एकड़ से ज्यादा ये किसी को जमीन दे नहीं पायेंगे । अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ जमीन मिल गयी तो, नहीं तो मामला साफ है--सवा ६ एकड़ तक यदि जमीन सरकार किसी को दे तो उनका आय कर भी माफ होना चाहिये क्योंकि सवा ६ एकड़ जमीन पर अगर उसका बीज, उसके बैल, बधिया, भैंसे और सारे परिवार की सेवा, यह सब उसमें सम्मिलित कर दिया जाय तो उसको जरा भी लाभ नहीं होता जब कि दूसरी तरफ तीन हजार के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है ।

सरकार का यह बिल लाने का मतलब सिर्फ यह है कि किसी प्रकार अन्न की पैदावार को बढ़ाया जाय । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कोई आंकड़े निकाले हैं कि इस कानून द्वारा कितने एकड़ जमीन उनको मिलने वाली है और क्या उन्होंने ये आंकड़े भी निकाले हैं कि कितनी ऊसर और बंजर भूमि इस प्रदेश में पड़ी है जिसको उपजाऊ बनाया जा सकता है । मैं सन् १९५१ की जनगणना के आधार पर यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ९० लाख एकड़ जमीन ऊसर और परती पड़ी हुई है जिसको उपजाऊ बनाया जा सकता है । अब उपजाऊ किस प्रकार बनायी जाय यहीं हमारा और सरकार का मतभेद है ।

श्री अध्यक्ष--आपके संशोधन में ये कोई चीजें आती नहीं हैं ।

श्री भजनलाल--श्रीमन्, २० एकड़ की जो मैंने मांग की है उसका खास मकसद पैदावार बढ़ाने का है और इसी मकसद से सरकार भी यह बिल लायी है ।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है, लेकिन आप जरा संक्षेप में ही कहिये ।

श्री भजनलाल--तो मैं विशेष उधर न जाकर मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने ४० एकड़ की सीमा रखी है वह जनहित में नहीं है । उसको २० एकड़ रखें ताकि हम अधिकतर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन दे सकें जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें । साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह और कहूंगा कि क्या उन्होंने कोई नक्शा बनाया है कि इस कानून के लागू होने पर कितनी जमीन बचेगी और वह कितनी जमीन खेतिहर मजदूरों को बांट सकेंगे ?

इन शब्दों के बाद मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन का समर्थन करें ।

श्री अध्यक्ष--अब मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं कि यह विधेयक १० तारीख तक समाप्त होना था और आधा दिन तीसरी रीडिंग के वास्ते था यानी कल ३ बजे से ५ बजे तक । खण्डों पर वाद विवाद ३ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये । इसका मतलब यह है कि कल सुबह से ही जितने संशोधन हैं उनके ऊपर मैं राय ले लेता बगैर भाषण हुए । अब चूंकि डेढ़ घंटा आज ले लिया गया है इसलिये कल ढाई बजे से खण्डों के संबंध में गिलोटिन होगा । कल ढाई बजे तक बहस करने का टाइम है । हर व्यक्ति चौथे खण्ड में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि सारे तर्क वह इसी खण्ड में उपस्थित करता है या उसकी उपस्थित करने की इच्छा है । लेकिन मैं समझता हूं कि और भी खण्ड महत्वपूर्ण हैं । इसलिये संशोधनों पर सदस्यगण २-२, ३-३ मिनट बोलें तो अच्छा होगा । जिससे यदि कम से कम सब संशोधन सदन के सामने तर्क सहित आ जायंगे तो अच्छा होगा और मैं समझता हूं कि शायद गिलोटिन की जरूरत न पड़ेगी । आज दिन भर है और कल भी ढाई बजे तक समय है, इसमें यह चीज हो सकती है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--परसों भी हम लोग डेढ़ घंटे के लिये बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष—जी हां। वह थर्ड रीडिंग के लिये रहेगा। कल ढाई बजे से शुरू करेंगे और साढ़े चार बजे खण्डों पर राय लेना खत्म हो सकेगा।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी थोड़ा-सा समय और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता है, वह तो सदन के प्रस्ताव से हुआ है।

श्री नारायण दास पासी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी साथियों ने जो इस खण्ड के ऊपर बहस की और भिन्न भिन्न तर्क दिये अधिकतम जोत सीमा के बारे में सबसे बड़ी मांग है राजा साहब कुंवर श्रीपालसिंह जी की, उन्होंने अगले दिन भी और कल भी इस बात को पेश किया कि दो आदमियों के लिये सवा छः एकड़ जमीन काफी है और उन्होंने चौधरी चरणसिंह जी का इस संबंध में हवाला भी दिया था। लेकिन राजा साहब भूल जाते हैं कि जो चौधरी साहब ने लिखा है, वह यही है। वह यह है कि दो आदमी सवा छः एकड़ जमीन पर पूरे साल भर काम करते रहें तो काफी होगी। एक आदमी के लिये ३, १/८ एकड़ जमीन लाभकर है और उससे उसकी गुजर बसर हो सकती है और उसका स्तर भी ऊंचा हो सकता है। इसी आधार पर हमने ५ आदमियों के परिवार पर १६ एकड़ जमीन रखी है और आपने इस बात को माना भी है कि १६ एकड़ जमीन एक परिवार के लिये काफी है, लेकिन आप चाहते हैं कि यह पारिवारिक सीलिंग है इसलिये इसकी तिगुनी यानी ४८ एकड़ रखी जाय। हमारे मंत्री महोदय ने जो ४० एकड़ रखी है। वह इस हिसाब से रखी है कि एक परिवार के लिये साढ़े तेरह एकड़ जमीन काफी है और चूंकि यह पारिवारिक सीलिंग है इसलिये तिगुनी होनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं यहां पर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीलिंग के सिद्धान्त को माना तो है और मंत्री महोदय के लिये भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने इस तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे विधेयक में जो उद्देश्य है कि हम खेतिहर मजदूरों को जमीन बांटेंगे और सहकारी खेती के द्वारा उत्पादन बढ़ायेंगे उसके संबंध में मैं यह कह रहा हूं कि जो भी जमीन मिलने वाली है वह बहुत थोड़ी मिलेगी और जो मिलेगी उसमें बहुत सी बंजर जमीन मिलेगी और सहकारिता से खेती कराते हैं तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिये वह बहुत कम है बल्कि मैं कहूंगा कि जो जमीन आपको मिलने वाली है और जो हमारी आशा है वह एकदम निराशाजनक होगी।

उस पर कहा गया है कि "सेमर सेय सुआ हरसाने, मारिन टोंट भुवा उधराने।" अर्थात इस बल में कुछ मिलने वाला नहीं है। कल बलदेव सिंह जी कह रहे थे कि नारायण दास कहते हैं कि अगर १६ एकड़ जमीन की सीमा कर दी जाय तो उत्तर प्रदेश की खाने पीने की समस्या हल हो जायगी। श्रीमन्, मैं आपके कदमों का स्पर्श लेकर कह रहा हूं कि अगर १६ एकड़ की सीलिंग कर दी जाय तो उत्तर प्रदेश की खाने-पीने की समस्या हल हो जायगी। अगर राजा लोग जिनके पास पैसा भी है, बुद्धि भी है, ट्रैक्टर भी हैं और अन्य साधन भी हैं, यदि उन साधनों के साथ सहकारी खेती करना शुरू कर दें तो निश्चय ही उत्पादन बढ़ जायगा। आपके पास भूमि के अलावा और भी साधन हैं। आपके पास उद्योग, कारोबार, महाजनी और नौकरी के साधन हैं और दूसरे भी साधन हैं। इससे आपकी जमीन ले लेने पर भी आपकी आर्थिक सम्पन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता।

प्लानिंग कमीशन ने जो सीलिंग का आधार बनाया है वह सिर्फ अन्न का आधार बनाया है। यदि गन्ने, तेलहन पोस्ते, साग-सब्जी का आधार लिया जाय तो १६ एकड़ के अन्दर प्लानिंग कमीशन की लाभकर स्थिति की व्याख्या हल हो सकती है। अगर आप को विश्वास न हो तो फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी में जप्ती चलकर देखिये कि कितनी खेती पर कितना लाभ होता है।

हमारे राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी मनिकापुर इस बिल पर इतना हल्ला बोले हुए हैं। न उनका कुछ जाने का न किसी को कुछ मिलने का। बिल तो खाली सिद्धांत मात्र है। जब से वह अवधेशप्रताप सिंह जी के साथ गये हैं तब से उनकी बुद्धि उल्टी हो गयी है। एक तरफ वह कहते हैं कि गरीब लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, नंगे भूखे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गरीबों को जमीन नहीं देंगे, उनके पास जो साधन हैं वह भी छीन लेंगे। हमारे उपमंत्री महोदय ने कहा कि पूर्वी जिलों के अन्दर दो दो बीघे जमीन जोते हुए किसान अपना घर-द्वार छोड़ कर चले जाते हैं इसलिये नुकसान होता है। लेकिन मैं पूर्वी जिले ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं यह दो बीघा जमीन वाला किसान बाल बच्चों समेत घर छोड़ कर मटरगश्ती करने नहीं जाता बल्कि वह तो बड़े-बड़े किसानों से खाने के लिये कर्ज लेता है और जब जमीन जोत-बो लेता है, तो कर्जे की अदायगी के लिये उनके पास जाता है, काम करता है।

श्रीमन्, हमारे राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी के स्वर्गीय पिता हमारे जनोदा ग्राम में खेले हुए बचपन से मेरे परिवार की वीरता और त्याग को अपने तईं भी मानते थे। उनके पितामह राजा देवी बक्स सिंह, मनिकापुर ने गदर में बहादुरी व त्याग में बड़ा नाम किया। श्रीमन्, उनकी ही तरह हमारे प्रपितामह स्वर्गीय भुवन पासी मेरे नाना जमादार गलजारवासी गदर में जूझे। उन्नाव सिकन्दरपुर में घनघोर युद्ध किया। हमारे पितामह और उनके पितामह साथ-साथ दुश्मन से लड़े थे। जिस समय महाराज रघुराज सिंह कांग्रेस में आये उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी को उन्होंने अपने घर में बुलाया। वह देश भक्त थे। राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी जब जेल जाने लगे तो उन्होंने राज्य को छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसा वैयक्तिक संकेत नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदास पासी—आज वह ४० एकड़ के बजाय कहते हैं कि ४८ एकड़ सीलिंग दे दो। कहां है वह त्याग? कहां केवल आठ एकड़ बढ़ाना जब आप खुद कहते हैं कि पूर्वी जिलों के अन्दर भुखमरी फैली हुई है, गरीब लोग बहुत दुखी हैं। ऐसी दशा में मैं चाहूंगा कि इस संशोधन को तो वह वापस ले ही लें साथ ही साथ जो यह बैठे हुये हैं हमारे अवधेशप्रताप सिंह जी उनको तो मैं कह सकता हूं, उनके गरीबों के प्रति क्या भाव हैं, वह तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि उनके साथ आप जब से गये हैं तब से आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है।

श्री अध्यक्ष—अवधेशप्रताप सिंह नहीं, आप वीरेन्द्रशाह जी कहें...

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—मान्यवर, अवधेशप्रतापसिंह के लिये जो आप कह रहे हैं तो वह हमारे लोगों की स्वतन्त्र पार्टी में नहीं हैं, इसलिये उनके साथ हम लोगों को शरीक न करें।

श्री नारायणदास पासी—खैर, देर आद दुरुस्त आद। मेरी भावना को आप देखिये। मेरे आप भाई हैं, जनौरा की आप लाज रखना चाहते हैं तो इसे आप छोड़िये। यह मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री भोलालाल जी यह कह रहे थे, इस सदन में चूंकि नारायणदास जी ने एक संशोधन पेश कर दिया है इसलिये उनको कांग्रेस में फूट दिखाई देती है। मेरी समझ में नहीं आता मालूम नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी में वह अभी पूर्ण सदस्य हुये हैं या नहीं, लेकिन उनको पहले ही से दृष्टि दोष हो गया। वह नहीं समझते हैं कि कांग्रेस के अन्दर में कितने ही हरिजनों ने साढ़े बारह और १६ एकड़ के लिये प्रार्थना की थी। जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं फिर भी जैसे एक हिंसक प्राणी को सपने में भी हिंसा की बात दिखाई देती है वैसे ही उनको दृष्टि-दोष हो गया है कांग्रेस पार्टी में फूट कहीं नहीं है?

माननीय गेंदासिंह जी के लिये मेरे हृदय में बड़ी पूज्य भावना है। वह किसानों के नेता हैं। उन्होंने सन् १९५४ में जमीन के पुनर्वितरण का प्रस्ताव रखा था और यह रखा था कि समान रूप से जमीन का पुनर्वितरण हो। मैंने उसमें एक संशोधन किया था कि जमीन

[श्री नारायणदास पासी]

भगवान की सम्पत्ति है, राष्ट्र की सम्पत्ति है, इसका अवश्य समान बटवारा होना चाहिये यह सिद्धान्त आज भी मान्यता को प्राप्त है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समान रूप से वितरण में २० एकड़ की हद के क्या माने हैं? अधिक मैं इसमें अब नहीं जाऊंगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह से मैं कहना चाहता हूं कि वह जौनपुर में रहते हैं। दूबे जी भी वहां रहते हैं। वह जनसंघ के नेता हैं, उनकी तरफ से २५ एकड़ का प्रस्ताव आया है। तो राजा यादवेंद्रदत्त दूबे जी भी हैं और राजा श्रीपाल सिंह जी भी हैं। वह कहते हैं २५ एकड़ और आप कहते हैं ४८ एकड़, इसमें गरीबों की हमदर्दी में कौन अग्रसर है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सहकारी खेती चाहते हैं, अगर आप देश और प्रदेश का भला चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित बात है कि आप इसको देखिये कि आपके गांव समाज के अन्दर लगभग ९३ लाख एकड़ जमीन दी गई जिसमें से ८३ लाख एकड़ तो उन गांव प्रधानों ने अपने परिवार के लिये पट्टा कर दिया।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप दुहरा रहे हैं। पहले जो बहस आप कर चुके हैं उसी को दुहरा रहे हैं। आप जरा संक्षेप में अपना भाषण रखिये।

श्री नारायणदास पासी—मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि खेतिहर मजदूरों के लिए गांव समाज मैनुअल की धारा १९८ का उल्लंघन करके जो पट्टे पर भूमि दी गई है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पट्टे रद्द कर दिये जायं और जो जमीन मिलने वाली है वह जमीन तो सरकारी है, गांव समाज की है, जनता की है, उसको लेकर सहकारी खेती करें या बांटें दोनों में हमारा हित ही है। हम लोग तो श्रमिक हैं। खेती करना जानते हैं, काम करना जानते हैं, काम करते भी हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। इसलिये किसान भगवान कहलाता है। अन्न का उत्पादक जो है वह भगवान कहलाता है। किसान और मजदूर निर्माणकर्ता है, देश की उन्नति करते हुये वह देश के स्तर को ऊंचा उठाता है। इसलिये मैं चाहता था कि हमारे माल मन्त्री महोदय, हमारे इस संशोधन की तह में जाकर बिल को देखते हुये और उसके बाद वह इस बात का निर्णय करते कि सीलिंग क्या होनी चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि चाहे पहला कदम न हो, दूसरा कदम ही सही, लेकिन मेरे इस संशोधन को वह मान लें।

***न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खंड ४ पर परसों से विवाद हो रहा है और ७ संशोधन इस पर हमारे सामने उपस्थित हुये हैं जिन पर हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सब से पहला संशोधन भगवतीसिंह विशारद जी का है जो कहते हैं कि सभी प्रकार की २० एकड़ जमीन सीलिंग के लिये निर्धारित की जाय और हमारे भाई गेंदासिंह जी ने उसकी ताईद की है। हमारे मित्र ब्रजनारायण तिवारी और हमारे मित्र बन्शीधर शुक्ल ने भी उसकी ताईद की है। बन्शीधर जी शुक्ल और ब्रजनारायण तिवारी जी के ताईद करने पर मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि भाई गेंदा सिंह जी के ताईद करने पर हुआ।

माननीय विशारद जी ने अपने प्रस्ताव को उपस्थित करते हुये मुझे कोई बात नहीं बतलाई कि आया इससे संविधान के किसी विधान पर आक्षेप है या नहीं। यह हम और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहां संविधान बनाया गया और उसको लागू किया गया तो हर एक माननीय सदस्य ने यह शपथ ली थी कि हम संविधान की पूरी-पूरी मर्यादा रखेंगे और लफ्ज ब लफ्ज उसका पालन करेंगे। हम यह समझते हैं कि विशारद जी ने भी ऐसी शपथ ली थी और हमारे गेंदा सिंह भाई ने भी ली थी। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? अगर किसी के पास अच्छी जमीन है जिसका सरकिल रेट ६ रुपये से ऊपर है तो बढ़िया से बढ़िया जमीन वह २० एकड़ पायेगा और अगर किसी काश्तकार के पास बदकिस्मती से दूसरे दर्जे की जमीन है जिसका सर्किल रेट ६ से ४ रुपये के बीच में है तो वह २० एकड़ दूसरे दर्जे की जमीन पायेगा और अगर बहुत बदकिस्मत है और उसके पास केवल तीसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्लास की जमीन है तो वह तीसरे क्लास की जमीन २० एकड़ पायेगा। इससे ज्यादा नहीं पायेगा इसमें दो रायें नहीं हो सकतं कि अच्छी जमीन में अच्छी पैदावार होगी बमुकाबले दूसरे क्लास की जमीन के और वह ज्यादा फायदा उठायेगा दूसरे क्लास की जमीन वाले के मुकाबले में और दूसरे क्लास की जमीन वाला ज्या । फायदा उठायेगा बमकाबले तीसरे क्लास की जमीन वाले के और तीसरे क्लास की जमीन वाला आदमी और कम फायदा उठायेगा क्योंकि उसमें और कम पैदावार होगी। तो जिस कानून के अन्दर इतनी विषमता हो वह किस काम का। वह कानून किस काम का जो ऐसी विषमता पैदा करे।

हमारे संविधान का आर्टिकिल १४ कहता है कि इनइक्विलिटी इन ला नहीं होना चाहिये। हम ऐसा कानून बना दें कि एक २० एकड़ वाला २ हजार पावे, दूसरा १,५०० पावे या १,००० पावे और तीसरा २०० या ३०० पावे तो यह इनइक्विलिटी इन ला है या नहीं ? तो इस तरह से मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन विशारद जी ने पेश किया है, यह बहुत गड़बड़ी का सिच्वेशन पैदा करने वाला है। इससे मैं एक नतीजा और निकालता हूं। मैं यह नहीं मानता और एक मिनट के लिये भी यकीन करने के लिये तैयार नहीं हूँ कि वह संविधान नहीं जानते। जानते हुये भी ऐसी बात करना चाहते हैं और क्यों ? ताकि यह ऐक्ट अल्ट्रा वायर्स हो जाय और लागू न हो सके, किसी पर सीलिंग न हो। यह भी एक नतीजा निकलता है। अगर मैं यह मान लूं कि विशारद जी बिल्कुल अनाड़ी हैं, गेंदासिंह जी भी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, मैं बंशीधर जी की बात नहीं कहता, लेकिन ब्रजनारायण जी भी संविधान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो हो सकता है, लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं। हमारे सधे सधाये सीजण्ड नेता हैं। वे क्या कह रहे हैं इससे बखूबी वाकिफ हैं। फिर ऐसी बात क्यों करें कि जिससे विषमता पैदा हो और विधेयक भी खतरे में पड़ जाय। इससे यह नतीजा निकलता है कि वे चाहते ही नहीं कि ऐसा विधेयक लागू हो और इस लिये एक ऐसे अण्डर हैंड तरीके से इसे हैंडिल करना चाहते हैं कि यह आटोमेटिकली खत्म हो जाय और लोग सीलिंग से बच जायें और गरीबों तक इसका फायदा न पहुंच सके। यह मैं नतीजा निकालता हूं और यह नतीजा निकलता है। मैं ठूसमठूंस नहीं करता, लेकिन ऐसी बात मानने से इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और जनता का अहित भी होने वाला है।

एक सदस्य—बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैं जो कुछ भी कहता हूं सही ही कहता हूँ। गलत नहीं कहता। हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने कहा कि बम्बई में ४ या ५ एकड़ से सीलिंग शुरू हुई। यह बात सुन कर मैंने बम्बई का विधेयक मंगवाया। वहां भी उन्होंने तय किया है कि ३,६०० आमदनी हो। तो अगर वहां की जमीन यहां की जमीन से अच्छी है, और वहां केसर पैदा हो सकती है तो वे पांच एकड़ की सीलिंग ही कर सकते हैं। हमारी जमीन जैसी है वैसी है और उसके हिसाब से ही हमने सीलिंग की है। आमदनी क. आधार मान कर ही उन्होंने सीलिंग की और जो हम ने ४० एकड़ की बात रखी है उसका आधार भी ३,६०० की आमदनी ही है। तो यह कहना कि वहां ४ या ५ एकड़ की ही सीलिंग लगायी गई है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

उसका सेक्शन ५-ए अगर हमारे मित्र पढ़ लें तो उनकी समझ में सारी बात आ जायगी और बात साफ हो जायगी। अगर इजाजत हो तो मैं उसे पढ़ दूं। वह इस प्रकार है :—

"The State Government shall determine for each class of land in each local area the extent of such land which in its opinion shall ordinarily be sufficient to yield a net income of Rs.3,600 per annum."

यह उनका क्लाज है। तो उन्होंने भी आमदनी को आधार मान कर सीलिंग मुकर्रर की और उसी को हमने भी आधार माना। हमने डिटेल्स तय कर दिये कि अच्छी जमीन के ४० एकड़ पर ३,६०० रु० की आमदनी होगी इसलिये हम ४० एकड़ तय करते हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे मित्र ने मैसूर के बारे में कहा। मैसूर में क्या है। मैसूर में फैमिली को डिफाइन किया है धारा ५ में, जिसकी की आमदनी १,२०० रुपये हो और धारा ६८ में यह

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

कहा है कि that the ceiling should consist of 3 family holdings. एक फैमिली की १,२०० रु० आमदनी हो और सीलिंग ३ फैमिली होल्डिंग के बराबर हो। तो उसे यहां भी रखा है। साढ़े १२ एकड़ का तीन गुना हमने रखा है जो ४० एकड़ होता है।

(इस समय १२ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

उन्होंने भी इसी तरह से रखा है। इसी तरह से मैसूर का भी वही आधार है। उन्होंने भी तीन फेमिल होल्डिंग्स को माना है और हम भी वही मान रहे हैं। तो जो २० एकड़ की बात कही गई वह किसी तरह से भी ठीक बैठती नहीं। आप देखें कि बाम्बे में भी लैण्ड को क्लासीफाइ किया है और उसको तीन प्रकार का माना है। यह तो नैचरल बात है कि जमीन हर जगह एक सी नहीं होती। हमारे प्रदेश में भी जमीन एक सी नहीं है। हमारे मेरठ डिवीजन की जमीन दूसरे किस्म की है, बुन्देलखण्ड डिवीजन की दूसरे तरह की है। हमारे स्टेट में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म की जमीनें हैं। वे अच्छी पैदावार वाली हैं, औसत पैदावार वाली हैं और कम पैदावार वाली हैं। इसी से हमने उसको नम्बर एक, नम्बर दो और नम्बर तीन माना है।

तो मेरा मतलब यह है कि इसी तरह और स्टेट्स ने भी आमदनी के आधार पर ही अपने यहां सीलिंग की है। हमने कोई नई बात नहीं की है। मैसूर में एरिया मुकर्रर नहीं किया गया है। किन्तु हमारे पास सब आधार थे, रोस्टर रेट्स थे, सर्किल रेट्स थे, सब कागज तैयार थे, हमारे प्रान्त ने यह काम पहले ही कर लिया था, इसलिये हमने यह काम उनसे पहले कर लिया।

हमारे भाई भीखा लाल जी ने उड़ीसा की बात कही कि वहां ३० एकड़ है। मैंने मालूम किया कि वहां पर ३३ एकड़ हैं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—मैंने बिहार के लिये ३० एकड़ कहा था। उड़ीसा में ३३ ही हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—तो ठीक है। वहां, मैं बतला रहा था कि ३३ स्टैन्डर्ड एकड़ हैं। अब स्टैण्डर्ड एकड़ की आप डिफेनीशन जरा सुन लीजिये—

"Standard Acre means—One acre of perenial irrigated land ; One and a half a cres of seasonal irrigated land ; two acres of rain-fed land ; three acres of dry land."

तो इस तरह से वहां ९९ एकड़ हुआ या नहीं ? उन्होंने स्टैण्डर्ड एकड़ माना है और उसकी डिफेनीशन दे दी है। यानी जो पैरीनियल हों उसको एक एकड़ जो सीजनल हो उसे डेढ़ एकड़ और जो रेन फेड लैण्ड हो उसको दो एकड़ और जो ड्राई लैण्ड हो उसका तीन एकड़ एक स्टैण्डर्ड एकड़ के बराबर होगा। तो हमारे मित्र ने डिफेनीशन नहीं पढ़ी लेकिन उसको कोट कर दिया। अगर वह कोट न करते तो हम ढूंढते भी नहीं। यह बिल्कुल वही हाल हुआ जैसे कि कोई वकील नजीर पढ़े नहीं और उसको कोट कर दे।

(व्यवधान)

हमारी एकरेज बिल्कुल सही है। उनकी एकरेज स्टैण्डर्ड है। यह तो लिखा पढ़ी की चीज है, हम जबानी कोई बात नहीं करते कम्यूनिस्टों का शोर मचाने वाला जाल किसान सभा में चलता होगा, लेकिन यहां नहीं चल सकता। यहां पर तो तर्क की बातें होती हैं, शोर मचाने से यहां कोई असर नहीं हो सकता।

जहां तक भीखालाल जी का ताल्लुक है उनकी बात पर न हमको एतबार है और न हमारी बात पर उनको एतबार है। गेंदासिंह जी चाहे धोखा खा जायें, जनसंघ वाले चाहे धोखा खा जायें, लेकिन हुकुम सिंह कभी धोखा नहीं खा सकते। मैं उनसे बड़ा सतर्क रहता हूं। उन का तो हिसाब यह है कि आन्दोलन में शरीक हो गये, अगर कामयाब हो गये तो लीडर और नहीं कामयाब हुये तो अलग। मैं कभी ऐसा खतरा नहीं मोल लेता। मैं हमेशा सही बात का साथ

देता हूं, गलत बात के मैं नजदीक नहीं जाता। भीखालाल जी को मालूम होना चाहिये कि उनमें हम कभी विश्वास नहीं करते। अगर वह सोने की अशरफी की थैली भी देने लगें तो भी मैं समझूंगा कि इसमें कोई खतरा है।

एक बात मैं और कहूंगा। इतनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें ९ सदस्य हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी का एक सदस्य भी सपोर्ट करने के लिये नहीं मिला। झारखंडेराय जी कल बैठे थे, लेकिन वह भी चले गये क्योंकि वह जानते थे कि यह बेकार बात है इसको क्या सपोर्ट करूं। यही कैफियत हमारे विष्ट जी की भी है। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे उनके लीडर हैं, लेकिन वह कभी नहीं आये। वह समझदार आदमी हैं, वह इस खुराफात में नहीं पड़ते। वह समझते हैं कि सरकार जो विधेयक लाई है और सीलिंग मुकर्रर करने जा रही है वह निहायत माकूल और वाजिब है। इतने बड़े आदमी गलत बात की ताईद नहीं कर सकते।

कुंवर श्रीपाल सिंह जी से तो मैं आखिर में बात करूंगा क्योंकि सिर्फ ८ एकड़ का फर्क है। वह कहने से ८ एकड़ वापस ले लेंगे, यह मैं जानता हूं क्योंकि अब भी अगर जमींदारी चली गई वजादारी नहीं गई है। वह वजादार लोग हैं, ऐसी बात करेंगे।

(व्यवधान)

जालौन में वजादारी नहीं होगी लेकिन अवध और जौनपुर में है।

हमारे भाई रामसुन्दर पांडेय ने कहा कि देखें उस तरफ के बैठने वाले कितने पानी में हैं, उन्होंने ललकारा था। हमारे पानी को तो वह शक करें जिसमें कुछ पानी हो, लेकिन जो खुद बेपानी का हो वह दूसरे के पानी को क्या शक कर सकता है। हम बहुत पानी में हैं। लेकिन वह या तो पानी पानी है या बे पानी हैं। हमने जो विधेयक सदन में उपस्थित किया वह बहुत सोच समझ कर किया है, उसके उद्देश्य और कारण भी स्पष्ट हैं।

उधर भजनलाल जी का बड़ा लम्बा व्याख्यान दो रोज हुआ। वह समझते हैं कि यह विधेयक ही एक ऐसी दवा है जिससे लैन्डलेस के सारे मर्ज दूर हो जायेंगे। यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि जो कुछ हमने किया है वही काफी होगा, लेकिन यह उस मर्ज की एक दवा जरूर है, यह तन्हा दवा नहीं है। हमने तो अपने स्टेटमेन्ट आफ रीजन्स में कह दिया है "टू दि एक्सटेंट पासीबिल" यानी जितना हम से इस हालत में हो पा रहा है उतनी हम अपने गरीब भाइयों की मदद कर रहे हैं। जितनी हम कर सकते हैं उतनी उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। यह तो हमारा पहला स्टेप है। हमने यह तो कहा नहीं है कि ४० एकड़ की सीलिंग हमने बिलकुल मुस्तकिल कर दी है। कल ही हालत बदले और जमाना पल्टे, दूसरे लोग आयें और जरूरत समझें तो कम भी कर सकते हैं लेकिन मौजूदा हालत में हम यही मुनासिब समझते हैं। जो लोग कहते हैं कि १२,२०, २५ या ३० एकड़ कर दीजाय, वे अपनी नाक के आगे देखने की कोशिश नहीं करते।

मान लीजिये कि साढ़े बारह एकड़ कर दी जाय और कल को भगवान की कृपा से भीखालाल जी के ५ लड़के पैदा हो गये तो एक एक हिस्से में दो दो, ढाई ढाई एकड़ आयेगी। तब भीखा लाल जी के लड़के डाक्टरी, इन्जीनियरिंग या आई० ए० एस० के लिये हायर एजूकेशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से वे मिडिल पास उनको करायेंगे और मेरे आपके पास आयेंगे कि गन्ना विभाग में इनको काम दिला दीजिये। लेकिन कम्युनिस्टों की तो यह पालिसी ही है कि शहर के लोग पनपें और देहात के लोग गारत हों, ताकि शहर वाले उन पर हावी रहें। अगर हमारे बच्चे के पढ़ाने के लिये हमारे पास साधन नहीं हैं तो हमारे वे बच्चे जो विद्वान हैं, मेधावी हैं, तालीम पाने से वंचित हो जायेंगे। नतीजा यह होगा कि शहर के लोगों के लड़के डाक्टर होंगे, इन्जीनियर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेन्ट होंगे। बिना पढ़े-लिखे मिनिस्टर भी न बन पायेंगे तो पोलिटिकल लीडरशिप भी उनके हाथ से निकल जायगी। देहात का वोटर होगा और लीडरशिप शहरों के हाथ में होगी। अगर लेक्चर से वोट प्राप्त कर के यहां आ भी गया तो सर्विसेज से कशमकश होगी। हम देहात की तरफ खींचेंगे और वह शहरों की तरफ खींचेंगे।

एक सदस्य—आज भी तो ऐसा ही होता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आज ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आज होता भी हो तो भी वह हमारे फेवर में ही जाता है। लिहाजा हमें ऐसा करना चाहिये कि गांव के बच्चे तालीम से महरूम न रह जायें।

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—जिन के पास नहीं है उनको क्या देंगे?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उनको भी हम छोटी इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करेंगे। आप जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर पायेंगे तो सोलह आने किसी को तबाह व बर्बाद कर देने की हमारी नीति नहीं है। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आयी, क्योंकि आप एक दूसरा ही ऐनक लगाये हुए हैं जो माइनस है। उस ऐनक से यह बात नहीं देखी जा सकती। ऐनक प्लस होता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य सुनने की कोशिश करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इन सब बातों से घबड़ाता नहीं हूं। अगर माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इजाजत देंगी तो मैं दिन भर इसी तरह से बोलता रहूंगा चाहे वे कितना भी इन्ट्रप्शन करते रहें, लेकिन मेरी बात आपको सुनना पड़ेगी, अगर न सुनना चाहें तो चले जायं, इसके लिये कोई रोकता नहीं। आपके समाजवाद में मुझे विश्वास नहीं है। मेरी पूरी हमदर्दी गरीबों के साथ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी हमदर्दी गरीबों के साथ इस सरकार की है वह किसी से पीछे नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य खामोश रहने की कोशिश करें तथा सुनने की कोशिश करें।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जनता ने हमें यहां बैठाया है जनता का सहयोग हमें यहां हासिल है इसी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं, लिहाजा अगर कोई कहे कि जनता हमारे खिलाफ है तो वह बिल्कुल सेल्फ कंडेम बात होगी। तो इन सब बातों को अगर देखा जाय तो ४० एकड़ की सीलिंग जो रखी गयी है वह इसलिये है कि अगर ज्यादा न हो तो कम से कम एक सफेद कुर्ता तो शरीर पर रहे। बहुत बातें कही गयीं कि पहले ३० एकड़ सीलिंग की बात की गयी, फिर साढ़े १२ एकड़ सीलिंग की कही गयी और अब ४० एकड़ क्यों किया जा रहा है। हमारे जिन मित्रों ने यह आर्गूमेंट दिया वे भूल गये कि यह फ्यूचर एक्वीजीशन के लिये कहा जाता है। ३० एकड़ या साढ़े १२ एकड़ मान लेने का मतलब यह तो नहीं होता कि आज जिनके पास ज्यादा है उसे काट कर साढ़े १२ एकड़ कर दिया जाय। वह न पहले था और न यह किसी वधेयक का अंग है।

जहां तक सोशलिज्म की बात कही गई, मैं उस सोशलिज्म में बिलीव नहीं करता जिसमें एक तरफ से सब को गरीब बना दिया जाय। मैं तो उस सोशलिज्म में विश्वास करता हूं। जिसमें कि सड़क के इस तरफ महल बना हुआ है और दूसरी तरफ झोंपड़ी है तो महल भी कायम रहे और झोपड़ी भी एक मंजिल की, दो मंजिल की जाय या तीन मंजिल की हो जाय। यह नहीं हम चाहते कि महल की जगह वहां बिल्कुल एक खंडहर सा हो जाय और झोंपड़ी की जगह महल हो जाय और फिर वह जगह पहली जैसी ही दिखलायी पड़ने लगे। हमारा पैटर्न सोशलिज्म का इस तरह का है कि हम कुछ हद्द तक जो गरीब हैं उनको ऊंचा उठाते जायं ताकि आगे चल कर वे सब एक लेविल पर आ जायं। हम इसी तरह का सोशलिज्म प्रतिपादित करना चाहते हैं और उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं।

माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने अपना हिसाब लगाया और हमने अपना हिसाब लगाया। इसमें कहिये कि केवल मैथमेटिकल बात है। उनके हिसाब से ४८ एकड़ आता है और हमारे हिसाब से ४० एकड़ आता है। बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे

मैंने शुरू में ही कहा कि उधर वाले बहुत से माननीय सदस्य हैं जो पहले कांग्रेस में थे और जब हमने जमींदारी विनाश बिल पास किया था तो उन्होंने हमारे साथ वोट किया था हालांकि वे एक हाथ यों करते रहते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, इससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। कोई मजबूरी से नहीं बल्कि वजोदारी से उन्होंने त्याग किया। कोई कम्पलशन नहीं था। किसी पार्टी में होने पर पार्टी डिसिप्लीन मानना वजोदारी की बात हुआ करती है तो उन्होंने हमारे साथ वोट किया। और हम समझते हैं कि अगर हम इस समय भी उनसे कह दें तो हमारा विश्वास है कि वे सेक्रिफाइस करने के लिये तैयार हैं। वह तो तैयार हैं और तैयार रहेंगे, लेकिन अगर आप भड़काते रहेंगे तो भले ही वह तैयार न हों, वैसे वह राजी हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---जिस में देश का लाभ है उसके लिये अवश्य तैयार हैं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--बलिया वालों की समझ में चाहे न आये, लेकिन हम तो अवध के हैं हम सब जानते हैं। तो मैं हिसाब की बात कह रहा था, हमारे हिसाब से, हमारे मैथमेटीशियन अगर गलत हैं तो हम भी गलत हो सकते हैं। इसमें २ राय नहीं हैं कि हमारे सूबे में मेरठ डिवीजन का औसत ८ रुपया प्रति एकड़ से कम नहीं है सर्किल रेट के हिसाब से। और ८ ही नहीं वहां ६, ८, १०, १२, १४, और २० तक है, कछियाने का वहां २० तक है। ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि हम हर क्लास को जमीन का रकबा दरयाफ्त करते फिरें कि ७, ८, १० , १२, १४, १६, और २० वाली कितनी जमीन है,। लेकिन यह सम्भव नहीं, इसलिये औसत जब हम निकालते हैं तो सवा सात के हिसाब से ३,६०० रु० की आय होती है और ७ के हिसाब से वह ३,५००, रु० होती है और साढ़े सात के हिसाब से ३,७५०, होती है। इस लिये हम ३,६०० रु० की गारंटी करते हैं। आज सवेरे मैंने भी अपनी मैथमेटिक्स को रिवाइज किया तो हमारा हिसाब भी यही बैठता है। तो यह सब हिसाब बैठाने के बाद हम ने ४० एकड़ की सीलिंग फिक्स की, इसी हिसाब से सेकिन्ड क्लास की ज्यादा हो जायगी और थर्ड क्लास की और ज्यादा हो जायगी। तो मैं समझता हूं कि वैसे ही कहा जाता है कि जमीन कम मिलेगी। ४० की ४८ मांगें तो वह और ज्यादा कम हो जायगी। इसी वास्ते मैं ४० पर ही कदम जमाये हूं। मेरे खयाल से कुंवर श्रीपाल सिंह जी के हिसाब से भी ३,६०० नहीं आता है। ४० एकड़ में तो उन का दावा है कि हम स्पेशल काश्तकार हैं, अच्छा पैदा करते हैं, भगवान की दया से उन के पास तमाम रिसोर्सेज हैं, उन के पास इम्प्रूव्ड इम्पलीमेंट्स हैं, वैज्ञानिक ढंग से वह ज्यादा पैदा कर सकते हैं। जाहिर है कि कछियाना आराजी में ३,६०० और ३,७०० से ज्यादा पैदा होगा। इस तरह से अगर १००-५० की कमी भी होगी तो वह भी पूरी हो जायगी। हमारे आप के हिसाब में फर्क नहीं है, फर्क तो आप के और भीखालाल जी के हिसाब में है, फर्क आप के और गेंदासिंह जी के हिसाब में है, फर्क तो आप के और श्री गोविन्दसिंह विष्ट के हिसाब में है, आप के और श्री हिम्मत सिंह जी के हिसाब में है, लेकिन हमारे आप में कुछ पोलिटिकल फर्क तो है, लेकिन हिसाब किताब में ज्यादा फर्क नहीं है।

एक सदस्य : आप को फर्क नहीं मालूम होता।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--जी हां जो सावन में अंधा होता है उस को हरा ही हरा दिखाई देता है, न मालूम कितना फर्क हुआ, जिम्मेदारी जब्त हुई, कितनों को तबाह व बरबाद किया, आप को वह दिखाई देता है। उन के साथ मैं भी खत्म हो गया, मैं भी जमींदार था, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। आप जिन्दगी भर ऐसे ही देखते रहेंगे, आप की साइट जरा भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि इस में बहुत सोच समझ कर यह बातें रखी गई हैं।

हमारा ध्यान नारायणदास पासी जी ने अपने संशोधन द्वारा खींचा, मुझे बड़ी खुशी है उन्होंने मेरी आंख खोल दी और उन्हीं की ताईद में मैंने यह कहा कि यह फाइनल नहीं हो सकता, हालात बदलेंगे तो यह भी बदलेगा। लिहाजा सरेदस्त जो हमने रखा है उसे हमारे मित्र मानेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा, उनका जो व्यू हो सकता था उसको अपना अमेंडमेंट मूव करके सदन

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

के सामने रख दिया, उनका काम पूरा हो गया, अब वह कृपा कर अपना अमेंडमेंट वापस जरूर लेंगे। माननीय भीखा लाल जी से क्या कहूं वह तो हटवादिता के पुजारी हैं, शायद डिवीजन भी चैलेंज करें, कोई ताज्जुब नहीं है। हालांकि वह भी समझ गये दिल में। जो मैंने ५ बच्चों की बात कही तो तबियत थर्रा गई। तो वह भी हमारी बात से सहमत हैं, लेकिन करें क्या लीडर भी उनके चले गये जिनसे सलाह करें।

माननीय गोविन्दसिंह विष्ट अपनी बात कह गये और चले गये, लेकिन उनकी पार्टी के भुवनेशभूषण शर्मा जी हैं वह एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। माननीय भगवतीसिंह विशारद जी का बहुत ही गड़बड़ है। माननीय गेंदासिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, हम एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं और उनकी समझदारी की तारीफ करते हैं, लिहाजा आप आज उनको नेक सलाह दीजिये कि अपना संशोधन वापस ले लें। माननीय भीखालाल जी मानेंगे नहीं, शायद भारतीय जी अगर कहें तो मान जायं। राज साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह जरूर अपना संशोधन वापस कर लें।

श्री भजनलाल---मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सीलिंग के बाद कितने एकड़ जमीन रह जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३ सितम्बर, १९५९ की प्रोसीडिंग में मेरा बयान पढ़ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---इन संशोधनों पर वोटिंग २ बजे के बाद होगी। अतः श्री भगवती सिंह जी अपना संशोधन पेश करें।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं और अगर वह समझते हैं कि उनकी सीलिंग से देश हित होगा, उनको अगर इत्मीनान है तो मैं अपना ४८ एकड़ का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री हुकुम सिंह विसेन---मुझे इत्मीनान है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अधिष्ठात्री जी, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ४ के उपखण्ड (२) (ख) को पृथक कर उसके स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं--

"यदि खातेदार के परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (क) में उल्लिखित क्षेत्र और उसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये सभी प्रकार की भूमि के पांच एकड़ अधिक का होगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के १५ एकड़ से अधिक न होगा।"

महोदया, जैसा कि अभी सदन में खंड ४ के सम्बन्ध में विवाद चल रहा था और चूंकि उस विवाद का अन्त नहीं हुआ है यदि उसका अन्त हो गया होता और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो अपने आप यह जो संशोधन दिया है वह स्वीकृत हो जाता, मैंने सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है अपने संशोधन के द्वारा कि अधिक से अधिक सीमा निर्धारण २० एकड़ की जाय। अगर २० एकड़ की सीमा निर्धारित की जाती है तो इस प्रकार परिवार के ५ व्यक्तियों के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य होंगे उन्हें प्रति व्यक्ति ५ एकड़ अतिरिक्त भूमि मिल सके किन्तु १५ एकड़ अधिक न होगा। और जैसा कि प्रस्तुत विधेयक में ८ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से ३ व्यक्तियों को २४ एकड़ जमीन दिलवाई गयी है उसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि प्रति व्यक्ति ८ के बजाय ५ एकड़ की जाय और वह १५ एकड़ से अधिक न हो। जब

मैंने ५ एकड़ का संशोधन रखा है तो उस संशोधन के स्वीकार किये जाने के तर्क में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एवरेज होल्डिंग ३.५ है और इन ३.५ की होल्डिंग रखने वालों की संख्या जितने भी खेतिहर लोग हैं उनमें लगभग ७० प्रतिशत है। तो ७० प्रतिशत लोगों के पास जमीन ३.५ एकड़ है और उसके साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि हमारे प्रदेश में सवा ६ एकड़ जमीन भी लाभकर जमीन है। तो सवा ६ एकड़ जमीन यदि लाभकर है और उसके साथ ही साथ ३.५ एकड़ एवरेज होल्डिंग है तो ५ एकड़ की जमीन एक व्यक्ति के पास और बढ़ जाना चाहिये। सवा ६ एकड़ या ८ एकड़ की बात इसलिये रखी गयी कि जमीन बढ़ने से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर उसके अन्दर नहीं पड़ेगा। २० एकड़ की होल्डिंग में जो खर्चा चल रहा है उसी हल बैल से, श्रमिक और परिश्रम से ५ एकड़ के हिसाब से जमीन बढ़ेगी उसका खर्च चल जायगा। वह अलाभकर जोत नहीं, लाभकर होगी। इसलिये मैंने ८ एकड़ के बजाय ५ एकड़ जमीन कर देने का प्रस्ताव रखा है और उसकी अधिकतम सीमा १५ एकड़ से अधिक न हो। इस प्रकार जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसमें एक फैमिली होल्डिंग २० और १५ अर्थात् ३५ से अधिक नहीं हो सकती। विधेयक के रूप में जो प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत है उसे स्वीकार किया जाय तो ४० एकड़ के साथ २४ एकड़ और मंजूर किये जायेंगे, इस तरह से ६४ एकड़ की जमीन हो जायगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो हरदम लैंड रिफार्म की बात करते हैं। तो सुधार का काम आधे दिल से नहीं होते। पूरी हिम्मत के साथ किये जाते हैं। आपने स्वयं मंजूर किया है इस बिल के उद्देश्य और कारणों में कि हम भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं और इसके लिये भूमि सुधार का कानून प्रस्तुत कर रहे हैं और इस प्रदेश में जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध हो जाय। जब आप जमीन दिलवाने के लिये रिफार्म का काम करना चाहते हैं तो फिर इस बात की आवश्यकता है कि आप हाफ हार्टेड काम न करें, पूरी हिम्मत तथा मजबूती के साथ काम करें वर्ना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन मिलने वाली नहीं है।

मंत्री जी ने राजाओं को जब आश्वासन दे दिया कि उनका बाल-बांका होने वाला नहीं है तो उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया। मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह यह आवश्यक समझते हैं कि हमारे प्रदेश में असमानता दूर हो, प्रदेश की गरीबी दूर की जाय, उत्पादन बढ़ाया जाय या दिन पर दिन बढ़ती हुई बेकारी दूर की जाय तो आवश्यक है कि जो पांच एकड़ का प्रस्ताव परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये रखा है उसको स्वीकार करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति के पास वह सम्पत्ति नहीं होती जिससे उसका लगाव हो तो उससे तब तक यह कहा जाय कि वह देश प्रेम प्रकट करे सम्भव नहीं है। इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि सरकार तो २४ एकड़ देने जा रही है वह कम की जाय और इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

***श्री हुकुमसिंह विसेन**--मैं इस संशोधन के लिये.....

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---महोदया इसमें जो सातों संशोधन हैं सब इकट्ठे हो जावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---राजा साहब, यह अपने किस्म का फुटकर है।

श्री अधिष्ठाता---यह अलग हैं। इसको हो जाने दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने श्री भगवती सिंह का संशोधन पढ़ा। इनका कहना है कि २० एकड़ का तो सीलिंग लगा दीजिये और ऐडीशनल पर ५ एकड़ और १५ एकड़ से ज्यादा न हो। यही तात्पर्य मैंने समझा। अब २० एकड़ को तो अगर ५ आदमियों में बांटेंगे किसी परिवार में तो चार-चार एकड़ और जो ऐडीशनल हो उसको ५ एकड़, तो यह तो डिस्क्रीमिनेशन है। तो इस वजह से मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। इस विधेयक में यह एक कानूनी दुख हो जायगा जिसकी वजह से विधेयक खतरे में पड़ जायगा।

जो शक मैंने जाहिर किया था वह अब दृढ़ होता जा रहा है कि कहीं से घुमाव ला दो ताकि यह बिल खत्म हो जावे। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद--माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मंत्री जी को यह बारबार शक होता है कि जो संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं उनका उद्देश्य बिल में देरी करने का होता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं वह इसलिये कि जो कमियां हैं इस बिल की वह दूर हो जायं।

उन्होंने २० एकड़ के चार-चार एकड़ बटवारे और ५ एकड़ अतिरिक्त वाली बात जो कही तो उन्होंने स्वयं आगे चल कर स्वीकार किया है कि फेमिलो में डिवीजन होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिवीजन होगा, लेकिन डिस्क्रीमिनेशन नहीं चाहते।

श्री भगवतीसिंह विशारद--तो जब डिवीजन होगा तो उसके लिये यह आवश्यक है कि कुछ इस तरह की सुविधा अवश्य रखी जाय।

उसी के साथ यह भी है कि वह लाभ कर जोत भी रहे और ५ एकड़ जमीन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कृषि के लिये लाभ कर होगी। फिर ८ एकड़ रखने से तो डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा और ५ एकड़ कर देने से डिस्क्रीमिनेशन हो जायगा यह कैसे होगा?

यह बात नहीं है कि जैसा मंत्री जी कहते हैं कि हम घुमा फिरा कर इसी बात पर आते हैं कि किसी तरह से इसमें फेरफार कर देर की जाय। हम बिल्कुल फेरफार नहीं करना चाहते। जिससे देर हो। विधेयक जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी यह बिल पास हो और भूमिहीनों को जमीन मिले और मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे जो कहना था वह कह चुका, अब कोई विशेष बात नहीं कहनी है क्योंकि जो जवाब उन्होंने दिया है वह हठवादिता पर आधारित है।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "आठ" के स्थान पर "ढाई" और पंक्ति ५ में शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय।

इस संशोधन के पेश करने का केवल एक ही मन्शा है। हमारे माल मंत्री जी ने बहुत जोर से और नाटकीय ढंग से इस सदन के सामने यह साबित करने की कोशिश की कि ४० एकड़ की जो सीलिंग वह कर रहे हैं वह अधिक नहीं है, लेकिन इसमें २४ एकड़ और जोड़ दिया जाय तो ६४ एकड़ की सीलिंग है। मूल विधेयक में ५ रुपये मौरूसी दर जिस खेत का लगान हो वह अच्छे प्रकार की भूमि थी और जब ६ रुपये से ऊपर मौरूसी दर वाली भूमि को अच्छे प्रकार की भूमि मान लिया गया तो ४० एकड़ का ६० एकड़ तो यों ही हो गया। इस प्रकार जो मूल विधेयक में जमीन बच सकती थी तो मूल उद्देश्य के प्राण ही नष्ट हो गये। अब तो अच्छे प्रकार की भूमि की सीलिंग ४० एकड़ नहीं बल्कि ६४ एकड़ है और दूसरे नम्बर की भूमि की सीलिंग ९६ एकड़ है और तीसरे नम्बर की भूमि को १२८ एकड़ है। अगर मंत्री जी इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात को मान लें तो जैसी परिभाषा उन्होंने परिवार की की है उसमें एक ही आदमी बच जाता है क्योंकि वह स्पष्ट नहीं है । जहां चकबन्दी ऐक्ट लागू है वहां चकबन्दी कानून के हिसाब से जो बटवारा हो जायगा उसको वह मानेंगे चाहे २० अगस्त के बाद हुआ हो, चाहे उसके पहले हुआ हो ।

इसके अलावा इस विधेयक में बाग आदि के नाम पर जमीन की छूट दी गई है और धारा ८ बेदखली के लिये रखी गई है । मैं इ . निश्चित मत का हूं कि यह सरकार दो आंख से इस प्रदेश के किसानों को देखती है । भूमिधर और सीरदार के नाम पर जमींदारी विनाश से लेकर आज तक इस प्रदेश में जो सीरदार रह गये हैं जिन्होंने १० गुना नहीं दिया है उनके साथ यह सरकार समानता का ब.व नहीं कर रही है । मैं इस सरकार और कांग्रेस बेंचों पर बैठने वाले लोगों से पूछता हूं कि वह क्यों इस तरह का ब.र्ताव प्रदेश के किसानों के साथ कर रहे हैं ? धारा १६ यह प्रोवाइड करती है कि सीलिंग होने के बाद १० एकड़ और भूमि बाग लगाने के लिये दी जायगी । ४० में २४ जोड़िये तो ६४ हु ग और उसमें १० जोड़िये तो ७४ एकड़ की सीलिंग होती है । ऐसी हालत में मैं उधर बैठने वाले हरिजन भाइयों से आग्रह करूंगा, जो पिछले १३ साल से नारा लगा रहे हैं कि कांग्रेस हमारी है, वे इस पर जरा गौर करें कि यह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जो ७४ एकड़ की अच्छे प्रकार की भूमि को सीलिंग करने जा रहे हैं ?

६४ एकड़ और १० एकड़ मिलाकर यानी ७४ एकड़ की सीलिंग उनको दी जा रही है और दूसरी ओर बंटवारे के लिये प्रावीजन रखा है साढ़े तीन एकड़ के हिसाब से । ऐसा आपने क्यों रखा है ? इस तरह से कैसे आप समाज की असमानता को दूर कर सकेंगे ?

आपने कल कहा था कि भीखालाल जी की परम्परा है कि वह देहात को गरीब बनाना चाहते हैं । कल कुंवर साहब ने कहा कि उन्होंने किसी विद्वा र का लेख पढ़ा है कि जमींदारों और राजाओं की समाप्ति के बाद पूंजीवादी प्रजातंत्र आता है तो यह पूंजीवादी सरकार है । लेकिन राजा साहब को यह नहीं भूलना चाहिये कि इसी किताब में यह भी लिखा है कि पूंजीवादी प्रजातंत्र में ठोकर खानी पड़ती है । फिर भी आप सरकार के साथ गठबंधन किये हुये हैं । अगर आप इसके साथ गठबंधन करेंगे तो आगे चलकर आप इस पर सोचने के लिये मजबूर होंगे कि पूंजीवादी प्रजातंत्र के साथ रहें या किसानों को आगे बढ़ायें ।

डैमोक्रेटिक सेट आप के नाम पर यह भी कहा गया कि यह वोट लेने का तरीका है । किसान सोच रहा है कि जमींदारियां खत्म हो गईं, चकबन्दी हुई और अब सीलिंग होने जा रही है तो हमें उस में कुछ मिलेगा या नहीं । मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सोच समझकर यह बिल बनाया है, लेकिन अगर देहात में लोगों से पूछा जाय कि आप लोग इसको पसन्द करते हैं तो कोई नहीं करेगा ।

एक तरफ तो लोग भूखों मरते हैं और दूसरी ओर कानून के द्वारा जिनके पास अधिक है उनके लिये ७४ एकड़ जमीन छोड़ने की बात की जाती है । इसके अलावा यह कि मंत्री जी ने कहा था कि यह अंतिम नहीं है । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि क्या यह कोई मखौल है कि एक घंटे में हजारों रुपया खर्च होता है और बार बार संशोध । लायें और इसकी बहस में गरीब जनता से जो टक्स में रुपया लिया जाता है वह व्यर्थ में खर्च हो और उसक कुछ उद्देश्य न निकले तो ऐसा करने से क्या लाभ है ? अगर सरकार द्वारा यह लाया गया होता कि भूमिही किसानों को ४० डेसीमल जमीन देंगे तब भी कोई बात थी और मैं समझता कि इसमें आपकी ईमानदारी है, आपका लिहाज है । लेकिन आपने जो सीलिंग की वह बड़े लोगों के लिये ही की है । आप इन लोगों के लिये ही मैनोबरिंग कर रहे हैं । जो आधारभूत आर्थिक रीढ़ है देश की और जिसके बल पर समाज की गाड़ी खिंच सकती है उनके हित के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ आप यह ऐक्ट पेश कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी प्र ा सोशलिस्ट पार्टी की इस बात को मान लें कि अगर एक परिवार के पास २० एकड़ जमीन रहेगी तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी । यह स्वराज्य का युग है. . . .

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठात्री महोदया, ४० एकड़ और ३० एकड़ वाली बात पर विवाद समाप्त हो चुका है और उसी पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं । इस तरह से काम नहीं चलेगा । आप इस संबंध में अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपने संशोधन पर ही सीमित रहें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अधिष्ठात्री महोदया, ४० एकड़ के बाद धारा ४ है उसमें यह २४ एकड़ जोड़ना चाहते हैं और प्रजा समाजवादी पार्टी १० एकड़ जोड़ना चाहती है । इसलिये इन दोनों का एक हः लिक है ।

श्री अधिष्ठाता—आप बार बार न दुहरायें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अधिष्ठात्री महोदया, कोई विरोधाभास नहीं है । मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि प्रजा समाजवादी पार्टी का यह निश्चित मत है कि अगर इस देश की तरक्की करना चाहते हैं, आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, तो यह निश्चित है कि एक आदमी को जीने का एक ही अधिकार दें । ऐसा न हो कि फार्म भी रख सकें, कारखाने भी चला सकें, उसके बाद इस विधेयक के अन्दर ४० एकड़, ६४ एकड़ और १२८ एकड़ जमीन भी लें । यह चरणसिंह जी की जो मंशा थी कि बड़ी जोत वालों पर टैक्स लगाया जाय उसके भी विपरित है । वृहत् जोत के द्वारा जो लोग टैक्स देते थे इस ऐक्ट के द्वारा वह भी समाप्त हो गई । तो इस ऐक्ट के द्वारा उस वर्ग को सुविधा दी जा रही है । इसलिये मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय भीखालाल जी, आप अपने संशोधन के पहले भाग को पेश न करें क्योंकि वह ऊपर पेश हो चुका है, इसलिये रिपीटेशन हो जायगा। आप दूसरा भाग पेश करते हैं —"पंक्ति पांच में प्रयुक्त अंक "चौबीस" के स्थानपर "७ १/२ "रख दिये जायं' ।

श्री भीखालाल—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति पांच में प्रयुक्त अंक "चौबीस" के स्थान पर "७, १ २" रख दिया जाय ।

महोदया, इससे पहले जो संशोधन पेश हो चुका है कि आठ के स्थान पर ढाई रख दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं । मेरा भी संशोधन ऐसा ही था ।

माननीय भगवतीसिंह जी से माननीय मंत्री जी ने यह शिकायत की कि चूंकि आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, आप का संशोधन विधान के अनुकूल नहीं है इस लिये मैं मानने को तैयार नहीं हूं । मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा संशोधन कोई भेदभाव नहीं करता लेकिन सरकार ने जो रखा है वह भेदभाव जरूर करता है । सरकार इस विधेयक के जरिये भेदभाव करती है । जहां पांच के ऊपर किसी परिवार में सदस्य होते हैं वहां आप ८ एकड़ देते हैं । वहां भेदभाव नहीं है, लेकिन दूसरी जगह भेदभाव है जिसके कारण मैं आठ एकड़ का विरोध करता हूं । सीलिंग लगाने के बाद जो जमीनें भूमिहीनों को प्राप्त होंगी उनके पांच आदमियों के परिवार को तीन सही एक बटा आठ एकड़ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ चाहे एक परिवार में ५ सदस्य हों, ६ सदस्य हों या आठ सदस्य हों, एक आदमी पर ८ एकड़ देना चाहते हैं । मैं यह पूछता हूं कि क्या यह भेदभाव नहीं है ? क्या इससे विधान का पालन होता है ? इस लिये मैं इसका विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि इस की जगह पर ढाई एकड़ हो और ज्यादा से ज्यादा साढ़े सात एकड़ दिया जाय । मैं इस तरह से अपने संशोधन को पेश कर रहा हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ के भाग (ख) की पंक्ति ३ में "आठ" के स्थान पर "चार" और पांचवीं पंक्ति के "चौबीस" के स्थान पर "१२" रख दिया जाय ।

इस संशोधन के रखने से मेरा उद्देश्य यह है कि जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक का रखा है उसकी कुछ पूर्ति हो जाय । इस विधेयक का उद्देश्य है कि भूमिहीनों को कुछ भूमि मिले । जो भूमि आज खातेदारों के पास है उसे यदि हम एक न एक प्रतिबन्ध के द्वारा उन्हीं के हाथ में सौंप देंगे तो मुझे बड़ा सन्देह है इस बात पर कि आया कुछ भूमि हमें मिल सकेगी जो हम भूमिहीनों को दे सकेंगे और उससे जो हमारे देश की एक विकट अन्न समस्या है उसका हम कोई हल निकाल सकेंगे ?

हमारी सोशलिस्ट पार्टी का खंड ४ के उपखंड (क) पर जो संशोधन था वह यह था कि ४० एकड़ के स्थान पर २० एकड़ भूमि दी जाय । परन्तु जो लक्षण इस समय है वह यह है कि सरकार ने अन्य विरोधी दल के और हमारी पार्टी के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है और चूंकि संख्यासुर उनके साथ में है इसलिये हम समझते हैं कि ४० एकड़ ही अधिकतम जोत की सीमा रहेगी और ऐसी ४० एकड़ भूमि जिसका लगान कम से कम ६ रुपया प्रति एकड़ हो । अब उसी के साथ साथ सरकार यह भी चाहती है कि इस धारा के द्वारा २४ एकड़ भूमि और सुरक्षित कर दे । मैं खंड ४ के उपखंड (२) के उपखंड (ख) को जैसा मेरे संशोधन के बाद उसका रूप होता है उसे आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—"यदि खातेदार के परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (क) में उल्लखित क्षेत्र और इसके अतिरिक्त, परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये अच्छी प्रकार की भूमि के चार एकड़ अधिक का होगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के बारह एकड़ से अधिक न होगी" ।

मान्यवर, विचाराधीन खंड प्रवर समिति से जैसा संशोधित होकर आया है उसके अनुसार २४ एकड़ भूमि इस प्रकार खातेदार को और मिल जाती है यदि उसके परिवार में ५ से अधिक तीन सदस्य और हों । हमारी पार्टी का सिद्धान्त यह है कि जहां २० एकड़ एक खातेदार के लिये अधिकतम जोत की सीमा हो वहां साथ ही में यदि उसके परिवार में एक व्यक्ति और अधिक हो ५ से तो चार एकड़ आप उसे दे देंगे और यदि तीन हों तो १२ एकड़ तक देंगे । इस प्रकार कुल अधिक से अधिक भूमि एक खातेदार के पास २० और १२, ३२ एकड़ तक हो । मैं समझता हूं कि माननीय भगवती सिंह विशारद ने जो ५ एकड़ प्रति अतिरिक्त व्यक्ति को दिये जाने का प्रस्ताव रखा था उस पर माननीय मंत्री जी ने जो एतराज किया था, वह यह है कि २० एकड़ तो माननीय भगवतीसिंह जी ५ व्यक्ति के परिवार को देना चाहते हैं, जो ४ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ता है तो उनके संशोधन के द्वारा ५ से अतिरिक्त व्यक्तियों के लिये ५ एकड़ प्रति व्यक्ति देना असंगत है । मेरे प्रस्ताव में यह दोष नहीं है मैं चाहता हूं कि जब आप ४ एकड़ के हिसाब से ५ व्यक्तियों के परिवार को २० एकड़ देंगे तो परिवार से अतिरिक्त व्यक्ति भी प्रति व्यक्ति आप ४ एकड़ के ही हिसाब से दें । इस तरह से बटवारे में कोई फर्क नहीं आयेगा और तीन व्यक्तियों को आप १२ एकड़ तक देंगे तो २० और १२ मिलकर ३२ एकड़ अधिक से अधिक सीमा होगी लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की नीयत ४० एकड़ से कम करने की नहीं है, ऐसी सूरत में, मैं फिर अपने संशोधन को आवश्यक समझता हूं । सरकार ४० एकड़ और १२ एकड़ तीन व्यक्तियों पर रखे तो ५२ एकड़ तक हो जाता है । इससे अधिक देने के लिये हमारी पार्टी किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है । हम चाहते तो यह थे कि ३२ एकड़ ही सीमा अधिक से अधिक रहती । परन्तु जब सरकार ४० एकड़ देने पर ही उतारू है और जैसा मुझसे पहले कुछ माननीय सदस्यों न कहा कि उसने स्वतंत्र दल के राजाओं से समझौता कर लिया है, वह बात तो मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं सरकार की नीयत पर सन्देह नहीं करता । सरकार की नीयत है कि कुछ भूमि उन राजाओं से ली जाय और वह भूमिहीन लोगों के पास पहुंचे लेकिन हमारी और सरकार की नीयत में केवल इतना अन्तर है कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भूमि इस प्रकार से मिल जाय जिससे जो विधेयक का उद्देश्य है वह पूरा हो सके । इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं और माननीय मंत्री जी से और सदन से इस बात की आशा करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेगा ।

*श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ (२) (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "होगा" के बाद के शब्द हटा दिये जायं ।

अधिष्ठात्री महोदया, मेरा संशोधन बहुत सीधा है । उसका अभिप्राय यह हो जाता है कि जो आगे के शब्द लिखे हुये हैं जिसमें २४ एकड़ मैक्सिमम फिक्स करने की बात है ताकि कोई परिवार इससे अधिक न पा सके, मैं कहता हूं कि यह प्रतिबन्ध बहुत अनुचित है । हमारे मंत्री महोदय ने अभी इस सदन में कहा है कि अगर सीमा बहुत कम हो जायगी, जैसे कि भीखालाल जी की राय न मानने के लिये उन्होंने कहा था कि कम हो जायगी और देहात में दरिद्रता फैल जायगी, तो वही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं । यदि कम लोगों के पास जमीन रहेगी तो देहात में कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकेगा और अच्छी नौकरी भी नहीं पा सकेगा और जो इसका उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं हो सकेगा । मान लीजिये आज किसी परिवार में १०, १२ आदमी हो गये और हमारे यहां देहात में परिवार में १०, १२ लोग हो जाते हैं तो उनके लिये कोई सीमा मुकर्रर न की जाय । आठ आदमियों तक के परिवार को आप देने की बात कहते हैं लेकिन नवें सदस्य को कुछ भी नहीं देते हैं । उसको जमीन रखने से वंचित करते हैं । इसी आधार पर मैं यह चाहता हूं कि जो प्रति व्यक्ति आठ एकड़ रखा गया है कि वह पायेगा उसमें मुझे आपत्ति नहीं है किन्तु यह सीमा न रखिये कि नवें आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा । इस प्रतिबन्ध को मैं नहीं चाहता हूं । जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भीखालाल जी की पार्टी के विषय में कहा कि उनका उद्देश्य यही है कि २॥ एकड़ तक उनको घसीट कर ले आये ।

श्री चरणसिंह ने भी यह कहा था कि इतनी कम सीमा मुकर्रर करने का नतीजा यह होगा कि काश्तकार को सरकार के सामने झुकना पड़ेगा और सामूहिक खेती के जाल के अन्दर उसको फंसना पड़ेगा । मुझे अफसोस है कि इस दृष्टिकोण पर सरकार विचार करें क्योंकि उनकी पार्टी जानती है कि इसका भविष्य क्या होने जा रहा है इतनी लो सीलिंग करने पर । सरकार उसी भीखालाल जी के बताये रास्ते पर जा रही है । चाहे जाने या अनजाने किन्तु वही करती चली जा रही है ।

मैं इधर दाहिनी तरफ बैठने वाले लोगों से क्या कहूं वह तो एक समाजवाद के जाल में फंस गये हैं । वह उससे बाहर निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पाते हैं । भीखालाल जी से भी क्या कहूं ? मैं तो कांग्रेस सरकार से कहूंगा कि वह इस चीज को जानती है कि इसका भविष्य क्या होने जा रहा है । यदि नवां या दसवां आदमी भी कुछ आमदनी पा जाय तो उससे माननीय मंत्री जी को डरना नहीं चाहिये । इसलिये मैं आशा करता हूं कि उन चेतावनियों से मंत्री जी आगाह होकर, जो प्रतिबन्ध २४ एकड़ से ज्यादा न पाने का लगा रहे हैं, उस प्रतिबन्ध को हटा देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आदरणीया महोदया, माननीय भारतीय जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन कुछ शब्दों में करना चाहता हूं । अभी स्वतन्त्र दल के एक नेता का भाषण हमको सुनने को मिला उनके भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ कि मौजूदा कानून जो बनाया गया है या इस खंड में जिस की व्यवस्था की गयी है प्रति सदस्य ८ एकड़ जमीन देने की, उससे कुछ ज्यादा भी उनको चाहिये उन्होंने माननीया, अपने भाषण में यहां तक कहा कि अभी भी देहात में ऐसे परिवार हैं कि जिनमें ८ से ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं । हमारे यहां प्रदेश में जो भूमिहीन हैं और जिनके पास बसने के लिये जमीन नहीं है, उनके परिवार में १०-१०, २०-२० और कहीं ३० और ४० तक सदस्य हैं । क्या राजा साहब को पता है कि उनके पास कट्ठा जमीन है ? उनके पास एक कट्ठा जमीन भी नहीं है । उनके बजाय एक राजा साहब अवध के हैं उनके पास ४० एकड़ सीलिंग की जमीन छोड़ दी गयी, उसके अलावा ८ एकड़ के हिसाब से ६४ एकड़ उनको और मिल गयी, लेकिन फिर भी उनको पूरा नहीं पड़ता । राजा साहब हैं, उनका लड़का है और परिवार में है एक दो सदस्य और,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन इसके बाद भी उनको पूरा नहीं पड़ेगा और उसी के मुकाबले में एक भूमिहीन को, जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

हमारे देवरिया जिले की हाटा तहसील में रपट के हिसाब से प्रति व्यक्ति .६९ एकड़ के करीब जमीन पड़ती है । हमारी पार्टी का सिद्धान्त है कि २० एकड़ की सीलिंग की जाय । पूर्व में बस्ती और गोरखपुर की भी यही हालत है । एक एकड़ से ज्यादा औसत जमीन किसी के पास है ही नहीं, केवल कुछ राजाओं के पास ज्यादा जमीन है और पता नहीं मंत्री जी उनके फार्मों को लेंगे भी या नहीं.....

श्री हुकुमसिंह विसेन--जरूर लेंगे अगर आ जायंगे तो ।

श्री उग्रसेन--मैंने तो सुना था कि वे लोग ही गार्जियन बना दिये जायंगे और उनसे वह जमीन ली नहीं जायगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह आपने जेल में सुना होगा ।

श्री उग्रसेन--खैर, मुझे पता नहीं था । लेकिन इस तरह से अगर ४० एकड़ की सीमा रखी गयी और उसके बाद भी ८, ८ एकड़ दे दी गयी तो नतीजा यह होगा कि सरकार जो जमीन लेना चाहती है वह उसे मिल नहीं पायेगी और किसी गरीब को जमीन नहीं मिलेगी । मंत्री जी ने बतलाया होगा कि यह विधेयक लाने से कितनी जमीन मिलने वाली है, लेकिन हमें तो इससे बड़ी निराशा है । सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भारतीय जी ने प्रस्ताव रखा है कि ४ एकड़ से ज्यादा जमीन इसमें न दी जाय और २० से ज्यादा सीमा न निर्धारित हो । ३२ एकड़ से ज्यादा जमीन किसी भी परिवार के पास, वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, नहीं होनी चाहिये । प्रश्न उठता है कि परिवार के लोग खायेंगे क्या ?

देश के कृषि विशारदों ने लिखा है कि देश के ७०, ७५ फीसदी लोग जो केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं उसके अलावा उद्योग धंधों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । अगर डेनमार्क अथवा जापान की तरह यहां उद्योगीकरण हो जाय तो समस्या का हल निकल सकता है । जापान में धान की खेती होती है और वहां गांव-गांव धान कूटने की मशीनें हैं और पाउडर आदि अन्य सामान जो बनता है उसमें बहुत से लोग खप जाते हैं । तो इस देश की जनता को भी उद्योगीकरण से रोजी मिल सकती है । यह हमारी कृषि की और इस सरकार की प्लानिंग की खूबी है कि हमने पहले प्लान में कहा कि हम कृषि में उन्नति करेंगे, लेकिन अब तृतीय योजना में कह रहे हैं कि हम उद्योग को बढ़ायेंगे ।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि हम १९५२ तक खाद्य के मामले में आत्म निर्भर हो जायंगे, लेकिन आत्मनिर्भर आज तक नहीं हुए । अब सुना है कि तृतीय योजना के बाद हम आत्मनिर्भर हो जायंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जमीन है कहां ? जमीन नहीं है । यह जो सीमा आपने ४० एकड़ की रखी है वह ही बहुत काफी है । इसके बाद आप और क्या चाहते हैं ? उसके अलावा इसमें एक और खामी है । उसमें आपने जमीन की किस्म का सवाल रख दिया है । आपने उसमें यह रखा है कि ८ एकड़ जो जमीन मिलेगी वह अच्छी किस्म की होगी । होना तो यह चाहिये था कि आपको जमीन पर होने वाली उपज को देखना चाहिये था और उसके औसत से इसको रखना चाहिये था । अब होगा क्या ? कुछ लोग अच्छी जमीन के नाम पर ८ एकड़ लेंगे और कुछ खराब जमीन के नाम पर १२ एकड़ लेंगे, नतीजा यह होगा कि जो जमीन निकलेगी वह गरीबों को नहीं मिल पायेगी ।

राजा साहब ने फरमाया कि इससे सामूहिक खेती को खतरा है । मैं कहता हूं कि जब आप इन भूमिहीन किसानों को भूमि देंगे नहीं तो उत्तर प्रदेश के लोग खायेंगे क्या ? क्या राजा साहब जानते हैं कि खेती किस तरह होती है, कैसे बोवाई होती है, कैसे निराई होती है ? हमारे मंत्री जी भी नहीं जानते होंगे कि खेती होती कैसे है ? तो इनके पास तो ४० एकड़ भी नहीं रहना चाहिये । ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास काफी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन वे जानते

[श्री उग्रसेन]

नहीं है कि खेती होती कैसे है? मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के पास जमीन रहने से कोई फायदा नहीं है। हमने एक नारा लगाया था कि "जो जोते बोये वही किसान" यानी जो जमीन को जोतता है वही किसान है और जमीन उसी को मिलना चाहिये। आप क्यों ८ एकड़ दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ४ एकड़ दीजिए? आज यह हो रहा है कि लोग यह कह रहे हैं कि वह हमारे परिवार का नहीं है, ताकि उनको और जमीन मिल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय भारतीय जी ने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो संशोधन रखा है उसे वे स्वीकार करने की कृपा करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि मिल सके, तो मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन को मान लीजिये। इससे कम से कम आपके बहराइच जिले को तो जमीन मिल जायगी, वहां के लोगों को तो कुछ सन्तोष हो जायेगा....

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारे यहां के लोग इतने कंगाल नहीं हैं।

श्री उग्रसेन---वह कंगाल हैं या नहीं यह हम जानते हैं। हम जानते हैं कि उनकी क्या हालत है। दुनिया के पश्चिमी राष्ट्रों में जो क्रान्ति हुई है वे भूमि समस्या को लेकर ही हुई हैं। रूस में जो क्रान्ति हुई, सिविल वार छिड़ी, वह सब किसानों की ही क्रान्ति थी। और आपने हमारे संशोधन को नहीं माना तो निश्चय ही हमारे यहां भी उसी प्रकार की क्रान्ति होगी जिसमें यह विधेयक जल कर खाक हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आपको इस मुल्क को बचाना है तो कम से कम हमारे जो न्याय युक्त सुझाव हैं जो कि आपके विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं, उनको मान लें। आपके उद्देश्य में यह है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायगी इसलिये उनके लिये जो जमीन निकल सकती है उसको मत खसकायें।

माननीया, जेल में दो फाटक होते हैं, एक बड़ा फाटक और दूसरा उसके अन्दर एक छोटा फाटक होता है। जब जेलर या सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह आते हैं तब तो बड़ा फाटक खुलता है और छोटा फाटक हम जैसे सी क्लास के कैदियों के लिये खोला जाता है। इस छोटे फाटक को विकेड गेट, बदमाश फाटक कहा जाता है। तो इसी तरह से इस बिल में ४० एकड़ का बड़ा फाटक है और ८ एकड़ वाला विकेड गेट है। तो मंत्री जी विकेड गेट से जमीन को न खसकायें बल्कि बड़े फाटक से जायें जिससे कि वह मुआइना करते हैं। मुझे यकीन है कि मंत्री जी दिल में महसूस करते हैं कि ऐसा होना चाहिये, लेकिन वह नौकरशाही से मजबूर हैं। मंत्री जी ने जिस दिन इस विधेयक को यहां सदन में उपस्थित किया था उस दिन बड़े गर्व से कहा था कि उनको ही इस सदन में जमींदारी खात्मे का बिल पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था और जोत सीमा आरोपण विधेयक भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे उस गौरव को निभायें। इन शब्दों के साथ मैं देवनारायण जी भारतीय के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)-- माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय ब्रजनारायण जी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं और राजा साहब के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। उग्रसेन जी और भोखालाल जी के संशोधन में मैं उन लोगों से विचार करने के लिये कहता हूं कि उनके और हमारे संशोधन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जी दो एकड़ ज्यादा दे देने के लिये कहते हैं और भोखालाल जी का संशोधन ढाई एकड़ कम देने के लिये कहता है इसलिये हम लोग आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी कुछ स्वीकारोक्ति उस तरफ से दें तो हम लोग उनकी इच्छा के मुताबिक उनके साथ हो जायें। लेकिन श्रीमन्, जो संशोधन ब्रजनारायण तिवारी जी ने उपस्थित किया है वह ३० एकड़ की बात हम लोग बहुत दिनों से मानते चले आ रहे हैं। ३० एकड़ जमीन एक परिवार के पास रहे, इसमें मैं कोई कम्यूनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में मीन्स आफ प्रोडक्शन पर कम्युनिटी का अधिकार होगा, यह बेसिक चीज है। एक आदमी या परिवार के लिये भूमि की कितनी सीलिंग हो उसके लिये सोशलिज्म और केपिटलिज्म में समझौता करना पड़ता है और उसी के अनुसार हम यह काम भी कर रहे हैं।

श्रीमन्, जो पहला युद्ध हुआ उसके बाद पूंजीवादी मुल्कों में भी सीलिंग मुकर्रर हुई जमीन पर और दूसरे युद्ध और पहले युद्ध के बीच में जहां तक मुझे स्मरण है यूरोप के मुल्कों में दो करोड़ एकड़ जमीन भूमिहीनों और दूसरे लोगों को मिली सीलिंग मुकर्रर होने के बाद जब कि अभी एक मुल्क सिर्फ रूस में सोशलिज्म या कम्यूनिज्म आया था। रूस को छोड़ कर अन्य मुल्कों की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन मुल्कों में भी सीलिंग आई और जमीन का बटवारा हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय किसी परिवार में अधिक सदस्य होने पर जो अधिक जमीन देने की बात है वह एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक दृष्टिकोण से है कि हम ३० एकड़ तक जमीन देने के लिये पहले से वचनबद्ध हैं। आप देखेंगे कि जमींदरी अबालीशन ऐक्ट में भी ३० एकड़ की सीमा निश्चित थी कि आइन्दा कोई ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेगा। इतना ही नहीं, सीर की जमीन पर शिकमी काश्तकार को अधिकार होने में भी ३० एकड़ की सीमा निर्धारित हुई। माननीय मिश्र जी इसमें हमारी मदद करेंगे, उनको याद होगा। माननीय राजा साहब या जो भी स्वतन्त्र दल में आकर बैठे हैं उन्होंने, जब उधर थे, तो ३० एकड़ की सीमा कबूल की। इसलिये ब्रजनारायण जी तिवारी का संशोधन उस वचन को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य अधिक हों तो प्रत्येक सदस्य पर २।। एकड़ और दे दी जाय लेकिन किसी भी हालत में ३० एकड़ से अधिक जमीन न दी जाय।

आप बाग की जमीन को ले लीजिये जो हमारे प्रदेश में करीब २०, २५ लाख एकड़ है अगर मैं ग़लती नहीं करता हूं। एक आदमी के पास अगर हजार एकड़ भी बाग होगा तो वह उसका रहेगा चाहे वह किसी भी दूर गांव में फैला हुआ हो। वह सीलिंग में नहीं आवेगा। जिन लोगों की दुहाई दी जा रही है कि वे दरिद्र हो जावेंगे, वह जमीन उन्हीं के पास है। माननीया, सीलिंग का प्रश्न इसलिये आया कि हम उन निर्धनों को जो आज सैकड़ों वर्षों से दाने दाने के लिये मुहताज रहे हैं, आज जब स्वराज्य आया है तो उनके मुह में भरपेट रोटी पहुंचा सकें और झ पड़ी बनाने के लायक वे हो सकें। उनके लिये यह बात आई। उनके लिये जब यह कहा जाता है कि हाय, हमारा लड़का आई० ए० एस० या इंजीनियर या बड़ा हाकिम नहीं हो पावेगा, तो मैं उन अक़लमन्दों से यह कहना चाहता हूं कि क्या वे ठेका दे देना चाहते हैं कि इस देश में सम्पत्तिवान वर्ग ही अफसर होगा। प्रजातंत्र की दी हुई कुर्सी पर वही बैठने का हक़दार होगा अगले २०, ५० वर्षों तक जिसके पास सम्पत्ति होगी? सम्पत्तिवान वर्ग, ४० एकड़ से ऊपर का किसान, इस प्रदेश में कितना है? वह १०० में १ से भी कम है। क्या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और सेक्रेटरी और जितने उत्तरदायी पद हैं, इन सबका ठेका हो गया है कि ये बड़े आदमियों के लड़कों को ही मिलें? क्या बिड़ला और टाटा के घरों के लिये ये ठेके दे दिये हैं? मुझे माननीय माल मंत्री जी की बुद्धि पर बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने भी इसकी ताईद की। मैं आशा नहीं करता था कि क्यों वृद्ध मंत्री मुल्क को गड्ढे में डालने वाले तर्क को स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करते हुये हमसे कहा कि ४० एकड़ की सीलिंग स्वीकार करो।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मुल्क पर शासन करने का हक़ गरीब आदमी के बच्चे को भी है कि वह भी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं शुक्ल जी से कि उनके घर कितनी जमीन थी जिसके बल पर वह आज इस कुर्सी पर बैठे हुये हैं? अगर मैं गलती पर हूं तो वह मुझे बोलते हुये दुरुस्त कर दें। मैं भावना के साथ नहीं, रीजन के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक महापुरुष हुआ, महात्मा गांधी, जिसने सम्पत्ति के बल राज्य की कुर्सी पर बैठने से इंकार करवाया

[श्री गेंदासिंह]

और उसने यहां तक कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई भी देश का प्रधान मंत्री हो लेकिन वह सलाहकार के रूप में बैठे। निर्धन घर का १८ वर्ष का बालक अगर देश का प्रधान मंत्री होगा तो वह सबसे उत्तम शासन होगा। हम वह दिन देखना चाहते हैं जिस दिन निर्धन घर का लड़का कलेक्टरी के दर्जे पर बैठे, लाट साहब के दर्जे पर बैठे और इस मुल्क की खिदमत करे और हम उसके कन्धे से कन्धा मिला कर यह दिखा सकें कि हमारा मुल्क उदार है।

ठाकुर साहब ने हमारे स्वतंत्र दल से अपील की कि मुल्क के नाम पर कुरबानी करो और सही मानों में कुंवर श्रीपालसिंह जी ने उठ कर मंत्री जी की अपील की कद्र की और ४८ एकड़ वाला संशोधन वापस ले लिया। मैं समझता हूं कि यह ग़लत बात कही गई कि जिसके पास सम्पत्ति होगी वही बड़ा आदमी हो सकेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर ऐसा है तो हरिजन तो कभी कलेक्टरी के दर्जे पर हो ही नहीं सकता है। १८ प्रतिशत रिजर्वेशन जो हरिजनों के लिये रखा गया है....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कुछ विषयान्तर हो रहा है।

श्री गेंदासिंह—विषयान्तर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपने बता दिया, बड़ी कृपा की। लेकिन बहस ही यह है कि अगर जमीन नहीं रहेगी तो गरीबों को मिलेगी कैसे। अगर आप पहले होते तो आपको मालूम होता कि राजा साहब ने कहा था कि आई० ए० एस० नहीं हो पावेंगे अगर जमीन की सीलिंग कम हो गई। उसका जबाव मैं दे रहा हूं। उस सूरत में मैं समझता हूं कि किसी हरिजन भाई का बालक कलेक्टर नहीं हो सकेगा। लेकिन हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। हम इससे सहमत नहीं हैं। मैं ठाकुर साहब से अपील करना चाहता हूं कि वह हमारी बात पर जरा गौर से सोंचे। यदि वह ऐसा करने की कृपा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि वह भी हमसे सहमत हो जावेंगे। उद्देश्य तो यही है कि गरीबों को जमीन मिले। मैं चाहता हूं और ठाकुर साहब भी चाहते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, कि जिस हरिजन या किसान के घर में एक एकड़ भी जमीन नहीं है उसका बच्चा भी आज अच्छे ओहदे पर पहुंच सके। भरोसा रखना चाहिये मुल्क के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं। आज हमारा यह काम नहीं है कि हम किसी को दरिद्र बनाने की कोशिश करें या किसी की सम्पत्ति छीनने की कोशिश करें। तो इस २।। एकड़ और १० एकड़ से केवल इतना अन्तर पड़ता है कि किसी परिवार के लिये अधिक जमीन नहीं जा सकेगी। फिर भी ३० एकड़ से तो कम होगी नहीं।

हमारा २० एकड़ वाला पहला संशोधन तो गिर गया, शायद माननीय मंत्री जी की राय बदल जाय और वह उसको भी मंजूर कर लें लेकिन हम में इतना जोर तो है नहीं कि मैं उन से कहूं कि २० एकड़ वाला संशोधन स्वीकार कर लीजिये। अगर उसको भी स्वीकार कर लें और १० एकड़ यह रहे तो ३० एकड़ हो जाता है। क्या हम सदैव ही यह समझते रहेंगे कि हमारी शिक्षा की नीति बदलेगी नहीं और जब तक हमारे पास पूरी संपत्ति न हो तब तक हमारे लड़के पढ़ेंगे नहीं? भरोसा करें मंत्री जी शिक्षा की नीति बदलेगी और प्रदेश की आर्थिक नीति भी बदलेगी? आखिर में इतनी बात और कहना चाहूंगा कि हम जापान से सबक लें। रूस और चीन का नाम तो मैं जानबूझ कर नहीं ले रहा हूं। रूस, चीन का नाम तो ऐसा हो जाता है जैसे किसी खून का नाम ले लिया। लेकिन वहां पर कुछ अच्छी चीजें भी हों तो हमें ले लेना चाहिये।

श्रीमन्, सारे संसार में सबसे छोटे खाते जापान में हैं और वहीं सारे संसार से ज्यादा उपज प्रति एकड़ होती है। रूस और चीन के बारे में तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वहां से जापान में ढाई गुनी उपज होती है। हिन्दुस्तान को बड़े खातों से मुहब्बत न करनी होगी क्योंकि यह तो छोटे खातों का मुल्क है और इसलिये इसको जापान की तरफ देखना होगा। जापान के खातों के अनुसार यहां डेढ़ एकड़ से एक परिवार की गुजर की जा

सकती है, रोटी दाल मिल सकती है। आज यह सवाल नहीं है कि लोगों के स्टैण्डर्ड आफ लिविंग को गिराया जाय लेकिन सवाल यह है कि लोगों को किस प्रकार से रोटी मिल सकेगी। यह बिल रोटी दिलाने वाला बिल है। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से एक सेंटेन्स पढ़ देना चाहता हूं जो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में है। उसके पृष्ठ १९७ पर माननीय मंत्री जी देख लें। उसमें लिखा है—

"For instance, in those parts of the country where culturable waste-lands are available and a sufficient number of cultivators are not always easy to obtain, a ceiling may not be necessary at this stage or may be set at a higher level than at that envisaged here. Similarly, there may be areas in which the level of the ceiling may be lower because of the high density of population."

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश समूचे भारत में सबसे अधिक डेन्सली पापुलेटेड है इसलिये समूचे मुल्क के मुकाबले में हमारे यहां सबसे कम सीलिंग होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि ३० एकड़ रखना कोई बुरी बात न होगी। इसलिये जो ब्रजनारायण जी का संशोधन है उसको माननीय मंत्री जी से तो उम्मीद मैं नहीं करता कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे लेकिन सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करे।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मंत्री जी को उसके लिये बधाई देता हूं। आपने बहुत से कानून बनाये हैं लेकिन अब भी आपके सूबे में ऐसे-ऐसे हिस्से हैं जहां से ४–४ मील पीने के लिये पानी लेने जाना पड़ता है। ६०–६० हजार रुपया लगाकर भी आप अभी कुयें के पानी का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं। दस दिन अगर हमारे यहां पानी न बरसे तो जमीन सूख जाती है और २ मन बीघा पैदा होता है। जब मवेशी उस जमीन पर बांध कर खाद की ताकत पहुंचाते हैं तो यहां १ फुट के बाद पत्थर निकल आता है। ऐसी जमीनों की तरफ मैं माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे बुन्देलखण्ड के पहाड़ी इलाके में और खास कर बांदा जिले में जहां तीन-तीन, चार-चार मील तक पानी पीने को नहीं मिलता है, ऐसी जगहों के किसानों को भी क्या भूमि उसी रेट पर दी जायगी जैसा कि और जगहों के लिये है। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरठ आदि में नहर की तरफ चौथाई हिस्सा जमीन ही दे दी जाय तो हम अपने यहां की सारी जमीन छोड़ देने के लिये तैयार हैं।

कानून का रूप व्यापक होता है। हमारे बुन्देलखण्ड में बहुत हिस्से ऐसे हैं जहां कि विन्ध्य प्रदेश के ४०–५० गांव मर्ज होकर हमारे यहां आये हैं। वहां पहले कोई कानून नहीं था, राजा की जबान ही कानून था और ५ रुपये बीघे उनका लगान दर्ज था जो अभी तक वही चला आ रहा है। मैंने पहले भी कई बार भूतपूर्व माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा था कि इस पर विचार होगा और कोई संशोधन होगा लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसी जगहों के लिये मैं उनका विशेष ध्यान दिलाता हूं कि वहां की जमीन ऐसी है जहां एक बीघे में २ मन ही अन्न पैदा होता है। अगर १० दिन तक पानी नहीं बरसे तो सारी फसल सूख जाती है, ऐसी जगहों के लिये आगे कोई चरागाह भी नहीं छोड़ा गया है, इसलिये सरकार को कानून बनाते वक्त इन सारी चीजों का इन्तजाम करना चाहिये। वहां के लोग बहुत गरीब हैं और वहां पानी की बड़ी ही विषम समस्या है जिससे कोई मवेशी भी नहीं रख सकता है। लाखों बीघा जमीन वहां ऐसे ही पड़ी हुई है लेकिन वहां कोई बसने के लिये तैयार नहीं होता है। यदि ऐसी जगहों पर यह कानून लागू होगा तो वही जमीन दुगुनी या चौगुनी तक रखी जानी चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि जो गांव मर्ज होकर इस प्रदेश में आये हैं वहां का ध्यान रखते हुए वहां के किसानों के लगान में सुधार करने की कृपा करें। बस यही कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वह इतना सरल और साफ है कि ५ आदमियों तक का जो परिवार होगा उसको ४० एकड़ भूमि मिलेगी और ३ प्राणी और बढ़ जायेंगे और ८ तक हो जायेंगे तो हर एक को आठ-आठ एकड़ और मिलेगा। लेकिन नवां प्राणी अगर हो जायगा तो उसके लिये क्या होगा? ऐसी बहुत-सी दिक्कतें हो सकती हैं, श्रीमन्। यह माना जायगा कि नवां प्राणी जो उस घर में पैदा होगा, वह भाग्यशाली नहीं होगा। ८ तक तो भाग्यशाली होंगे और बकिया जितने होंगे वे अभाग्यशाली माने जायेंगे। इसी बात के लिये राजा साहब ने यह संशोधन पेश किया है जो बहुत सरल और सीधा है कि ८, ९, १० तक सब के लिये आठ-आठ एकड़ माना जायगा। मैं समझता हूं कि हमारे माल मंत्री जो न्याय मंत्री भी हैं इस बात में जरूर न्याय करेंगे और इसको मान लेंगे।

माननीय गेंदासिंह जी ने जो कुछ कहा मैं उसको समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क का विश्वास करें, जमीन का नहीं। श्रीमन्, अगर जमीन का विश्वास न करें तो खड़े कहां रहें, किस आधार पर खड़े हो जायं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि कहां से जोड़ कर उसको यहां उन्होंने ला दिया।

बहुत से लोगों ने कहा और हमारे माननीय उग्रसेन जी ने तो यहां तक कह दिया कि बड़ी दरिद्रता है, बड़ी भुखमरी है, अगर एक-एक कट्टा जमीन भी बांट देंगे तो उन भूमिहीनों को एक-एक कट्टा जमीन तो मिल ही जायगी। लेकिन एक-एक कट्टा भी कहां से मिलेगी? थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको ८ एकड़ मिलने हैं। और मिले किसको जिसको नहीं है, और देना किसको है, जिसको है, तो इसको छोड़ने का बड़ा सरल तरीका है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह बड़े महत्व की बात है और बिल्कुल न्यायसंगत है, जब ५ प्राणी तक का परिवार होगा तो उसे ४० एकड़ मिलेगा और जब ८ प्राणी तक हो जायेंगे तो आठ-आठ एकड़ तीनों को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन नवां हो जायगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो परिवार के नियोजन में ९ पर रेखा लगाई जाय कि अगर नवां व्यक्ति होगा तो वह अभाग्यशाली हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह न्याय मंत्री हैं, वह न्याय करें और इस छोटे से संशोधन को वह अवश्य कबूल करें यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवनारायण जी भारतीय द्वारा प्रस्तुत सोशलिस्ट पार्टी के संशोधन का समर्थन करता हूं। यह बिल आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इस बात से भी प्रकट है कि इधर और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। इसका उद्देश्य जहां तक मैं समझा हूं एक तो यह है कि भूमिहीनों के पास कुछ जमीन पहुंच जाय और दूसरे आज हमारे देश के लोग जो भूखे मर रहे हैं, यहां की पैदावार घट रही है वह जमीन का सही बटवारा होने से बढ़ जाय। इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रख कर यह बिल लाया गया है। यदि यह बिल आज से कुछ दिन पूर्व, जब कि सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार नारा लगाया था कि यहां धन और धरती का बटवारा ठीक से हो जो कि स्वयं श्रीमन्, आप जानते हैं। यदि उस समय यह बिल लाया गया होता तो उपज भी अब तक बढ़ती और गरीबों का भी भला होता। खैर, यदि अब भी उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके तो संभव है कि कुछ लोगों का भला हो जाय। परन्तु खेद है कि मंत्री जी इसको इस तरह से लाये हैं कि वह एक तरफ तो एक हाथ से देने का बहाना करते हैं और दूसरे हाथ से वह बटोर लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जिस संशोधन पर बहस हो रही है, उसी पर आप बोलें।

श्री बलदेवसिंह---कुछ नाप तोल का मौका हो तो उनसे कहिये वह बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नन्दराम--मेरा संशोधन है कि.....

श्री उपाध्यक्ष--आपका नहीं, वह भारतीय जी का है।

श्री नन्दराम--उसी पर मैं बोलने जा रहा हूं। अगर उसकी तमहीद नहीं बांधूंगा तो मैं बोलूंगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, ऐसी तमहीद नहीं होती।

श्री नन्दराम--जी अच्छा। मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी एक हाथ से तो देने का बहाना करते हैं और दूसरे हाथ से बटोरना चाहते हैं। इस संशोधन की बहस में ऐसा जान पड़ता है कि आज उधर के और इधर के लोगों में केवल २ वर्ग हैं। एक वर्ग तो वह है.....

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप बतायें कि आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री नन्दराम--भारतीय जी का जो संशोधन है जिसमें वह चाहते हैं कि ८ एकड़ की जगह ४ एकड़ और २४ एकड़ की जगह १२ एकड़ हो।

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा कि आप बोले जायं दूसरी बात और कहें कि मैं इसी पर बोल रहा हूं। आप संशोधन पर बोलिये वर्ना मुझे कहना होगा कि आप बैठिये।

श्री नन्दराम--मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि इस तरह से ज्यादा जमीन नहीं मिल सकेगी। आप पहले ४० एकड़ देकर उसके बाद हर एक ३ व्यक्तियों को आप परिवार के ८-८ एकड़ और दे रहे हैं और इतना ही नहीं आप १२-१२ एकड़ और १६-१६ एकड़ दे रहे हैं और ४८ एकड़ दे रहे हैं, इस तरह से तो हर एक परिवार के पास १२८ एकड़ जमीन पहुंच जायगी। इसके अलावा और भी छूट दी जा रही है, कहीं खातों के लिये, कहीं बागों के लिये, इस तरह से तो थोड़ी-सी जमीन भी नहीं बचेगी। अगर आप लोग वाकई भूमिहीनों को, कुछ खेतिहर मजदूरों को जमीन देना चाहते हैं तो जो भारतीय जी का संशोधन है उसको मंत्री जी मान लें तभी कुछ जमीन भूमिहीनों को मिल सकती है। जो लोग जमीन की तादाद बढ़ाने के लिये कह रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके खेत कौन जोतते हैं ? वही भूमिहीन हैं जो अधिया पर या २, ४ आना मजदूरी लेते हैं। इसीलिये वह चाहते हैं कि अगर जमीन का रकबा बढ़ जायेगा तो भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिलेगी और वह उनका काम करते चले आयेंगे, उनका वह शोषण करते रहेंगे। अगर जमीन का रकबा घटाया गया तो लोगों को जमीन मिल जायेगी जिससे उनकी शोषण मनोवृत्ति समाप्त हो जायेगी इसीलिये वह नहीं चाहते कि जमीन का रकबा बढ़ाया जाय। अतः मैं देवनारायण भारतीय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से माननीय देवनारायण भारतीय जी जब बोले तो दबी जबान से उन्होंने स्वीकार किया कि सीलिंग ४० एकड़ होनी चाहिये। माननीय उग्रसेन जी ने जो बात कही वह तो बिल्कुल उसके विपरीत ही थी जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया। मंत्री जी ने कहा था कि गांवों की बेकारी दूर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलायेंगे। जापान की बात--वहां किसानों के छोटे-छोटे धंधे लगे हैं उनको पसन्द आयी लेकिन मंत्री जी की बात पसन्द नहीं आयी, जब कि मंत्री जी ने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं होगी उनको उद्योग-धंधे दिये जायेंगे।

माननीय गेंदासिंह जी की बात मेरी समझ में कतई नहीं आयी। वह चाहते हैं ऐसे आदमी शासन में आवें और ऊंची-ऊंची नौकरियों में आवें जिनके घर में कुछ न हो। वह चाहते हैं गरीब

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

आदमियों में से सरकारी नौकरियों में आवें। आवें कैसे ? उनके लिये साधन मंत्री जी बताते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये जमीन रहने दो जिसको गेंदासिंह जी मानने को तैयार नहीं। गेंदासिंह जी ने कहा कि जो आज पैसे वाले हैं वहीं शासन की ऊंची-ऊंची नौकरियों में आवें यह उनको पसन्द नहीं है। सीधी-सी बात है कि जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये साधन नहीं रखता है तो कैसे उन्हें शिक्षा दे सकता है जिससे उसके बच्चे नौकरियों में आ सकें ? इसीलिये जो यह २४ एकड़ की बात तीन अतिरिक्त सन्तानों के लिये रखी गई है मेरी समझ से यह उचित ही है।

माननीय बलदेवसिंह जी ने कहा कि चौथी सन्तान के लिये क्यों न वही सिद्धान्त माना जाय। सीधी बात है मंत्री जी बर्थ कंट्रोल चाहते हैं। आबादी अगर बढ़ेगी तो जमीन का बटवारा हर वक्त मांगेंगे, उसको कैसे पूरा किया जायगा ? सदन ने करीब-करीब सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि ४० एकड़ की सीमा रहे। जिस जमीन का लगान ६ रुपया या उससे अधिक प्रति एकड़ हो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाउस इस बात को मंजूर कर लेगा कि ८ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को २४ एकड़ जमीन और दी जाय इतना कह कर मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि पहले वाले संशोधनों पर मत ले लिया जाय और इस पर विवाद अब समाप्त किया जाय।

श्री उग्रसेन---मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---काहे का ?

श्री उग्रसेन---क्लोजर का।

श्री उपाध्यक्ष---क्लोजर नहीं पेश किया गया है। दो बातें वे कह रहे हैं। जो संशोधन मुल्तवी हो गये हैं उन पर वोटिंग हो जाय, इस पर आपको कोई एतराज नहीं होगा। दूसरे इस पर बहस बन्द हो जाय तो मैं उसे अभी नहीं ले रहा हूं। दो एक भाषण और हो जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---यह कहा गया था कि वोटिंग ३ बजे के बाद होगी।

श्री उपाध्यक्ष---दो बजे के बाद कहा था।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड (२) के मद (क) में शब्द "एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र" के पश्चात प्रस्तुत शब्दों को हटा कर "सभी प्रकार की भूमि के बीस एकड़ का होगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड (२) के भाग (क) में "चालीस" के स्थान पर "साढ़े बारह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड २ (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर "पच्चीस" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लेने की अनुमति ले जाय—

खण्ड ४ के उप-खण्ड २ (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालीस एकड़" कर दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उप-खण्ड २(क)में "चालीस" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उप-खण्ड (२) के भाग (क) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "बीस" रख दिया जाय ।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—यही संशोधन भगवतीसिंह विशारद ने पेश किया था जो कि रिजेक्ट किया जा चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें और इसमें थोड़ा-सा अन्तर है । उसमें सभी प्रकार की भूमि चालीस एकड़ रख दी जाय, यह संशोधन है और इसमें बीस एकड़ और उसके अलावा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२८,
विपक्ष में—८८ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय :—

खण्ड ४ के उपखण्ड (२) (क) में उल्लिखित शब्द "चालीस एकड़" के स्थान पर शब्द "सोलह एकड़" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—९५,
विपक्ष में—२७।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उप-खण्ड (२) (ख) को पृथक् कर उसके स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं:—

"यदि खातेदार के परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खण्ड (क) में उल्लिखित क्षेत्र और उसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये सभी प्रकार की भूमि के पांच एकड़ अधिक का होगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के १५ एकड़ से अधिक न होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब और संशोधनों पर फिर विवाद जारी होगा।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज व्याख्यान को आरम्भ करने से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल मैं बोला था और अखबार में मेरा नाम छपा हुआ है 'सीताराम शुक्ल--कांग्रेसी" मुझे कांग्रेस छोड़े एक साल हो गया। अब तो स्वतंत्र मेम्बर हूं, कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—आप स्वतंत्र पार्टी में हैं या स्वतंत्र हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल—बाहर मैं स्वतन्त्र पार्टी में काम करता हूं लेकिन हाउस के अन्दर मैं स्वतंत्र हूं इसलिये कि मैं चाहता हूं कि पार्टी का मेम्बर बाहर होना चाहिये, हाउस में खाली एम० एल० ए० होना चाहिये ।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खण्ड ४ के उप-खण्ड (२) के मद (क) के सब संशोधनों पर आपने मत ले लिया और प्रायः वे सभी संशोधन गिर गये परन्तु जो मूल प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है उस पर आपने कोई मत नहीं लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो जब सब संशोधनों पर वाद-विवाद समाप्त हो जायगा तब राय ली जायगी । अभी तो उसी खण्ड के संबंध में संशोधन चल रहे हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं माननीय राघवेन्द्रप्रताप जी को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने यह संशोधन पेश किया और गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करे । उर्दू में एक शेर है—

"कोई सोता हो अगर तो उसे बेदार करें ।
किस तरह जागने वाले को जगायें ।"

न्याय मंत्री से न्याय करने के लिये कैसे कहें , वे खुद ही न्याय करते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है:—

निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वास्तु वन्तु ,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतुवा यथेष्टम्
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा
न्यायात पथः प्रविचलन्तु पदं न धीराः ।

पढ़े-लिखे लोग तारीफ करें या शिकायत , हमेशा जिन्दगी रहे या आज ही मर जायं, बड़े धनी हों या आज ही गरीब हो जायं लेकिन बहादुर लोग न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ा करते । यह श्लोक हमारे बुजुर्गों का है । सरकार तो उन बच्चों की भी हिफाजत करती है जो पेट में आ जाते हैं, भ्रूण हत्या करना गुनाह है। तो जब पेट में आये हुए बच्चे की जिम्मेदारी सरकार लेती है तो वह बच्चा पैदा होने के बाद उसके खाने की फिक्र सरकार न करे यह मुनासिब नहीं होगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—समझने के लिये मैं जानना चाहता हूं कि किस अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल—मैंने शुरू में ही राजा साहब को उनके अमेंडमेन्ट पेश करने पर मुबारकबाद दिया है। उसके बाद भी क्या यह बताने की आवश्यकता रह जाती है कि मैं किस अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह अमेंडमेन्ट है क्या ?

श्री सीताराम शुक्ल—यह अदालत नहीं है, यहां क्रास क्वेश्चन नहीं होगा । आप मेरी बात को सुनें । अभी आपने फैमिली प्लानिंग की बात कही । फैमिली प्लानिंग के माने यह हैं कि बच्चे पैदा ही न हों । उसके माने यह नहीं हैं कि बच्चे पैदा हों और भूखे मरें । एक साहब ने विषमता का नाम लिया । विषमता से जहां ईर्ष्या पैदा होती है वहां उच्च अभिलाषा भी पैदा होती है । आकाश में चिड़ियों को उड़ते हुए देख कर ही हवाई जहाज बनाया गया । दुनियां में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें भलाई और बुराई दोनों न हों । देखना यह है कि भलाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है । भलाई होगी भला किया जायगा और बुराई ज्यादा होगी उसको छोड़ दिया जायगा । मेरी गुजारिश है कि बदमाश लोग मकान

फूंक देते हैं तो क्या आग को खत्म ही कर दिया जायगा और कच्चा खाना खाया जायगा। हवाई जहाज से चलने से यह आशंका रहती हैं कि दुर्घटनायें होती हैं तो क्या उनसे यात्रा करना ही बन्द कर दिया जायगा ? विषमता की भी एक हद है। इसीलिये कहा गया है कि इतनी सीलिंग हो, गरीब आदमी को रोटी न दी जाय तो क्या यह समानता लानी होगी। नहीं, बल्कि यह तो अन्याय होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करने की कृपा करें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सदन के अन्दर जितनी भी प्रगतिशील पार्टियां हैं उनके नेताओं तथा उनके माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने बड़े गौर से सुना। खास करके किसानों के नेता माननीय गेंदासिंह जी के विचारों को भी मैंने बड़े गौर से सुना। उनको सुनकर तथा इसी सदन में जमीन के बंटवारे के संबंध में जो विचार उन्होंने व्यक्त किये थे उनको सुनने के बाद और तुलना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनके कोई भी बिचार कभी भी स्थायी नहीं रहते। वह हमेशा बदलते रहते हैं। आज किसान और भूमिहीनों की बात सभी कहते हैं और इसलिये कहते हैं कि आगे एलेक्शन आने वाला है, उसके लिये वोट लेने की बात होती है। लेकिन असली चीज कि भूमि कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितनी बंटेगी, इस पर कोई विचार नहीं करता है। एक दिन गेंदासिंह जी ने सदन में यह बात कही थी कि एक आदमी को उतनी भूमि देनी चाहिये, जितनी वह जोत सके और जब माननीय चौधरी चरण सिंह ने साढ़े बारह एकड़ की बात कही तो उसका भी विरोध किया जाता था। इसी तरह से जब माननीय माल मंत्री जी ने ४० एकड़ की सीलिंग की बात सदन के सामने रखी और वह इसलिये रखी गई है जिससे एक परिवार आसानी से अपनी गुजर-बसर कर सके।....

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य किस धारा का जिक्र कर रहे हैं ? ४० एकड़ की बात इस संशोधन में कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष—आप कौन से संशोधन का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री गंगाप्रसाद—श्रीमन्, मैं इसी धारा के बारे में कह रहा हूं। मैं परिवार के बारे में कुछ बातें कह रहा हूं....

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कौन-सी धारा की बात कह रहे हैं ? कम से कम उसका नम्बर तो मालूम हो जाय।

श्री गंगाप्रसाद—यह जो संशोधन धारा ४ में रखा गया है मैं उसके बारे में कह रहा हूं। मैं आपके संशोधन का इसलिये विरोध कर रहा हूं कि आपकी नीति साफ नहीं है। आप ऐसी बात कहते हैं जिससे भूमिहीनों को देने के लिये जमीन न मिल सके। लेकिन भूमिहीन किसान और खेतिहार मजदूर चाहते हैं कि उनको जमीन मिले। जो हमारे यहां पार्टियां हैं उनकी नीति भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। कोई २० एकड़ की बात कहता है, कोई साढ़े बारह एकड़ की बात कहता है, कोई ३० एकड़ की बात कहता है। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की कोई नीति नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

भाई भीखालाल जी का प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर है। मैं उसका समर्थन करता लेकिन कुछ बुनियादी सवाल यहां पर आ गया है। माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह पांच आदमियों के परिवार के स्थान पर ९ आदमियों का परिवार चाहते हैं। परिवार कितना बढ़ता जायगा—एक आदमी के बाद लड़के का परिवार शुरू होगा। वह दूसरा परिवार मान लिया जायगा। लेकिन उनको इतनी मोह-माया बढ़ गयी है कि सारी की सारी जमीन उन्हीं को मिलनी चाहिये, दूसरे को नहीं मिलनी चाहिये। जो संशोधन उन्होंने रखा है वह निरर्थक है। इस संशोधन से किसी को जमीन नहीं मिलेगी। सरकार ६४ एकड़ दे रही है।

[श्री गंगाप्रसाद]

मैं सरकार से कहता हूं कि आज हजारों एकड़ में बाग लोगों ने लगा रखा है। दो चार पेड़ लगा कर पहली मई से पहले बाग इंदराज करा लिया है। उसकी जांच करवाएं। जो पुराने बाग हैं उनको भी सीलिंग में आना चाहिये। अगर पुराने बागों को बेच दिया जाय तो हजारों एकड़ बाग की जमीन मिल जायगी। इसके अलावा नये बाग भी लिखा लिये हैं, जिससे उनको अधिक से अधिक जमीन मिल सके।

अभी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भाई भजनलाल जी ने कहा कि भूमिहीनों को इस सीलिंग से जमीन नहीं मिलेगी। ढाई लाख एकड़ कुल जमीन बचती है। वह जमीन जिनके पास नहीं होगी उनको मिलनी चाहिये लेकिन वर्तमान समाज की जो रचना है उसमें वह जमीन उन गरीबों को नहीं मिलने पायेगी। आज समाज में बहुमत उन लोगों का है जो गरीबों को देने के पक्षपाती नहीं हैं। इसलिये जो मूल प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि जो और संशोधन माननीय सदस्यों ने रखा है वह वापस ले लेंगे। अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो सभी विरोधी पार्टियां एक मत होकर एक संशोधन लायें जिससे भूमिहीनों को जमीन मिल सके।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के संशोधन पर अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी अभी माननीय वक्ता ने एक तरफ तो यह कहा कि मैं राजा साहब के संशोधन की मुखालिफत कर रहा हूं। दूसरी ओर उन्होंने माननीय गेंदासिंह के भाषण पर मत प्रगट किया। वह यह भी नहीं बता सके कि वह किस दफा के मातहत अपना भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह के भाषण से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिये। उसमें उन्होंने यह भी आपत्ति की कि वह कई तरह की बातें कहते हैं। आज उन्होंने गेंदासिंह जी की सबसे बड़ी बात यह कही जो मैं समझता हूं कि किसी भी पक्ष के लिये अमान्य नहीं होगी कि बापू चाहते थे कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर किसान और मजदूर जिस दिन आयेगा या उसका बेटा जिस दिन आयेगा उसी दिन स्वराज्य का स्वप्न पूरा होगा। हम लोग सभी उसके सलाहकार होंगे। उसमें मैं यह इजाफा करता हूं, मैंने पढ़ी है गांधी जी की वसीयत जो मंजर अली ने लिखा है, उन्होंने यह भी संकेत किया था कि उस किसान मजदूर के लड़के प्रधान मन्त्री के जो सलाहकार मंत्री होंगे वह जवाहरलाल जैसे आदमी होंगे। मैं नहीं समझता कि इतना एक सैद्धान्तिक रूप से भाषण हुआ, उसके ऊपर माननीय सदस्य को यह आपत्ति क्यों हुई? मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि साल ब साल जो भी कानून सरकार के आते हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, मैं समझता हूं कि जमींदारी खात्मा कानून, अधिकतम जोत सीमा, चकबन्दी, सहकारिता आदि आदि जो भी कानून सरकार लाती है, वक्त के लिहाज से, जमाने की मांग के मुताबिक और जिधर कि आज आम खयाल जा रहा है उसके मातहत वह कानून सरकार लाती है। लेकिन कार्यरूप में जब वह कानून परिणत होते हैं तब और कानून बनने के पहले ही होशियार लोग अपना साधन कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह आपकी बहस साधारण वाद-विवाद की तरह हो रही है, आप संशोधन पर बोलें।

श्री बुद्धीसिंह---मैं संशोधन का ही समर्थन कर रहा हूं, श्रीमन्। जो कानून साल ब साल जो आते हैं, उनमें मुख्तलिफ विचारधारायें हाउस के अन्दर आती हैं और मुझे ऐसा मालूम हुआ इन दो तीन वर्षों के अन्दर जो लोग ऐसे कानूनों का विरोध करते हैं, जैसे कि जोत सीमा का यह कानून है, इस पर जो लोग आपत्ति करते हैं और जिनके हित पर कहा जाता है कि कुठाराघात हो रहा है, वह अन्त में सरकार के साथ वोट करते हैं और वह है राजा लोगों की पार्टी। मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो दृष्टिकोण आता है सरकार को उस पर गौर करना चाहिये। ४० एकड़ के सुझाव पर २० एकड़, १५ एकड़ साढ़े बारह एकड़ या

१० एकड़ का जो सुझाव है और १० एकड़ के सुझाव के संशोधन पर मैं समझता हूं कि यह ढाई एकड़, तीन एकड़ या ५ एकड़ या ८ एकड़ पर एक फैसला हो सकता है जैसे कि बीच में बैठकर एक आदमी फैसला कर सकता है कि कुछ इधर के लोगों की बात ली और कुछ उधर के लोगों की बात ली। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करता हूं कि वह बीच के रास्ते को मानें और ब्रजनारायण तिवारी जी का जो संशोधन है कि उसकी जगह १० रख दिया जाय, तो इस तरह से श्रीमन्, २० और १० मिलाकर ३० हो जायगा। यह मेरा निवेदन है क्योंकि हम किसान के प्रति दृढ़-संकल्प हैं .....

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, अब तो हम २० की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाउस ने उसे आउटवोट कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—हां, वह तो अब आप नहीं कह सकते। आप इस संशोधन तक ही अपने को रखें।

श्री बुद्धीसिंह—मैं दस पर कह रहा हूं। माननीय मन्त्री जी सन्त विनोबा से भी कुछ प्रेरणा लें क्योंकि वह आज के जमाने में सबसे बड़े पंडित इस क्षेत्र में माने जाते हैं और जब कभी उनका गश्त होता है तो माननीय मंत्री जी की पार्टी के लोग हर जगह उनके साथ होते हैं, उनसे ही अगर वह कोई प्रेरणा लें तो भी कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन इन सबसे तो ऐसा लगता है कि इन राजा लोगों के साथ सरकार का कोई गठबन्धन अन्दर ही अन्दर होता है क्योंकि वोटिंग के वक्त वह साफ दिखाई पड़ता है। मैं सन् ३० की कुछ कविता की पंक्तियां निवेदन कर दूं—जब हम आजादी की लड़ाई लड़ा करते थे तो कहा करते थे—

मेरी जां न रहे मेरा सर न रहे सामां न रहे न यह साज रहे,
फकत हिन्द मेरा आजाद रहे और मां के सिर पर ताज रहे।
किसान मेरा खुशहाल रहे, घर-घर में भरा नित नाज रहे,
मेरे बच्चे वतन पर निसार रहें, मेरी मां बहनों में लाज रहे।
मेरी टूटी मड़ैया में राज रहे, कोई गैर न दखलंदाज रहे,
मेरे बीन के तार मिले हों सभी, एक भीनी मधुर आवाज रहे।

मुझे सन् ३० की यह चीज याद आ गई इस बहस के बीच में। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो बहुत पुराने हैं। सन् १९४६ में भी मैंने उनको यहां पर देखा है। उस वक्त भी एक उसूल माना गया था कि जमींदारी का खात्मा होगा लेकिन उसके साथ-साथ सरमायेदार का भी खात्मा होगा। इस कृषि के बारे में तो कानून आ रहे हैं लेकिन सरमायेदारी को खत्म करने के लिये भी वह बिल लायें तब हम जानें कि उसूल का पालन कर रहे हैं। यहां पर सदन में यह जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी आमदनी पर उनके रोजगार पर, और उनके मिलों पर भी सीलिंग होनी चाहिये। यह १० एकड़ वाला जो संशोधन है वह सरकार को मान लेना चाहिये। यही मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे संशोधन के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। अन्त में मैं चन्द शब्दों के साथ आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वह पुनः इस पर विचार करें। बलदेवसिंह जी ने कहा कि एक परिवार में आठ आदमियों के बाद नवें आदमी को कोई जमीन पाने का हक इस विधेयक के मुताबिक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके पास पहले से भूमि है क्या उन लोगों को ही इस देश में अपने पास भूमि रखने का अधिकार है? और जिनके पास भूमि अब तक नहीं रही उनको पाने का, यह अपने पास रखने का हक होना चाहिये या नहीं? यह सरकार या इस सदन के माननीय सदस्य उन भूमिहीन लोगों को कुछ जमीन देना चाहते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

या नहीं जो इस विधेयक के जरिये से भविष्य में पा सकें ? यही मेरा निवेदन है और इस पर आप विचार करें।

गंगाप्रसाद जी ने बड़े तेज शब्दों में इस बात को कहा और यह साबित कर दिया कि वह हरिजनों के दुश्मन हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का हरिजन कुछ खेती प्राप्त करे और अपना सीना तान कर खड़ा हो सके और उसको भी यह मालूम हो कि भूमि का मालिक होना क्या चीज है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिल जाय।

हमारा मतलब प्रदेश में किसी को दरिद्र बनाने का नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में करोड़ों आदमियों का भला हो। हम किसी को भिखारी बनाना नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि इस मुल्क में प्रजातन्त्र के सेट अप में कुछ लोग भूखे न मरें। उनके पास भी भूमि जाय। उनको भी इस विधेयक के द्वारा भूमि मिलनी चाहिये। अगर सारे प्रदेश को सुखी बनाने के लिये रिहेन्ड डाम पर ४५ हजार आदमियों को तबाह किया जा सकता है, उनके जीवन यापन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, उनको दूसरी जगह बसाने के लिये सवा छः एकड़ भूमि दी जा सकती है और वह भी बिना तोड़ी हुई महज इस वजह से कि इस तकलीफ को प्रदेश की भलाई के लिये बरदाश्त करो तो फिर इस विधेयक में इस बात पर क्यों विचार नहीं किया जाता है ?

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बतायें आपकी इस सीलिंग में अधिक से अधिक भूमि कितनी रहेगी ? इसका वह जवाब नहीं दे सकते। यह तो जोत पर सीलिंग है कि यह व्यवस्था जोत के लिये की जा रही है कि इतनी जमीन उनके पास रहेगी। यह सीलिंग भूमि पर नहीं की जा रही है। यह सीलिंग जोत पर की जा रही है। भूमि पर सीलिंग न करके कुछ लोगों को आप छूट दे रहे हैं कि उनके पास काफी भूमि रहे। मैं इसको फिर दोहराता हूं कि ४० और २४ जोड़ कर ६४ एकड़ तक सीलिंग उनके पास रहेगी और दूसरे वाले को १०६ एकड़ तक हो जायगी और इसी प्रकार से तीसरे नम्बर की जमीन वाले को यह सीलिंग १३८ एकड़ तक होगी। इतना तो सीलिंग के कानून के अनुसार उनको मिल रहा है और छूट इसके अलावा हैं। इसलिये मैं अन्त में कहूंगा कि आखिर जमीन के वर्गीकरण का आपका आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---जब माननीय सदस्य उत्तर देने खड़े होते हैं तो अपने पूर्व भाषण में कही हुई बातों और तर्कों को दोहाराते नहीं, उनको केवल उन बातों का उत्तर देना है जो बीच में अन्य सदस्यों द्वारा उठायी गयी हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि अगर एक सदस्य अधिक हो जाय तो ८ एकड़ दे दिया जाय। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि अगर आप फी यूनिट ८ एकड़ रख दें तो भी हम मान लेंगे, लेकिन क्या आप में इसके लिये हिम्मत है ? आप तो ४० एकड़ पहले ही दे देंगे और इसके अलावा यह ८ एकड़ की छूट है। इसीलिये हम ने यह संशोधन रखा है। प्रजा समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी के पास २० एकड़ से अधिक भूमि न रहे प्रदेश में। अभी मेहरोत्रा जी ने कहा कि उन लोगों में आपस में ही फूट है, कोई १० एकड़ चाहता है, कोई १५ और कोई २०। मैं पूछता हूं कि क्या आप में कम फूट है ? आपके यहां भी तो कोई सवा ६ एकड़ चाहता है कोई साढ़े १२ एकड़ और आप जो हदबन्दी करने जा रहे हैं वह ४० एकड़ की है और सीलिंग १३८ तक जायगी। आप कितने पानी में हैं यह भी तो देखिये। आप इतने पानी में न जायं कि जिसमें डूब जायं और उतराने का मौका ही न मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात और कहूंगा जितने बड़े लोग हैं उन लोगों के पास कोई अपनी जोत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आपने फिर साधारण वाद विवाद शुरू कर दिया। आप केवल १० के बारे में ही कहिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—हम १० एकड़ का संशोधन ही इसलिये लाये हैं कि अभी भी देहात में जो राजा महाराजाओं के खेत हैं वे यह बुद्धू का खेत है, यह मंगरू का खेत है, करके ही जाने जाते हैं। उनकी अपनी कोई जोत नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में १० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी जानी चाहिये।

श्री भीखालाल—मान्यवर, मैंने अपने संशोधन के समर्थन में जो कुछ भी पहले कहा था उस से कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं केवल अपने साथी गंगाप्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया और मैं समझता हूं कि यह जो हमारे प्रदेश में जमीन के लिये गरीबों के दिलों में आकांक्षा है वह गरीबों के दिलों से निकली हुई सही आवाज है और गरीब की बात गरीब ही पहचानता है। साथी गंगाप्रसाद जी भी कोई बड़े भारी काश्तकार नहीं हैं, वह भी गरीब परिवार के हैं और मैं भी गरीब परिवार का हूं और यह गरीबों की सही मांग है। हम तो हमेशा ही जमींदारों के जरिये से पीसे जाते रहे हैं और आज भी हम गरीबों के प्रतिनिधि हैं। वे चाहे इधर के हों अथवा उधर के, और चाहे जितनी हो उनकी आवाज दबायी जाती रहे, लेकिन कभी न कभी, किसी न किसी तरह उनके दिल की बात निकल ही पड़ती है। गंगाप्रसाद जी ने जो बात कही है वह सही है और मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को यह सदन मंजूर करे।

***श्री देवनारायण भारतीय**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के समर्थन में जो कुछ कहना था पहले ही कह चुका हूं। अब तो जो कुछ इसी प्रसंग में कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनका उत्तर देकर अपना कथन समाप्त करूंगा। माननीय ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मैंने यह स्वीकार कर लिया कि ४० एकड़ की अधिकतम जोत होनी चाहिये। मैंने अपने पहले भाषण में यह बात कही थी कि संख्या के बल पर यह सरकार जो चाहे वह कर ले। क्योंकि—

"मुझसे लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना,
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।

उनका ४० एकड़ सीमा रखने का पाप सोशलिस्ट पार्टी के मत्थे मढ़ना मुझे पसन्द नहीं आया। वे मेरे मित्र हैं और पुराने साथी हैं, जो बात वे स्वयं करना चाहते हैं उसे मेरे सिर क्यों मढ़ना चाहते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मेरा प्रस्ताव तो यह था कि अधिकतम सीमा २० एकड़ रखी जाय और उस पर हम आखिर तक कायम रहे। यद्यपि अभी भी ४० एकड़ की सीमा को सदन ने स्वीकार नहीं किया है, परन्तु चूंकि सभी संशोधन गिर गये हैं और वह सरकारी पक्ष की ओर का प्रस्ताव है, इसलिये यह निश्चित है कि उसे स्वीकार कर लिया जायेगा चाहे हम राजी हों या न हों। उसको हमें मानना ही पड़ेगा।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि देहात में ५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है शेष ९५ फीसदी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आवश्यकता से कम भूमि है। उनमें से करीब ४० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास औसत से इतनी कम भूमि है जो बिलकुल नहीं के बराबर ही है जिसको हम अलाभ कर जोत कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हम उन ५ प्रतिशत लोगों से कुछ भूमि बचा कर उन लोगों के पास पहुंचा देते हैं जो वास्तव में भूमिहीन हैं, तो इससे एक समता की भावना आती है। इसलिये समाजवाद का प्रैक्टिकल रूप देने के विचार से ही हमने अपना यह संशोधन रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवनारायण भारतीय]

माननीय सदस्य गोंडा ने एक बात कही कि जब ८ से अधिक परिवार के सदस्य बढ़ेंगे तो उस परिवार में ९ वीं संतान को अभाग्यशाली कहा जायेगा क्योंकि उसके हिस्से में सरकार कोई भूमि सीमा के अतिरिक्त नहीं देगी। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि शायद जब वे ऐसा कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि सरकार भूमि सीमा के साथ-साथ परिवार नियोजन भी करना चाहती है। सरकार ने परिवार की जो संख्या नियत की है वह इस दृष्टि से भी की है कि लोग परिवार नियोजन की ओर भी ध्यान दें और इस बात का प्रयत्न करें कि उनके परिवार की संख्या ज्यादा न बढ़ने पाये। राजा लोग इस बात की ओर से प्रायः उदासीन से रहे हैं और परिवार नियोजन के होते भी ऐसा देखा गया है कि वे अधिक स्त्रियां रखते हैं और अधिक परिवार बढ़ाने की ओर अग्रसर रहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन से उनकी इस प्रवृत्ति में भी काफी कमी होगी।

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरे संशोधन का महत्व इसलिये और भी अधिक बढ़ जाता है चूंकि मेरा प्रस्ताव बीच की सीमा बांधता है। कुछ लोगों का प्रस्ताव १० एकड़ का है। सरकार का प्रस्ताव २४ एकड़ का है, मेरा प्रस्ताव १२ एकड़ का है। ऐसी स्थिति में, मेरा प्रस्ताव बीच का होने के कारण, अधिक महत्व का हो जाता है और मुझे आशा है कि यह सदन उसे स्वीकार करने की कृपा करेगा।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं और वह यह कि हमारी पार्टी क्यों २४ एकड़ अधिक देने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है? ४० एकड़ की जो सीमा रखी गई है, वह और उसके अलावा २४ एकड़ जो रखी गई है यह अगर यहीं तक सीमा होती तब भी हमारा इतना विरोध न होता, मगर प्रश्न तो यह है कि यह ६४ एकड़ रबड़ की तरह बढ़ कर ९६ एकड़ भी हो सकती है और फिर ९६ एकड़ से बढ़ कर १२८ एकड़ भी हो सकती है। १२८ से ऊपर भी सीमा निकल सकती है। यदि किसी एक जगह पर सीमा निश्चित कर दी जाती कि इससे अधिक सीमा का उल्लंघन नहीं हो सकेगा तो मैं समझता हूं कि विरोधी दलों की ओर से इतना तीव्र विरोध नहीं होता जितना कि हुआ क्योंकि सीमा अनिश्चित है इसलिये उस विरोध का होना आवश्यक है। यद्यपि सरकार की नीयत पर सन्देह करना उचित नहीं है परन्तु सन्देह होता अवश्य है क्योंकि जिनके आज पास अधिक भूमि है उनसे सरकार भूमि नहीं लेना चाहती और भूमिहीनों का मखौल बनाकर उनको भुलावे में डालना चाहती है। इसलिये मैं अपने संशोधन का फिर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसे सदन स्वीकार करेगा।

*श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया उसका उत्तर हमें किसी ओर से नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि आप एक परिवार के ८ सदस्यों को तो हिस्सा दे रहे हैं लेकिन जो नवां सदस्य होगा उसके लिये आप कुछ नहीं कर रहे हैं। श्री गेंदासिंह जी ने आज ही नहीं अनेक बार मेरे ऊपर छींटा कशी की और कहा कि आप गरीबों को सहारा दीजिये और देश की उन्नति कीजिये, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गरीबों को जो अवसर देने चाहिये वह क्या उनको दिये गये हैं।

यहां पर चीन और जापान के उदाहरण दिये गये। यह तो मानी हुई बात है कि चीन की दशा हम यहां नहीं लाना चाहते, हां, जापान में कृषि की अधिक तरक्की हुई है, वहां पर छोटे खाते हैं लेकिन उनको इस बात पर विचार करना चाहिये कि वहां पर उनके क्या साधन हैं। वहां पर गृह उद्योग जोरों पर हैं। वह केवल खेती पर ही आश्रित नहीं हैं लेकिन यहां पर हम सीमा बांधने जा रहे हैं। यहां पर हम ८ सदस्यों को एक परिवार में जमीन देने जा रहे हैं लेकिन नवें की तरफ हमारा कोई खयाल नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद जी ने भीखालाल जी के विचारों की बड़ी सराहना की। वह हमारे यहां से एम० एल० ए० होकर आये हैं उनके पास पहले कितनी भूमि थी और आज कितनी भूमि है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने भूमि के हासिल करने में जितनी तरक्की की है मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से तरक्की करने का मौका होना चाहिये । हर छोटे आदमी को बड़ा आदमी बनना चाहिये।

सरकार ने जो ४० एकड़ की सीमा मुकर्रर कर दी है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ८ एकड़ प्रति व्यक्ति तीन अतिरिक्त आदमियों को और जो दे रही है उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीमा न लगाई जाय कि अगर अधिक सदस्य एक परिवार में हों तो उनको २४ एकड़ से ज्यादा नहीं मिल सकती । इस प्रकार से सीमा बांध देने से उन अतिरिक्त व्यक्तियों की अभिलाषायें समाप्त हो जायंगी, उनके लिये उन्नति करने का कोई मार्ग नहीं रह जायगा । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तमाम संशोधनों को प्रस्तावित करने वाले महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किये और उनके अतिरिक्त और बहुत से महानुभावों ने भी इसमें भाग लिया उन सभी का जवाब देना मेरे लिये जरूरी था लेकिन मजबूरी यह है कि आज साढ़े तीन बजे के बाद यह कार्यवाही स्थगित होने वाली है । मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय मुझे इजाजत देंगे कि हम कल इस विषय पर अपना जवाब ठीक तरह से दे सकें ।

अभी इस संबंध में पहले के ७ प्रस्ताव थे संशोधनों के यानी ४० के बजाय साढ़े बारह, २०, २५, ३० करने के, वे सब सदन द्वारा अस्वीकृत हो चुके हैं और कोई तरमीम बाकी नहीं है । इसलिये मैं आसानी से यह कयास कर सकता हूं कि सदन ने जो ४० एकड़ की सीलिंग को निश्चित किया है, हालांकि खण्ड ४ सदन के सामने अभी नहीं आया है, लेकिन उपरोक्त संशोधन पर लिये गये सदन के फैसले के अनुसार मेरा ऐसा खयाल होता है कि वह ४० एकड़ वाली सीलिंग को मंजूर करेगा ।

श्री अध्यक्ष--अब आप कल ही भाषण जारी रखें ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा पुलिस की सहायता लेने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--अब माननीय नेता विरोधीदल, श्री त्रिलोकीसिंह जी संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद संबंधित मंत्री अपना जवाब देंगे । इसके बाद कुछ वे सदस्य जिनकी इस विषय में विशेष जानकारी है, बोल सकेंगे । उनके लिये मैं १० मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा और आपके (श्री त्रिलोकीसिंह) लिये मैं समझता हूं १५ मिनट काफी होगा । इतना ही समय मंत्री जी को जवाब के लिये मिलेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--निवेदन यह है कि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । यदि समय की आवश्यकता हो तो सदन का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--साढ़े पांच बजे तक तो यह सदन बैठेगा ही । अगर मैं उस समय जरूरी समझूंगा तो विचार करूंगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया । मुझे आपसे ऐसी आज्ञा लेने में खुशी नहीं है । मैं किस तरह अपनी परेशानी को बयान करूं, इसके लिये मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं । आप को भी मालूम है और दूसरों को भी कि विश्वविद्यालय में या किसी स्कूल या कालेज में पुलिस बुलाई जाय तो इस संबंध में मेरी कुछ राय है । अर्सा हुआ यह राय मैंने बनाई थी । उस राय के बनने के बाद भी दुर्भाग्य से ऐसी कई घटनायें इस प्रदेश में हुईं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

विशेषकर बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में जहां पुलिस के बुलाये जाने की नौबत आई लेकिन मैं अपनी राय को नहीं बदल सका। बावजूद इसके कि मैंने कोशिश की और आज भी कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग पुलिस भेजते हैं और जिनकी यह राय है कि पुलिस के न जाने से विश्वविद्यालय का कार्य नहीं चल सकता था, उनकी बात को समझ सकूं।

मान्यवर, रजिस्ट्रार ने एक बयान निकाला। आपकी इजाजत से मैं उसके कुछ हिस्से जो अंग्रेजी में हैं पढ़ देना चाहता हूं। बाद में हिन्दी में उसका तर्जुमा कर दूंगा। वह इस प्रकार है :—

"In order to protect their honour and give them adequate security. The teachers insisted that, if adequate protection was not given to them it might be necessary for them to resort to resignations."

अर्थात् अपने मान की रक्षा के लिये और उन पर किसी प्रकार का कोई आघात न पहुंचे, अध्यापकों ने यह आग्रह किया कि अगर उनकी रक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसलिये पुलिस की मांग की गई। दूसरी ओर भी गौर करें जहां उसी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है :—

"In order to restore confidence and eliminate fear of personal violence and loss, necessary precautionary measures have been taken."

कहते हैं कि इत्मीनान पैदा करने के लिये और कोई खतरा न हो किसी माल का या किसी की जान का, इसलिये यह सब इन्तजाम किया गया है। साफ साफ यह माने हैं कि अध्यापकों ने यह दरख्वास्त को अपने उपकुलपति से और उसी दरख्वास्त को उपकुलपति ने सरकार के पास भेज दिया कि अगर पुलिस नहीं भेजते हैं तो उनकी हमारी इज्जत नहीं कायम रह सकती। दूसरी बात अध्यापकों को इस्तीफा न देना पड़े इसलिये पुलिस वहां पर भेजी गयी, यह उस विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय हो या एक पाठशाला हो, यह पुनीत स्थान है उनकी पवित्रता को पुलिस की मदद से कायम नहीं रखा जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है जिसे मैं आज तक नहीं बदल सका हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के इन अध्यापकों की राय में विश्वविद्यालय का काम चलाया जा सकता है, उनकी इज्जत कायम रखी जा सकती है पुलिस की मदद से। अब गौर करें आप इस गवर्नमेंट के इतिहास का और उसके पहिले की सरकार का। कुछ समय पहले लखनऊ कैनिंग कालेज के विद्यार्थियों के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ था। जिस समय यहां के लाट सर जेम्स मेस्टन थे, यह सन् १९१५ की बात है। उस पर लाट साहब कैनिंग कालेज में स्वयं गये और उन्होंने प्रिंसपल से कहा कि उनको अफसोस है कि पुलिस ने विद्यार्थियों के साथ मिसबिहेव किया। आज क्या है? विद्यार्थियों को किसके हाथ में दिया गया है? उनको पुलिस के हाथ में दिया गया है। अगर अध्यापक वहां तीन या साढ़े तीन सौ हैं तो पुलिस वाले वहां हर समय उनकी दुगुनी संख्या में जरूर मौजूद रहते हैं। हर कोने में, पेड़ों के नीचे, बरामदे में, क्लास रूम में, दफ्तर में, लड़के जहां रहते हैं छात्रावास में, उसके आगे, उसके पीछे, उसके दायें, उसके बायें हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आती है। इसका मतलब है कि लड़कों पर काबू पाने के लिये पुलिस की सहायता ली गयी है और उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि यह आदरणीय सदन इस पर विचार करे कि यह कहां की बात है, किस सभ्यता में इस बात की इजाजत हो सकती है कि विद्यार्थी पुलिस के सुपुर्द कर दिये जायं।

यह मामूली सवाल नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री ने कल ही इस आदरणीय सदन में यह कहा था कि भरपूर संख्या में वहां पुलिस है। भरपूर से मुमकिन है कि हजारों की संख्या हो लेकिन क्या उन्होंने कभी इसके औचित्य पर भी विचार किया कि विद्यार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाय? मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह प्रयत्न सफल नहीं होगा। भले

हो वहां का आन्दोलन समाप्त हो जाय और कोई नहीं चाहेगा कि आन्दोलन जारी रहे लेकिन आप गौर करें कि वह आन्दोलन कहां से शुरू हुआ। कहा जाता है कि ३ विद्यार्थियों के प्रवेश में रुकावट डाली गयी मैं उन लोगों में हूं जिनकी यह राय है कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता में तनिक भी दखल सरकार का नहीं होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि वे अध्यापक जो इस उसूल के कायल हैं कैसे उनकी यह हिम्मत हुई और उन्होंने उचित समझा कि सरकार की सहायता लें। एक तरफ तो आटोनोमी की आवाज और दूसरी तरफ पुलिस के संरक्षण की मांग, कि बगैर उसके वे काम नहीं कर सकते केवल ३ विद्यार्थी, और वे भी कैसे विद्यार्थी मेरे पास बयान मौजूद हैं, जो विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति में निकला है--जिनको पढ़ने-लिखने से कोई वास्ता नहीं, जो परीक्षा की इजाजत पर भी उसमें शरीक नहीं होते, और अगर शरीक होते हैं तो फेल हो जाते हैं। जो पढ़ने-लिखने में कमजोर हैं और लापरवाह हैं उन्होंने यह उपद्रव खड़ा किया और उससे यह सारा विघ्न पैदा हो गया है।

लेकिन इस सब को छोड़कर अगर इस प्रश्न पर जरा गौर किया जाय तो हमें यह मानना होगा कि मर्ज कहीं अलग है। जो कारण है उस कारण पर न तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कोई संकेत है और न सरकार की पुलिस के द्वारा ही कोई संकेत हुआ है। इसके पीछे डीप रूटेड मेलाडी है जो नहीं जाती और जो चीज पुलिस भेजने से कम नहीं होगी और कायम रहेगी। आज क्या नई बात है, सैकड़ों लड़कों के ऐडमिशन रिफ्यूज हुये लेकिन कभी कोई झगड़ा खड़ा नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा कि यह झगड़ा इसलिये खड़ा हुआ कि विश्वविद्यालय के अध्यापक अपने फर्ज को नहीं समझते कि वह लड़कों में संयम और अनुशासन कायम रखें। बस पढ़ा दिया वह भी जब कभी फुर्सत पाई और लड़के मिले। जहां ३००-३५० अध्यापक हों वहां वे लड़कों पर काबू न पा सकें। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह मामला यों हल नहीं हो सकता। इसके लिये जरूरत है कि जांच की जाय। मंत्री जी ने कई बार कहा है कि वह एक कमीशन की नियुक्ति करने जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ८ मास में २ बार लखनऊ में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुलिस लगाई गई। क्यों यह नौबत आती है इसकी जांच का काम भी उस कमीशन के टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में वह रखें इससे विश्वविद्यालय के काम के चलने में सहायता मिलेगी।

मान्यवर, मैंने कल इस एक प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहा था कि पुलिस के जाने से पहले विश्वविद्यालय में कोई नुकसान हुआ था या महज उसका अन्देशा ही था? मुझे जहां तक मालूम है वहां उस वक्त तक एक बल्ब भी नहीं टूटा था। इतना जरूर कहा जाता है कि वहां अध्यापकों को गालियां दी गईं। हमारे जमाने में गाली देना तो क्या जरा सी बात ऐसी अनोखी समझी जाती थी कि उसे कोई अध्यापक एक सेकेन्ड भी बरदाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यहां अध्यापक लड़कों की गालियां कई दिन तक सुनते रहे। यही लखनऊ विश्वविद्यालय था जब सन् ३८ में मेरे छोटे भाई का २ साल के लिये जरा सी बात पर रिस्टीकेशन किया गया कि उन्होंने एक अध्यापक को कमरे में कह दिया था कि आप "क्लकिश और इन्ट्रीगिंग" हैं। इतनी सी बात पर वह २ साल के लिये निकाले गये और कोई सुनवाई या पैरवी नहीं हुई। इन २०-२२ साल में वहां इतना पतन हुआ है। मैं कहता हूं कि जिन गालियों को वहां के टीचर दस दिन तक बरदाश्त करते रहे वे दस सैकिंड नहीं बरदाश्त होनी चाहिये थी। मूल में बात यह है कि नैतिक बल का अभाव है, जबतक उन अध्यापकों में वह नैतिक बल नहीं आता है तबतक पुलिस भेजकर काम चलने वाला नहीं है इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि जो कमीशन नियुक्त होने वाला है उसको जल्द नियुक्त करें ताकि इस मामले की जांच हो सके।

मेरी राय यह है कि पुलिस वहां से फौरन वापस मंगायी जाय और सारा इंतजाम उन्हीं ३००, ४०० अध्यापकों के सुपुर्द किया जाय। यदि वे अध्यापक यह समझते हैं कि इस इंतजाम को नहीं चला सकते हैं तो पुलिस किसी को इस्तीफा किसी की नौकरी कायम रखने के लिये आज तक

[श्री त्रिलोकीसिंह]

नहीं भेजी गई है, किसी को रेजिगनेशन न देना पड़े इसलिये पुलिस का इस्तेमाल आज तक इतिहास में नहीं हुआ। अतः पुलिस को वापस लीजिये और उन्हीं के सुपुर्द कीजिये। अगर वे नहीं चला सकते हैं तो मैं इस राय का हूं कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाय। अजसरे नो इन अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, बहुत से काबिल लोग हिन्दुस्तान में अध्यापक का काम करने के लिये मौजूद हैं और आसानी से मिल भी जायेंगे और विश्वविद्यालय फिर से चलाया जाय। मालूम हो जाय लड़कों को भी कि अगर ऐसी हुल्लड़बाजी करेंगे तो उसका यह इलाज है। मालूम हो जाय अध्यापकों को भी यदि इस प्रकार उपेक्षा करेंगे अपने कर्तव्यों की ओर, यही समझेंगे कि केवल थोड़ी देर पढ़ा देना ही उनका काम है तो उनकी भी नौकरी खतरे में है। मैं नम्रता-पूर्वक कहूंगा यह कोई गुस्से की बात नहीं है, अफसोस की बात है। यह नहीं है कि दिल जला हुआ है बल्कि दिल टूटा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा यहां गुस्से की बात न हो। उधर वाले भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वहां शान्ति हो, वहां का काम शुरू हो। लेकिन मैं कहूंगा कि पुलिस के भेजने से और वहां स्थापित करने से यह काम ठीक नहीं हो सकता है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, कल इस विषय में आपकी आज्ञा से सदन में चर्चा हुई थी और माननीय सदस्यों ने प्रायः सभी पहलुओं से इस प्रश्न पर प्रश्न करके अपने विचार भी व्यक्त किये थे और जिन परिस्थितियों में सरकार ने यह किया उसके विषय में जो कुछ मुझे जानकारी हासिल थी वह मैंने दी थी ताकि उन्हें उसका परिचय मिल जाय। आज माननीय नेता विरोधी दल ने पुनः इस प्रश्न को उठाया और आपने चर्चा करने की अनुमति दी इसलिये मैं भी कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सवाल ऐसा है जैसा कि त्रिलोकीसिंह जी ने कहा, कि इसमें कोई गुस्से की या दिल जलने की बात नहीं है दिल टूटने की ही बात है और ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध न केवल प्रदेश की तात्कालिक शांति और व्यवस्था से है बल्कि इस प्रदेश की उस संतति के जीवन से है जिनके ऊपर सारा भविष्य निर्भर करता है और जिनकी रचना और निर्माण करने के लिये यह आदरणीय सदन लाखों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष व्यय करता है। यूनीवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे सब हमारे और आप के घरों के बच्चे हैं और जो लोग प्रौढ़ हैं जिनकी सन्तान आज शिक्षा प्राप्त करती है उनको इससे बढ़ करके और कोई भी कामना जीवन में नहीं हो सकती कि उनके लड़के, उनकी सन्तानें जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं वह हमारे देश के गौरव के अनुकूल अच्छे नागरिक बने, अपने जीवन के संघर्ष में सफलता पूर्वक अपनी समस्याओं का और प्रश्नों का सामना करने में समर्थ हो सकें। आज इन शिक्षा संस्थाओं में यदि कहीं भी इस प्रकार की कोई अव्यवस्था या परिस्थिति उत्पन्न हो तो दिल का टूटना मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है और नेता विरोधी दल ने ठीक ही कहा। अतः इस विषय पर चर्चा करना और विचार करना भी मैं समझता हूँ मुनासिब बात है और मैं कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और आपने आज्ञा दी।

अभी संक्षेप में ही हमें कहना है कि हमारे सामने भी यह प्रश्न है। शिक्षा विभाग का संचालन करने का कुछ उत्तरदायित्व इस सरकार के एक सदस्य होने के नाते मेरे ऊपर है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा ऊंचे प्रकार की शिक्षा हो जो एक प्रकार से सुसंस्कृत करके हमारे नागरिक और मानव को निकालेगी। इस शिक्षा में यदि किसी प्रकार का उपद्रव और व्यतिक्रम खड़ा हो और यह भय हो जाय कि सारी शिक्षा का प्रवाह हमें किसी दूसरी तरफ लिये जा रहा है और एक शंका उत्पन्न हो जाय कि इस शिक्षा की उपयोगिता तथा सारा धन जो व्यय किया जा रहा है वह व्यर्थ हो रहा है तो उसके सम्बन्ध में एक बड़ी भारी निराशा होती है। कहीं विश्वविद्यालयों में उपद्रव हो, पुलिस भेजना पड़े तो कल भी मैंने निवेदन किया था और आज पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बढ़कर लज्जा की बात दूसरी हो नहीं सकती सरकार के लिये भी, इस प्रदेश की जनता के लिये भी, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के लिये भी,

विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये भी, सार्वजनिक नेताओं के लिये भी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के लिये भी।

श्रीमन्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूं कि पिछले ४, ६ साल से ये घटनायें बराबर घटती चली जा रही हैं क्योंकि परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय का छात्र केवल भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की दृष्टि में नहीं, इस देश के बाहर भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सशंकित दृष्टि से देखा जाने लगा है। इसका प्रमाण हमारे पास है। यहां के विद्यार्थी जो बाहर जाते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम उस विश्वविद्यालय से आते हो जिस विश्वविद्यालय में अभी यह उपद्रव हुआ था। शिक्षा का क्रम कुछ ऐसा हो गया है कि साल भर में ६ महीने आन्दोलन करेंगे और ६ महीने जब आन्दोलन नहीं कर सकेंगे तो कोई दूसरा काम करेंगे और इम्तहान में बैठ कर फेल होंगे। स्कूल और कालेज के खुलते ही फिर आन्दोलन छेड़ देंगे। परिणाम यह होता है कि दूसरों की पढ़ाई-लिखाई में बाधा पहुंचती है और जिस समय नया नया विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने के लिये सम्मिलित होता है उसमें उत्तर प्रदेश का छात्र कहीं पीछे हटता चला जा रहा है और अगर आंकड़ों को देखा जाय तो उसका कहीं पता नहीं।

माननीय नेता विरोधी दल ने अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डाली। यह बात सही है किसी सीमा तक कि उनको यह जिम्मेदारी उठानी होगी। वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अगर ऐसा निर्माण कर रहे हैं तो बड़े खेद की बात है लेकिन साथ ही साथ यह सोचने की बात है कि अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार क्या करे। अगर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय का छात्र विश्वविद्यालय का अध्यापक और विश्वविद्यालय की ईंटें यह पुकारने लगें कि हम खतरे में हैं और हमारी रक्षा करो, जान और माल का खतरा है तो सरकार क्या करेगी इसका उपाय हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने नहीं बताया। भगवान् न करे अगर विश्वविद्यालय में कुछ हो गया होता, किसी प्रकार की एक दुर्घटना घटित होती तो यह प्रश्न किया जाता कि उन्होंने मांग की, सरकार ने फिर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की।

बड़ा पवित्र स्थान है, विद्या का मन्दिर है, वहां सत्य का अनुसन्धान होना चाहिये, यह सब सही है पर इस पवित्रता को भ्रष्ट करने वाले वहां उत्पन्न हो जायं तो क्या किया जाय ?

श्री उग्रसेन—पी० ए० सी० भेजी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप सुनते चलिये। गम्भीरतापूर्वक बात हो रही है। यह अनुचित बात है। पहले आप सुन लें। मालूम नहीं आप के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं लेकिन यह तो आप समझेंगे कि अगर बाल बच्चे हम सबके पढ़ रहे हों तो यह तो चाहेंगे ही कि भले आदमी बनें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में थोड़े ही पढ़ाता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अध्यापकों के ऊपर दोष देना ठीक है, उनकी प्रारम्भिक जिम्मेदारी है, पर इस प्रकार के तत्वों के प्रोत्साहन आदि का भी काम होता है जिसके फलस्वरूप भी यह घटनायें होती हैं जिनका प्रमाण यहां अभी मिल रहा है। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि यदि विश्वविद्यालय पवित्र हैं तो उसकी पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी अध्यापकों पर भी है और विद्यार्थियों पर भी है। ये विश्वविद्यालय अध्यापकों को विद्यार्थियों को ही लेकर चलते हैं कोई इमारतों से तो चलाते नहीं है। अध्यापक अगर उसको भ्रष्ट करता है तो वह पाप करता है और छात्र भी यदि उसकी पवित्रता को नष्ट करें तो "ताड़नों बहवो गुणा" कभी-कभी उसकी आवश्यकता पड़े तो क्या किया जाय। आज क्या किया जाय ?

कैनिंग कालेज में गवर्नर गये। त्रिलोकी सिंह जी को मालूम होगा, अपने विद्यालयों से बड़े उत्साह से निकले देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष में लेकिन क्या यह कभी स्मरण है कि अपने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

स्कूलों और कालेजों से बाहर निकल कर या नारे लगा कर देश की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने के लिये विद्यालयों से बाहर आओ लेकिन इतना करने के अतिरिक्त क्या उस समय कभी किसी ने अध्यापक या किसी अधिकारी का रंचमात्र भी अपमान किया है, क्या यह सत्य नहीं है ? उस समय हम अपने गुरुओं को प्रणाम करके निकले। वह कहते थे, आशीर्वाद देते थे कि जाओ अच्छा नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी जाओ। यह भी कोई आन्दोलन है–एक प्रकार से गुन्डागीरी करना, अव्यवस्था उत्पन्न करना, गालियां देना, धमकियां देना, ढेले फेंकना, ला फैकल्टीज के शीशे तोड़ना। तमाम दरवाजे टूटे, वाइस चान्सलर के मकान पर चढ़ गये। रात को ढाई बजे, तीन बजे उनका डिमांस्ट्रेशन कि निकल आओ खून पी लेंगे और आप कहें कि उस वक्त तुमको कुछ नहीं करना चाहिये। सरकार बैठी रहे और तब जब कि वह डर कर यह कह रहा हो कि तुम अपनी रक्षा हमें प्रदान करो। यह हमारी समझ में कुछ नहीं आया। जो बात हमारी समझ में नहीं आई वह यही नहीं आई कि नेता, विरोधी दल..विरोधी दल के नेता....

श्री अध्यक्ष––विरोधी दल के नेता ही ठीक हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी––ठीक है, विरोधी दल के नेता जी ने अध्यापकों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी सरकार की पुलिस गई उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर डाल दी लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला जहां पर विद्यार्थियों ने जो कुकर्म किये हों वह उनकी भर्त्सना करते और कहते कि वह दन्डनीय हैं। और यही तरीका होता है, यह चीज होती है जिससे इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन मिलता है। जनता की ओर से अगर इसकी निन्दा हो....

श्री त्रिलोकीसिंह––मान्यवर, अगर आपकी इजाजत हो तो....

श्री कमलापति त्रिपाठी––मैं ईल्ड नहीं करता। आप को जवाब देने का मौका मिलेगा। आप तो बैठे-बैठे बोल लेते हैं लेकिन मुझे खड़ा होना पड़ता है। मैं बहुत शान्ति से आपकी सुनता रहा। आप भी मेरी सुनिये और जब अवसर होगा तो जवाब दीजियेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कहा गया है कि बच्चों को पी० ए० सी० के हवाले कर दिया गया है। हमने बच्चों को पुलिस के हवाले नहीं कर दिया है। विश्वविद्यालय की पवित्रता को नष्ट होने से बचाने के लिये शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था की है। पुलिस के हवाले नहीं किया है। कोई भी अपने बच्चों को पुलिस के हवाले नहीं करता। आपने जिस पवित्रता की बहुत दुहाई दी है उसी को बचाने के लिये, व्यवस्था को ठीक रखने के लिये यह शांति की व्यवस्था की गई है और इसके सिवाय और कुछ नहीं किया गया है। यदि आप कहते हों कि यह करना अनुचित है और अगर आप यह कहते हो कि उनकी नौकरी रखने के लिये पुलिस को भेजा गया है तो किसी भी विषय को उसके विकृत रूप से रखने की कला में नेता विरोधी दल मैं समझता हूं बड़े पारंगत हैं। मान्यवर, एक सेकेन्डरी बात को आपने कहा, कि उनके रेजिग्नेशन को बचाने के लिये आपने पुलिस को भेज दिया। अरे, जो अध्यापक वहां रहे उनको राक्षस और पिशाच कहा जाय और कहा जाय कि निकल आओ हम तुम्हारा खून पीयेंगे और इसको जानते हैं हमारे विरोधी दल के नेता जी, कि उनके घर पर गये, उनको गालियां दी गई और अपमानित किया गया और वह रुदन करते हुये कहते हैं कि वे हमारे स्टूडेंट्स भी नहीं हैं और इनके साथी बहुत से बाहर से लोग आये हुये हैं, वे लोग लाठियां ले ले कर घूम रहे हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। उस जघन्य कार्य की निन्दा करने का कोई जिक्र और उसकी भर्त्सना करने का कोई जिक्र एक शब्द में भी नेता विरोधी दल के मुंह से नहीं निकला। हां, उन्होंने यह कह दिया कि उनको त्यागपत्र से बचाने के लिये हमने अपनी पुलिस वहां भेज दी। नौकरी बचाने के लिये पुलिस भेज दी। इस प्रकार के तर्कों को और आपकी आज्ञा से मैं यह कहूं कि इस प्रकार के तर्कों को उपस्थित करके हम एक गलत चीज को प्रोत्साहन देते हैं।

आज यह इस प्रदेश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको हल करना होगा कि आखिर-कार यूनिवर्सिटियों की शान्ति और व्यवस्था को, वहां के पठन-पाठन, वहां के पवित्र वातावरण को नष्ट करने की चेष्टा जो कोई भी करे और यह कहे कि हम विद्यार्थी होने के नाते इसको नष्ट कर रहे हैं उसके प्रति उचित व्यवस्था की जायगी। हम तो इस राय के हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पुलिस न जाय पर इस राय के भी हैं कि जहां कहीं अव्यवस्था और गुंडई उपस्थित हो वहां उसका मुकाबला करना चाहिये शान्ति की स्थापना के लिये। यह हमारी स्थिति है और ऐसी स्थिति में उनकी मांग पर पुलिस वहां गई। भगवान् की कृपा है कि शान्ति से वहां कार्य हो रहा है। जिस कमीशन की मांग हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने की है वह मैं बहुत पहले एनाउन्स कर चुका हूं और आजकल में उसकी घोषणा भी हो जायगी। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, माननीय श्री हरिशचन्द्र जी की अध्यक्षता में उस कमीशन की घोषणा आज या कल तक हो जायगी।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात में मतैक्य प्रकट किया है कि विश्वविद्यालय पवित्र स्थल है, विद्या के मन्दिर हैं। इस बात को देखते हुये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आपके द्वारा इस सदन से अपील करूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर शान्ति के साथ निष्पक्ष भाव से, अनासक्त हो कर बहस होनी चाहिये। यह ऐसा मामला है जिस पर हमें व्यक्तिगत और दलगत भावनाओं से परे उठना चाहिये और जब मामला ऐसा हो तब हमको केवल इस बात पर विचार करना चाहिये कि जिस परिस्थिति पर दोनों ओर से, माननीय नेता विरोधी दल ने चिन्ता प्रकट की है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी चिन्ता प्रकट की है उस परिस्थिति पर हम किस तरह से काबू पायें, हमें शान्ति के साथ केवल इस बात पर विचार करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि मैं यथा मत, यथा शक्ति कभी भी किसी विवाद में व्यक्तिगत या दलगत बात नहीं लाता हूं लेकिन चूंकि यह कहा जा सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह किसी दलगत राजनीति के कारण कह रहा हूं इसलिये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दल का मैं सदस्य हूं उस दल की नीति भी इस सम्बन्ध में ऐसी है कि मुझे विश्वास है कि उस नीति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी। उस नीति को स्पष्ट करने के लिये मैं पटना में स्वीकृत हुये स्वतंत्र पार्टी की शिक्षा के सम्बन्ध में क्या नीति है उस प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है :

"पार्टी का यह मत है कि स्वतंत्र भारत में यद्यपि छात्रों को स्नातक बनने से पूर्व विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये तथापि उन्हें कालेज जीवन में किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिये। अन्य पार्टियां चाहे कुछ भी कर रहीं हों स्वतंत्र पार्टीका मत यह है कि देश के राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले गुटों में छात्रों के विभाजन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये और अनुशासन की दृष्टि से पार्टी का यह मत है कि उसे विश्वविद्यालयों और कालेजों के भीतर राजनीतिक गुटों के निर्माणको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये"।

इसलिये मेरी कोई दलगत भावना भी इस प्रकार की नहीं हो सकती कि मैं विश्वविद्यालय के मामले में पार्टीबन्दी को पैदा करूं। और इसी मामले में नहीं, और मामले में भी जिस पार्टी का सदस्य होने का मुझे सम्मान प्राप्त है उस पार्टी की नीति ऐसी रहती है कि उस पार्टी की विरोधी सरकार को भी उसकी नीति को मानना पड़ता है। उदाहरण के लिये अभी बम्बई में हाल की हड़ताल के सम्बन्ध में स्वतंत्र पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एसेन्शल सर्विसेज के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

और साफ उन्होंने यह भी कहा कि जब उनको इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो उनको पूरी सुविधायें मिलनी चाहिये कि वह पंचायत के द्वारा अपने झगड़े को तय करा सकें और इसी के साथ साथ यह भी था कि उनकी यूनियनों में बाहर के लोगों को सदस्य नहीं होने देना चाहिये। आज के समाचार पत्रों से आपको मालूम होगा कि सरकार ने उनकी नीति को मान भी लिया है। यह बात मैंने इसलिये कही कि जिससे यह न समझा जाय कि मैं जो कह रहा हूं वह किसी दलगत भावना से प्रेरित होकर कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी के लिये जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है शोभनीय नहीं है कि विश्वविद्यालयों में पी० ए० सी० को भेजा जाय और यह भी नहीं कि गाली गलौज की जाय या भद्दे प्रदर्शन और आन्दोलन किये जायं। उनकी निन्दा करने का साहस मुझ में है और वहां जाकर के विद्यार्थियों के सामने की। लेकिन सवाल इतना है कि मैं आपकी निन्दा कर दूं, आप मेरी निन्दा कर दें, इससे काम नहीं चलता है बल्कि काम तो इससे चलता है कि मैं और आप दोनों मिलकर सोचें कि इस परिस्थिति पर काबू कैसे पाया जा सकता है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने इशारा किया कि इसकी तह में केवल विद्यार्थी ही नहीं हैं जो झगड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहा है। उसके पीछे सत्तारूढ़ पार्टी में जो गुटबन्दी है उसमें एक प्रतिस्पर्द्धा है कि किसका विश्वविद्यालय में प्रभुत्व हो, यह झगड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि यह आरोप सही है और न इस प्रकार से किसी आरोप को सही कहने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह आरोप लगाया जाता है, कांग्रेसी अखबारों में लगाया जाता है, हिन्दुस्तान टाइम्स में लगाया जाता है और अन्य अखबारों में भी छपता है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि यह आरोप लगाया जाता है। यह निराधार हो सकता है लेकिन लगाया जाता है। ठीक इसी तरह से जब तक न्याय शास्त्र के अनुसार साबित न हो जाय कि विद्यार्थियों पर जो आरोप लगाये जाते हैं, वह सही हैं तब तक हम उनको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये जरूरी है श्रीमन कि इस झगड़े के पीछे क्या-क्या मूल कारण हैं उनकी शीघ्र से शीघ्र जांच होने की आवश्यकता है और इस जांच के परिणाम स्वरूप यदि यह पाया जाय कि अमुक दोषी है तो उसकी निन्दा की जानी चाहिये और यदि यह पाया जाय कि वह निर्दोष है तो इस सूचना के आधार पर उसके विरुद्ध आरोपों का खंडन करके उसको गलत आरोपों से बचाया जाना चाहिये।

इसलिये पहली बात तो यह है कि मूल कारणों की अविलम्ब जांच करके उनको दूर किया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि पी० ए० सी० विश्वविद्यालय के प्रांगण से शीघ्र से शीघ्र हटायी जानी चाहिये। मेरा खयाल यह है कि इससे किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता है, हां, इसमें मतभेद हो सकता है कि कितनी जल्दी यह हो सकता है और कब हो सकता है। लेकिन सिद्धान्ततः प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि जितनी जल्दी पी० ए० सी० वहां से हटाई जा सके, हटा ली जाय।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने प्रश्न कियाकि जब इस तरह की घटना होती है तो हमें क्या करना चाहिये ? क्या हमें अध्यापकों को अरक्षित अवस्था में विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ देना चाहिये ? मैं इससे बिलकुल सहमत हूं कि हम उनको अरक्षित अवस्था में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या उन्होंने प्रयत्न करके देख लिया कि साधारण कानूनों के द्वारा अध्यापकों की रक्षा नहीं हो सकती थी और जो ऐसी अव्यवस्था कर रहे थे उनको क्या उचित दंड नहीं दिला सकते थे और दूसरी यानी अंतिम बात मैं यह कहूंगा कि जब साधारण कानूनों से काम न चले तो दूसरा उपाय यह है कि जिन अध्यापकों के लिये या जिन अधिकारियों के लिये खतरा हो उनके आवास पर गार्ड नियुक्त कर दिया जाय। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रांगण में पी० ए० सी० को उस समय तक नियुक्त नहीं करना चाहिये जब तक कि पहले दो उपायों

को करके न देख लिया गया हो । यदि शान्ति चित से माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे तो वे इसी परणिाम पर पहुंचेंगे कि पहले इन उपायों को काम में लाया जाय और जब इनसे काम न चले तभी हम पी० ए० सी० को भेजने के जिये जस्टीफाई हो सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करता हूं कि वह कम से कम जो मैं उस परिस्थिति को सुलझाने के लिये, मामले को हमेशा के लिये शान्त करने के लिये कोशिश कर रहा हूं, उसे करने में वह मुझे सहायता दें । उसमें बाधा न डालें । बस यही मुझे अपील करनी है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त मास के प्रारम्भ से ही लखनऊ विश्वविद्यालय पर आपत्ति के काले बादल मंडराने लगे । पहली अगस्त से वहाँ पर अनशन प्रारम्भ हो गया, इस प्रश्न को लेकर हो गया कि कुछ विद्यार्थियों का प्रवेश करने से वहां के वाइस चांसलर ने इनकार कर दिया । तब से सोशलिस्ट पार्टी के ओर से कामरोको प्रस्ताव अथवा दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न बराबर उपस्थित हुये और नित्य होते रहे ।

हमारे नेता माननीय राजनारायण जी ने जेल से भी माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखा कि इस सम्बन्ध में वे भी चिन्तित हैं और माननीय गृह मंत्री को कुछ सुझाव दिये कि इस बारे में वे स्वयं प्रयत्न करें । लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई । यह चिन्ता का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी वर्ष नहीं पिछले कई वर्षों से निरन्तर जब विश्वविद्यालय खुलता है तो उसके थोड़े से समय के बाद वहां पर कोई न कोई संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रगट हो जाता है ।

माननीय पालीवाल जी ने इसकी आलोचना करते हुये बताया कि इसमें सत्तारूढ़ दल भी किसी प्रकार दोष से परे नहीं है । वहां पर अध्यापकों और विद्यार्थियों में सत्तारूढ़ दल की ओर से कुछ ऐसी दलबन्दी है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां यह घटनायें प्रति वर्ष घटित हुआ करती हैं । माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्या के मंदिर हैं, पुनीत स्थान हैं । मैं तो यहां तक कहता हूं कि वह सबसे पुनीत स्थान हैं, हमारी भविष्य की आशाओं का केन्द्र हैं । आज वहीं से आपत्तियों की आंधी उठे और अंधकार पैदा करने वाले बादल मंडरायें यह हमारे लिये शोभनीय नहीं है ।

मैं सहमत हूं कि उसकी जिम्मेदारी यदि अध्यापकों पर, विद्यार्थियों पर और विरोधी दलों पर है तो उतनी ही जिम्मेदारी मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, सत्ता रूढ़ दल पर भी है, हमारी सरकार पर भी है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विद्यार्थियों में कुछ उद्दंड भी हैं, कुछ भ्रष्ट भी हैं लेकिन उनको पथभ्रष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या उसकी जिम्मेदारी वहां के अध्यापक मंडल पर नहीं है ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जब तक जनता में यह धारणा फैली हुई है, चाहे वह गलत ही हो कि अध्यापक वर्ग में से कुछ में, विद्यार्थियों से कम उद्दंडता और भ्रष्टाचारिता व्याप्त नहीं है, जब तक यह धारणा रहेगी तब तक जनता वहां के अध्यापक मंडल को निर्दोष नहीं कह सकती । मैं भर्त्सना करता हूं वहां के विद्यार्थियों की जो उद्दंडता के दोषी हैं । लेकिन उससे अधिक भर्त्सना मैं वहां के उन अध्यापकों की करता हूं जो उससे ज्यादा घृणित अपराध के दोषी हैं । मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति को लाने में वहां का अध्यापक मंडल भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना कि वहां के विद्यार्थी ।

एक परचा, के० डी० तिवारी, रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय की ओर से आज सदन में वितरित किया गया है जिसमें यह दिखलाया गया है कि जिन तीन विद्यार्थियों के प्रवेश पर वहां के अध्यापक मंडल ने या वाइस चांसलर ने एतराज किया था उनका लेखा विश्वविद्यालय में अच्छा नहीं रहा है । मैंने उसको देखा और मैं समझता हूं कि वे विद्यार्थी अयोग्य हैं और उन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिये । लेकिन जब विद्यार्थियों की ओर से विश्वविद्यालय में एक आग सुलगने लगी तो इससे पेश्तर कि वहां पर पी० ए० सी० बुलायी जाती, पी० ए० सी० के

[श्री देवनारायण भारतीय]

बुलाने से पहले मान्यवर, मेरा नम्र निवेदन है कि वहां के वाइस चांसलर को, वहां के अध्यापक मंडल को कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये था कि जिससे वह चिनगारी जो सुलग रही थी वह प्रचंड होने से पहले बुझा दी जाती। जब यह प्रकट हो गया था वहां के माननीय वाइस चांसलर को कि वहां विद्यार्थी उन तीन विद्यार्थियों के प्रवेश न दिये जाने से असन्तुष्ट हैं, तो उनको चाहिये था कि वह जो स्थिति आज स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह पर्चे बांट-बांट करके, इस स्थिति को उसी समय प्रकट करते और शेष विद्यार्थियों को कान्फिडेंस में लेते।

आज छः हजार विद्यार्थियों में से केवल तीन विद्यार्थियों के खिलाफ यह पर्चा बांटा जा रहा है; इन तीन विद्यार्थियों को प्रवेश से इन्कार भी किया गया, लेकिन इतने से यह बात तो स्पष्ट हो हो जाती है कि विश्वविद्यालय के छः हजार विद्यार्थियों में से इन तीन को छोड़कर शेष सभी एक समुचित भावना को लिये हुये थे और यदि प्रयत्न किया गया होता तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अध्यापक मंडल के साथ वे होते। परन्तु इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया और यह भी नम्रतापूर्वक मैं निवेदन कर दूं कि माननीय नेता विरोधी दल, माननीय पालीवाल जी, मैं और माननीय झारखंडे राय जी, सब लोग ५ अगस्त, को विश्वविद्यालय गये, इन विद्यार्थियों से मिले, हमने विद्यार्थियों की शिकायतों को मालूम किया और इस बात का प्रयत्न किया, अपने सुझाव दिये कि वह किसी तरह की उद्दंडता अपनी ओर से न होने दें। हमने यह भी कहा कि वह अपनी मांगों को हमारे सामने रखें। हम उनके ऊपर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मनवाने का प्रयत्न करेंगे।

साथ ही हमारे कुछ माननीय नेता वाइस चांसलर से भी मिले और समझौते की बातचीत चल रही थी, इसी बीच में मैं समझता हूं कि पी० ए० सी० को वहां पर भेजकर एक ऐसी भूल की गई है। हमारे वाइस-चांसलर ने उसको मांगा तो उनकी ओर से सरकार ने पी० ए० सी० को भेजा सरकार की ओर से जो समझौते का वातावरण विरोधी दलों के नेताओं ने मिलकर के पैदा किया था वह वातावरण मान्यवर, नष्ट कर दिया गया और मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि पी० ए० सी० रविवार को प्रातःकाल न पहुंच गई होती तो वहां पर अब तक समझौता हो गया होता और जो परिस्थिति बाद को कड़ुवाहट के साथ आगे बढ़ रही है वह आगे न बढ़ी होती। पी० ए० सी० के जाने से स्थिति काबू में आ गई ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० के जाने से स्थिति सुधरी नहीं बल्कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है।

आज विश्वविद्यालय बन्द हैं, बहुत से विद्यार्थियों का प्रवेश तक नहीं हुआ है और प्रवेश के लिये वह रुके हुये हैं। यदि यही स्थिति रही और पी० ए० सी० तुरन्त नहीं हटा ली गई तो मान्यवर, मुझे आशंका है कि न जाने कब तक विश्वविद्यालय बन्द रहेगा और विद्यार्थियों को जो शिक्षा वहां पर प्राप्त होती उससे वे वंचित रह जायेंगे।

मैं यह भी मान्यवर, नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं माननीय पालीवाल जी तथा माननीय नेता विरोधी दल का समर्थन करता हूं कि विद्यार्थियों की ओर से हिंसा का, वायलेंस का, उद्दंडता का कोई भी काम नहीं हुआ। माननीय नेता विरोधी दल ने तो यहां तक कह डाला कि एक बल्ब तक नहीं टूटा। मैं कहना चाहता हूं जबकि उनके प्रदर्शन में कोई हिंसा का समावेश नहीं हुआ था तो पी० ए० सी० भेजकर के उनको निमंत्रण दिया गया कि वह हिंसा की ओर प्रवृत्त हों और विश्वविद्यालय में और नगर में जो एक शांति का वातावरण स्थापित है वह भंग हो जाय और नगर से लेकर विश्वविद्यालय तक एक अशांति का वातावरण जैसा गत वर्षों में होता रहा है, वैसा पुनः उपस्थित हो जाय।

मैं मान्यवर, बहुत नम्रतापूर्वक एक निवेदन गृह मंत्री जी से करना चाहता हूं और वह यह है कि वह पी० ए० सी० को वहां से हटाने की कृपा करें। वहां का प्रबंध वहां के अध्यापकों पर छोड़ें। यदि वास्तव में अध्यापक मंडल के लिये कोई आशंका होती तो मैं इसका समर्थन करता

कि पी० ए० सी० वहां जाकर रक्षा करे, लेकिन पी० ए० सी० न तो विश्वविद्यालय की रक्षा कर सकती है और न उसकी मर्यादा को बढ़ा सकती है और न विद्यार्थियों पर काबू पा सकती है। पुलिस के जरिये से विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा तभी दी जा सकती है जब विद्यार्थियों में आपके अध्यापकों के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो और आस्था हो अपने अध्यापकों के उपदेशों को सुनने में। अध्यापकों में ऐसी क्षमता हो जिससे विद्यार्थी उनके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। उनके कर्म ऐसे हों जो विद्यार्थियों को उनकी ओर आकर्षित कर सकें और विद्यार्थी उनके उपदेशों को सुनने में अपना गौरव समझें। तो ऐसे वातावरण का पैदा होना उचित था, लेकिन जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब परिस्थिति का तकाजा है कि पुलिस को वहां से वापस बुलाया जाय और अध्यापकों को ही वहां के वातावरण को सुधारने का अवसर दिया जाय कि वह विद्यार्थियों से मिलकर उस वातावरण को ठीक करने का प्रयत्न करें और साथ ही सरकार निष्पक्ष होकर इस मामले को कमीशन के ऊपर छोड़ दे कि वह इस बात की जांच करे कि कौन इस विश्वविद्यालय के वातावरण को भ्रष्ट करने का जिम्मेदार है और फिर सरकार उस कमीशन की सिफारिश पर उचित ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जहां तक मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, जिसको इस बात से दुख न हो कि जो विद्या मंदिर है और जहां का वायुमंडल पवित्र और गम्भीर होना चाहिये वहां आज सरकार को पी० ए० सी० भेजनी पड़ी है। जहां तक मैं समझता हूं हमारे गृह मंत्री जी को भी बिलकुल इस बात से उतना ही दुख होगा जितना कि हमारे विरोधीदल के नेता को है। मैं समझता हूं वह भी उतने ही व्यग्र हैं कि जल्द से जल्द वहां से पी० ए० सी० को हटाया जाय। मेरा यह विश्वास है कि यूनिवर्सिटी के कार्य को, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, पी० ए० सी० की मदद से नहीं चलाया जा सकता। हमको उचित वातावरण में उसकी समस्या को गहराई तक सोचना होगा। आज यह हो सकता है कि कोई भी माननीय सदस्य जो उधर बैठा हो, सत्ताधारी दल के ऊपर यह आक्षेप कर सकता है कि आज जो भी वहां की परिस्थिति है, उसका उत्तरदायित्व इसी दल के ऊपर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि क्या उनका भी दल उनके दल की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी नहीं है? और क्या वह आज भी इस बात के लिये तैयार हैं कि एक सज्जनोचित निर्णय करने के लिये यूनिवर्सिटी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी के वातावरण को ठीक बनाये रखने में मदद करेंगे? मेरा खयाल यह है कि यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, एक समस्या है। आज हम जिन पर आंखें लगाये बैठे हैं कि वे ही देश के निर्माता होंगे, यदि उनमें यह उच्छृंखलता आ जाय, यदि उनमें पवित्र भावनाओं के स्थान पर ऐसी दूषित भावनायें घर कर जायं तो यह किसी दल विशेष का उत्तरदायित्व न होगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसलिये हम सब दलों को मिल कर इस पर विचार करना चाहिये। यह कोई बात नहीं होती कि हम आक्षेप करें कि सत्ताधारी दल विशेष के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दूसरे दल के अथवा कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस तरह की कार्यवाही करते हैं कि जिससे वहां का वातावरण क्षुब्ध होता हो, तो मैं समझता हूं कि उन्हें वहां से अपना हाथ अलग रखना चाहिये।

दूसरे, यह गंभीर विषय है और उसी तरह पर इसे हमें देखना चाहिये। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या हम विद्यार्थियों में ट्रेड यूनियनिस्ट की भावना पैदा करें और क्या ऐसा कर हम शिक्षा के पवित्र वातावरण को कायम रख सकते हैं? आज झगड़ा इसलिए है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी सारा खर्च करके भी यूनियन को २०,००० रुपये प्रति वर्ष देती है। हर एक व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

यह चाहता है कि यह २० हजार की आमदनी पर कब्जा किया जाय। अगर हम यूनियन बनाने के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकते तो सब से पहली बात हमें यह करनी चाहिये कि सर्वसम्मति से यह निर्णय किया जाय कि वहां की यूनियन की मेम्बरशिप आप्शनल हो जाय ।

दूसरी बात दुख की है और विभिन्न तरीकों से हमारे सामने आती रही है और वह यह कि वहां के अध्यापकों में पार्टीबन्दी है। इन सारे झगड़ों के पीछे वहां के अध्यापकों की मैनेवरिंग होती है। यह नहीं है कि सारे अध्यापक इसमें भाग लेते हों या सारे विद्यार्थी इन झगड़ों से क्षुब्ध न हों, ज्यादा अध्यापक ऐसे हैं कि जो इन झगड़ों में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो वहां पर किसी स्वार्थ के कारण अथवा शक्ति हाथ में लेने के लिये सारे वायुमंडल को क्षुब्ध किये हुये हैं और यूनिवर्सिटी के खुलने का समय नहीं आया कि झगड़े शुरू हो जाते हैं। यह हमारे देश और प्रदेश के लिये एक दुख की बात है कि प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का कार्य संचालन ६ महीने चलता है और ६ महीने चल नहीं पाता। इसका परिणाम केवल यही नहीं होता कि लड़कों को अपने पढ़ने-पढ़ाने में दिक्कत होती है बल्कि उनके आगे भविष्य के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है, उनमें एक अनुशासनहीनता आ जाती है और ट्रेड यूनियनिज्म पालिटिक्स के तत्व उनमें शुरू जीवन से ही आने प्रारम्भ हो जाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न हमें दलगत राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। हमें इसे इस तरह से भी नहीं देखना चाहिये कि हमें विद्यार्थियों की या अध्यापकों की या किसी दल की सहानुभूति अपने साथ रखनी है।

हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि यह जो एक राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्र की एक बुनियादी समस्या है, उसको किसी तरह हल किया जाय। उसे हमें हल करना होगा। हमें आज दृढ़ निश्चय होकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा और हमें प्रयत्नशील होना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि वे एक कमीशन की नियुक्ति करने जा रहे हैं जो कि वहां की बुनियादी समस्याओं के बारे में गहराई के साथ विचार करेगा और देखेगा कि किस तरह से यह हमारे विद्या मंदिर एक पवित्र मंदिर बन सकते हैं। इसलिये एक बार फिर मैं माननीय सदस्यों से, वे चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, यह अपील करूंगा कि वे इन सारी समस्याओं को इसी दृष्टिकोण से देखें और उनको हल करने का प्रयत्न करें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक साल के अन्दर दूसरी बार लखनऊ विश्वविद्यालय की गम्भीर हालत के बारे में आज हम विचार कर रहे हैं। दूसरी बार वहां पर फिर अशांति पैदा हुई है। मैं जहां तक इस पूरे मामले को गहराई के साथ देख पाया हूं, उसके फलस्वरूप मैं यह कह सकता हूं कि इस बार विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हुआ है, जो हालत भी आज हो पायी है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की है। यूनिवर्सिटी खुलते खुलते ही, कुछ लड़कों को प्रवेश न देकर जो हालत पैदा की गयी वही इस सारी अशांति की जड़ है। मैं समझता हूं कि पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुये, पिछले आन्दोलन को और जिस प्रकार से उसकी समाप्ति हुई, एक समझौता हुआ, उस सब को देखते हुये यह अधिकारी बड़ी आसानी से यूनिवर्सिटी के वातावरण को कुछ वर्षों के लिये शांत बना रख सकते थे। किन्तु मुझे सन्देह है, इस बार अधिकारी इस बात पर तुले हुये हैं कि किसी प्रकार से वे लड़कों को प्रवेश न देकर के ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि वे टक्कर खायें और फिर हमेशा के लिये यूनिवर्सिटी के अन्दर, जनवादी हलचल और जनवादी जीवन समाप्त कर एक मिलिटरी, फौजी हुकूमत को ले आयें ।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह सारे मामलात इतने आसान नहीं हैं जितने कि अक्सर बताये जाते हैं। पिछले आन्दोलन में एक विद्यार्थी जिसका नाम रामेश्वर मानव था, जिसने हंगर स्ट्राइक किया था उसके बारे में उनके एडमिशन फार्म पर यह लिखा गया था कि उसके प्रवेश पर ३१ तारीख के बाद विचार किया जायेगा

क्योंकि ३० तारीख चुनाव के नामिनेशन की आखिरी तारीख थी और रामेश्वर मानव सेक्रेटरीशिप के चुनाव के लिये खड़ा होना चाहता था। वहां के अधिकारी यह चाहते थे और हमारा यह संदेह है कि उसके पीछे इस तरह की भावना थी कि यूनिवर्सिटी के अन्दर, यूनियन के चुनाव में, वे लड़के हिस्सा न ले सकें और वे ही लड़के हिस्सा ले सकें जिनको कि वहां के अधिकारी चाहते हैं। वरना इस तरह की बातें "मानव" के फार्म पर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा अपना खयाल है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी के नाम पर सरकार कभी-कभी जहां हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है वहां तो वह चुप हो जाती है और जहां जरूरत नहीं होती है वहां पर हस्तक्षेप करती है।

मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और जिसके कारण सारे प्रदेश का शिक्षा वातावरण विषाक्त हो गया है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश के अन्दर कोई अन्य शिक्षाविद् नहीं था, कोई ऐसा महान् व्यक्ति नहीं था जिसको उपकुलपति के उस उच्चासन पर बिठाया जा सकता ? इसलिये मैं कह रहा हूं कि सारी झगड़े की चीजें बचाई जा सकती थीं,लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि हम वही करेंगे जो हमारे मन में है चाहे जो कुछ भी हो जाय। जनमत कुछ भी कहे, जनमत कुछ भी हो, विरोधी पक्ष कुछ भी कहे, लेकिन चूंकि हमारे हाथ में सत्ता है इसलिये हम वही करेंगे जो हमारे मन में है। वरना मेरा विश्वास है कि इस झगड़े को बचाया जा सकता था।

जहां तक लड़कों की उच्छृंखलता और अश्लील शब्दों के प्रयोग का सम्बन्ध है मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वह कोई हरेकृष्ण अवस्थी हों, चाहे कोई श्यामलाल बाजपेयी हों, चाहे झारखंडे राय हों, जो कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल करता है व्यक्तिगत तौर पर अथवा थोड़े समूह में या पब्लिक मीटिंग्ज में वह निन्दनीय है, उनका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, इस प्रकार से कोई भी आन्दोलन कोई भी दल कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन उसके साथ ही विद्यार्थियों की उच्छृंखलता की बातें कहकर मास्टरों के षडयंत्रों को छिपाना और पी० ए० सी० का प्रयोग करना, यह दोनों बातें भी उतनी ही निन्दनीय हैं।

जहां तक यह प्रश्न है कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा लें या नहीं, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस पर आप कभी डिबेट रखें, माननीय मुख्य मंत्री जी भी तैयार होकर आयें और हम लोगों को भी मौका मिले और एक अच्छी डिबेट हो जाय तो उससे कुछ सीखा जाय, समझा जाय और कुछ सिखाया और समझाया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब एक तरफ की राजनीति हो, एक दल की राजनीति हो, एक दल के एक गुट की विशेष प्रकार की राजनीति हो तब दूसरे दल वाले या विरोधी पक्ष वाले अथवा दूसरे गुट वाले सोये रहें यह कभी हो नहीं सकता, इस सम्बन्ध में कुछ कहना कोरा उपदेश होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस वक्त इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। इसमें केवल तीन विद्यार्थियों के न लिये जाने से झगड़ा हुआ। ५ तारीख को चार पांच आदमी, माननीय त्रिलोकीसिंह, पालीवाल जी, पद्माकरलाल जी, भारतीय जी और मैं स्वयं मिलकर पहले छात्रों से मिले, उनकी बातें समझीं, फिर पालीवाल जी के कमरे में बैठे और हमने आपस में विचार किया कि विद्यार्थियों की किन मांगों को हम सही और व्यावहारिक समझते हैं जिनको मनवाने के लिये हम माननीय मुख्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और वाइस चांसलर पर दबाव डालें। इसके बाद हम लोग ९ बजे रात में विद्यार्थियों से दुबारा मिले और उनसे अपनी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वे मीटिंग करके कल हमारी बातों का जवाब देंगे, लेकिन रात से ही हवा गरम हो गई कि पी० ए० सी० आ रही है। लड़के पकड़े जायेंगे और इसलिये सारा मामला गड़बड़ हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी यूनियन के चुनाव में अधिकारियों के पक्षीय दल के विद्यार्थियों की करारी हार हुई और उसी के कारण वहां पर पी० ए० सी० बुलाई गयी। हम लड़कों को मारल से ठीक कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा उनको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी अपना प्रभाव

[श्री झारखंडेराय]

इस्तेमाल करें और इस मामले को शांत करें। वहां से पी० ए० सी० को हटाया जाय और जो लड़के गिरफ्तार हुये हैं उनको रिहा किया जाय। जिन लड़कों के न लिये जाने से तमाम बातें पैदा हुई हैं उनको दाखिल किया जाय। उन्हें मौका दिया जाय कि अगर उनका कैरियर खराब है, जैसा कि एक परचे में कहा गया है, उनको वार्निंग दी जाय कि अगर तुम फेल हुये या अनुशासन में नहीं रहे तो उनके लिये विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन यह तो बदले की भावना ही कही जा सकती है कि पिछले आन्दोलन में जो प्रमुख नेता थे, जो अन्दोलन एक व्यक्ति के नाम से जुड़ गया था, जो वहां के आज उच्चतम आशन पर विराजमान हैं, उनको दाखिल न किया जाय।

अन्त में मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा न हो कि इतिहास फिर दोहरा रहा हो। अनशन, गिरफ्तारियां, सत्याग्रह, तमाम चीजें फिर से हो रही हैं। वही बनारस विश्वविद्यालय जैसी बात न हो जाय कि पूरा विश्वविद्यालय पी० ए० सी० को दे दिया जाय। आज वहां एक दर्जन के करीब अध्यापक विश्वविद्यालय से निकाल दिये गये हैं, वही बात कहीं यहां पैदा न हो जाय। विश्वविद्यालय पार्टीबाजी के दायरे के बाहर की चीज है, लेकिन यह सब के किये होगा। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से इसे देखा जाय, पी० ए० सी० को तुरन्त वापस बुलाया जाय, गिरफ्तार लड़कों को छोड़ा जाय, जो लड़के नहीं लिये गये हैं उन्हें लिया जाय, विरोधी लोगों को फिर मौका दिया जाय कि हम इस वातावरण के ठीक करने में सहायक हो सकें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी तकलीफ का विषय है कि हमारे सदन में वर्ष में कई बार ऐसी परिस्थिति आने लगी है कि जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री को कहना पड़ता है कि वह बड़े लज्जित हैं। जब किसी मानव समाज में या समाज की किसी इकाई या व्यक्ति का लज्जास्पद स्थिति में रहना स्वभाव बन जाय, या यों कहिये कि स्वभावतः अविच्छिन्न और सामान्य अंग बन जाय तो बड़े दुःख की बात है। यह प्रश्न हमारे लिये गंभीरतापूर्वक सोचने का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं इस सारे मामले को बिलकुल दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं पी० ए० सी० के भेजने की घटना को कोई घटना नहीं मानता, बल्कि वह पुराने घटना क्रम का एक प्रतिफल है। यह घटना अप्रत्याशित रूप से नहीं हुई, बल्कि उसके कुछ कारण हैं और उसके पीछे एक लम्बी पृष्ठभूमि है। हमें दुःख है कि जहां डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे मुख्य मंत्री हों, जो वैज्ञानिक समाजवाद के विद्वान् रहे हों, जिनकी इस विषय पर हम लोगों ने पुस्तिकाएं पढ़ीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों वह इस घटना को एक वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते। विश्वविद्यालय की घटनाओं की पृष्ठभूमि को देखे बिना और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किये बिना उस घटना को देखना विश्वविद्यालय के प्रति न्याय नहीं होगा, न शिक्षा के प्रति न्याय होगा, न विद्यार्थियों के प्रति न्याय होगा और न इस देश के प्रति न्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी प्रति वर्ष कुछ बातें दुहराया करते हैं। उनकी वाणी में बड़ा दम है। वह बड़े कलात्मक ढंग से कहते हैं कि क्या होना चाहिये ऐसी परिस्थिति में जब लड़के दंगा करें, जब विद्यार्थी पत्थर मारें, ढेले मारें और अपने गुरुजनों को गालियां दें। मैं किसी पर लांछन लगाने के लिये नहीं कहता हूं और न समाचारपत्रों में प्रसारित करने के लिये यह बात कह रहा हूं, लेकिन मैं गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे अपने हृदय को झांकें कि क्या यही एक समस्या है कि लड़के प्रतिवर्ष उदंड हो जाया करते हैं और इस प्रकार की घटनायें हो जाया करती हैं? यह कहां तक उचित है कि कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी की कापी ढूंढ़ कर उसको फेल करने का प्रयास करे? अगर यह सत्य है, अध्यक्ष महोदय, तो क्या किसी अध्यापक के लिये इससे भी अधिक लज्जास्पद बात कोई हो सकती है?

यह कहां तक उचित है कि अध्यापक लड़कों की गालीगलौज में हिस्सा लें ? यह कहां तक उचित है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी यह प्रयास करें कि किसी विद्यार्थी के दाखिले को रोका जाय और उस पर ३० जून के बाद विचार किया जाय, इसलिये कि वह लड़का पहले प्रवेश पाने पर कहीं यूनियन का प्रेसीडेण्ट न चुन लिया जाय? इससे अधिक लज्जास्पद बात विश्वविद्यालय के अध्यापकों के और अधिकारियों के लिये क्या हो सकती है ? मेरी जानकारी में ये बातें आयी हैं और अगर माननीय मंत्री जी स्वयं निरीक्षण करें तो उन्हें भी मालूम होगा कि ये बातें असत्य नहीं ह बल्कि तथ्य यही है। एक विद्यार्थी इसलिये रोका जाता है कि ३० जून के पहले वह एडमिट न हो। जिस हेड आफ डिपार्टमेंट ने उसके मामले को रिकमेंड कर दिया, उसे स्टाफ मीटिंग में डांट खानी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऊंचे आदर्श में पड़कर सैद्धान्तिक विषयों के बड़े बड़े शब्दों में निरूपणमात्र से इस समस्या का हल नहीं होगा बल्कि तथ्यातथ्य समझने का प्रयास होना चाहिये। रजिस्ट्रार महोदय का कहना है कि किन्हीं दो विद्यार्थियों का चरित्र ठीक नहीं है, उनको विश्वविद्यालय में नहीं आने देना चाहिये। ठीक है, चरित्र भी कोई मापदंड है लखनऊ विश्वविद्यालय में, मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई। यदि चरित्र कोई मापदंड सरस्वती मंदिर में बनाया गया तो मैं बड़ा प्रसन्न हूंगा और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसे निभाया तो अधिक प्रसन्नता होगी।

मैं श्री पालीवाल जी से सहमत हूं कि सत्तारूढ़ दल में जो पार्टीबाजी है उसका प्रभाव विश्वविद्यालय में दिखलाई पड़ता है। जैसे विश्व के इतिहास में अंग्रेज और फ्रान्सीसी अगर एक जगह लड़ जाते थे तो जहां कहीं भी ये दोनों होते थे, सब जगह लड़ जाते थे। उसी प्रकार ये विश्वविद्यालय को युद्धस्थली बनाए हुए हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि जो टीचर आज पावर में हैं, वही पहले छात्रों के आन्दोलनों का संगठन किया करते थे? क्या सन् १९५३ में ऐसा नहीं हुआ था? क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार की वृत्तियां इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने वाली हैं ? आप आसानी से कह सकते हैं कि ये बातें सत्य नहीं हैं, लेकिन इसका उचित जबाब आपका दिल ही देगा। आप सच्चाई को जानते हैं, विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० को बुलाने का और कोई कारण नहीं है।

मैंने कल एक प्रश्न पूछा था। प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने जो बतलाया, उससे बड़ी तकलीफ हुई। उससे यह मालूम हुआ कि अध्यापकों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि हमारी रक्षा की जाय, हमारा प्रापर्टी और सम्मान की रक्षा की जाय। इस प्रश्न पर मुझसे अन्य लोगों से मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब अध्यापक को अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा विद्यार्थियों से करने के लिये पुलिस के आश्रय की आवश्यकता पड़े तो उसे इस्तीफा ही नहीं दे देना चाहिये बल्कि आत्महत्या कर लेनी चाहिये। इससे अधिक घृणित बात और कोई हो नहीं सकती। मैं विद्यार्थियों का वकील नहीं हूं। मैं जानता हूं कि विद्यार्थी शैतानी करते हैं और जब समूह में होते हैं तो कभी-कभी गाली-गलौज पर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से कि क्या वे यह समझते हैं कि वे इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं ? जिस अध्यापक से अपनी सम्पत्ति या सम्मान की रक्षा न हो, जिसके लिये छात्रों के हृदय में सम्मान और श्रद्धा न हो, तो क्या उसका सम्मान डंडे और शासन के बल से कराया जा सकता है ? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों हमारे ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गोली चलने की नौबत आती है और उनमें पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है ? क्या आप समझते हैं कि इस प्रदेश में किशोवस्था में ही छात्रों में ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं जो अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते ? मैं लखनऊ या आगरा के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं अपने प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के लिये कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी नहीं है, बल्कि यह सत्तारूढ़ दल की पार्टीबाजी का फल है। अगर शिक्षा जगत में इस सरकार ने इसी प्रकार

[श्री गौरीशंकर राय]

दलबंदी की तो देश का और प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आप भले ही ऊंचे सिद्धान्तों की व्याख्या करें और भले ही आपको कष्ट हो, आपकी आत्मा दुखती हो, लेकिन ये सब बातें आपके लिये शोभनीय नहीं हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिये यह विधान भवन नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस जनता के आप प्रतिनिधि हैं, उसके हितों को देखते हुए और अपनी आगे आने वाली सन्तान के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए, छोटी राजनीति से ऊपर होकर इन बातों को सोचें, न कि किसको वाइस चांसलर बनाना चाहिये और किसको डीन बनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ है उधर के बैठने वालों से और कुछ इधर के लोगों से भी, और कुछ उन लोगों से भी जो इस सदन में नहीं बैठते हैं, जो इस सारे मामले को केवल एक पक्षीय रूप से देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर, छोटे मोटे स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करने से दुनियां में अच्छे और बड़े काम नहीं होते, बल्कि अच्छे काम करने के लिये कुछ त्याग करना पड़ेगा। अपने लाड़लों का त्याग करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी शैतान ने दो और दो चार कह दिये तो क्या यह आवश्यक है कि आप दो और दो पांच कहियेगा। माना कि लड़कों ने उचित नहीं किया कि उन्होंने अपने अध्यापक पर लांछन लगाया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, लड़कों द्वारा लांछन लगाये जाने के पूर्व इस सदन में ही उनके ऊपर लांछन लगाया जा चुका था। अगर कोई आदमी गलत काम करता है और उसके लिये कोई शैतान उसे गलत कहता है, तो क्या आप उसे अच्छा कहेंगे? अगर कोई शैतान किसी ऊंचे आदमी को ऊंचा कहता है तो क्या आप उसे भ्रष्टाचारी कहेंगे या अगर किसी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहता है तो क्या आप उसे ऊंचा होने का प्रमाणपत्र दीजियेगा? जिस व्यक्ति का जनता ने इतना विरोध किया उसी व्यक्ति को उपकुलपति बनाया गया। सम्पूर्णानन्द जी और उनकी सरकार के लिये यह प्रश्न सम्मान का इसलिये बन गया कि लड़कों ने उस व्यक्ति का नाम ले लिया। हो भी क्यों न? जो व्यक्ति सरकार का इतना प्यारा हो, सरकार उसे जनमत के विरुद्ध उपकुलपति बनायेगी।

श्री अध्यक्ष--आप अपने विषय के बाहर जा रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय--आज जो लोग विश्वविद्यालय में दलगत स्वार्थों के प्रतीक हैं, जो विश्वविद्यालय में पार्टीबाजी के लिये सदा से प्रसिद्ध रहे हैं, उन्हीं लोगों से सलाह मशविरा करके यह सरकार विश्वविद्यालय के कार्यों को करती है। टीचर पोलीटीशियन माननीय गृह मंत्री और अन्य संबंधित लोगों के कमरों में दिखायी देते हैं। इस प्रकार दो चार दिन काम भले ही चल जाय, समस्या का समाधान पूर्णरूप से नहीं हो सकता।

फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि केवल सैद्धान्तिक बातों के प्रतिपादन मात्र से विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं होगा। बल्कि वहां की समस्या का समाधान केवल सत्य को सत्य कह कर और तथ्य को स्वीकार करके और सब चीजों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके ही हो सकता है और तभी किसी सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप जनतंत्र के नाम पर, प्रदेश की जनता के नाम पर, प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था के नाम पर, बच्चों के भविष्य के नाम पर, एक बार फिर निष्पक्ष रूप से बैठ कर आत्म निरीक्षण करें और विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करके तब निर्णय दें।

***श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। असल में आज मुझे बहुत तकलीफ है क्योंकि विश्वविद्यालय को मैं एक सरस्वती के मंदिर के रूप में देखता चला आया हूं। वहां सरस्वती की पूजा होती है। मैं यह समझता हूं कि कोई पूजा का काम, शिक्षा का काम केवल शांति के वातावरण में ही हो सकता है; पुलिस के डंडे के नीचे या जेल के डर से जो वातावरण पैदा होता है, उस वातावरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में शिक्षा का काम नहीं हो सकता। श्रीमन्, यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे प्रदेश में वह वातावरण रहा नहीं है। इस थोड़े से समय में जो आप मुझे देने वाले हैं, पूरे वातावरण का विवेचन नहीं किया जा सकता किन्तु यह बात स्पष्ट है और मैंने इसका संकेत भी किया था, जब इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तथ्य पेश किये थे, जिस समय यूनिवर्सिटी के संबंध में एक अध्यादेश आया था। मैंने निवेदन किया था कि यदि प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो जाय तथा समस्त यूनिवर्सिटी का प्रशासन आर्डिनेंस द्वारा कराना पड़े तो यह बात विचरणीय है, गम्भीर विचारणीय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, उस समय से परिस्थिति कुछ बिगड़ती ही रही है। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि पिछले ६ महीने के अन्दर ही अन्दर दो दफा लखनऊ विश्वविद्यालय को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। यह बात स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं आटोनामी का हामी रहा हूं और आज भी उसका हामी हूं और मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि विश्वविद्यालय के दिन प्रति दिन के प्रशासन में शासन का बहुत बड़ा हाथ नहीं होना चाहिये, शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। किन्तु श्रीमन्, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब इसी सदन में कोई बात विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उठती है तब शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी आटोनामस है, उसके सम्बन्ध में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बात उस वक्त पसन्द आती है किन्तु जब कि वाइस चांसलर सिर्फ इस बात को कहते हैं कि पुलिस को भेजिये, उसके बिना हम लड़कों पर प्रशासन नहीं रख सकते हैं, तब वह आटोनामी क्षुण्य हो जाती है। मैं स्वीकार करता हूं श्रीमन्, कि जब शिक्षा मंत्री जी के पास खबर आती है कि हमें डर है कि यहां प्रापर्टी लट ली जायेगी, विश्वविद्यालय का नाश होगा, हमारी जान का खतरा है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर नागरिक की सुरक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है किन्तु किसी वाइस चांसलर की सुरक्षा करना उनका उत्तरदायित्व नहीं है। अगर एक तरफ से यह कहा जाता है कि यनिवर्सिटी में आटोनामी रहनी चाहिये तो दूसरी तरफ यह बात भी है कि जो यूनिवर्सिटी के चलाने वाले हैं उनमें यह योग्यता होनी चाहिये, उनमें यह क्षमता होनी चाहिये कि वे यूनिवर्सिटी को ठीक तरीके से चला सकें। मैं एक मिनट के लिये भी कल्पना नहीं कर सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठ कर प्रदेश का अधिकार तो चलाया करें, लेकिन जब कोई आफत आवे, कोई अमन शांति का सवाल आवे तो किसी दूसरे से कहें कि तुम हमारी सुरक्षा के लिये आ जाओ या इस तरह की कोई फोर्स भेजो। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के हिसाब से यह निहायत गलत सिद्धान्त है। उससे न प्रदेश की और न देश की, किसी की भी सुरक्षा नहीं हो सकती।

जो लोग कि आटोनामी में विश्वास रखने वाले हैं उनके अनुसार यूनिवर्सिटी का कार्य इस तरीके से कभी भी नहीं चल सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी। मैं कहना चाहता हूं कि जब वाइस चांसलर आटोनामी के हामी हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री भी उसके हामी हैं तो जिस वक्त उन्होंने पुलिस की मांग की उस वक्त माननीय मंत्री जी को कहना चाहिये था कि यूनिवर्सिटी का चार्ज हमें दीजिये, हम यूनिवर्सिटी को चलावेंगे और वहां के प्रशासन को ठीक रखेंगे और उसके लिये कोई दूसरा इन्तजाम करेंगे और किसी योग्य आदमी को ले आवेंगे। श्रीमन्, एक बात से मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस वक्त वाइस चांसलर महोदय ने लिखा कि हमें लड़कों पर प्रशासन रखना है तो उस यूनिवर्सिटी में एक एक्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है जिसमें हमारे विरोधी दल के नेता जो केवल विरोधी दल के नेता ही नहीं हैं, बल्कि इसी लखनऊ नगर के रहने वाले हैं और लखनऊ नगर के चप्पे-चप्पे से उनको वाकफियत है, वे वहां से सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और जैसी कि मेरी जानकारी है वे लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी हैं. . . .

श्री त्रिलोकीसिंह—यह गलत है।

श्री कैलाशप्रकाश--मेरी पुरानी जानकारी है, अब हो सकता है कि इस्तीफा दे दिये हो। तो श्रीमन्, वहां पुलिस भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां जो परिस्थिति पैदा हो गयी है वह इस किस्म की परिस्थिति नहीं थी कि जो वाइस चांसलर ने पुलिस की मांग की। लड़कों ने मुनासिब तरीके से अपनी मांग रखी है।

श्रीमन्, मुझे इस बात पर बहुत सन्तोष है कि आप ने आज एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की है, वैसे तो यह घोषणा पहले भी हुई थी और मैं समझता हूं कि यदि इस कमीशन की नियुक्ति में देर नहीं होती तो सम्भव है कि आज जो परिस्थिति विश्वविद्यालय में पैदा हुई है उसका मौका न आता। किन्तु मैं निवेदन करूंगा कि केवल कमीशन के नामों की घोषणा से बात पूरी होने वाली नहीं है। कमीशन की क्या टर्म्स आफ रिफ्रेन्स होंगी इस बात पर भी सारी बात मुनहसिर है। कुछ समस्यायें तो ऐसी हैं कि जो इस प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों पर लागू हैं, वह सब टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में आयें, लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी भी हैं जो लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की अपनी विशेष समस्यायें हैं। यह ठीक बात है कि एक मिनट के लिये भी अगर कोई विद्यार्थी उद्दंडता करता है और आश्रय लेता है अहिंसा का, एक मिनट के लिये भी अगर वह अध्ययन में मन नहीं लगाता, एक मिनट के लिये भी अगर कोई विद्यार्थी अपना मुख्य काम अध्ययन नहीं समझता तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसकी जितनी भर्त्सना हो सकती है वह करने वाला हूं और जब कभी सम्भव हुआ है मैंने ऐसा किया भी है। किन्तु मैं यह जरूरी समझता हूं कि अगर कोई विभागीय शक्तियां हैं और विभागीय चीजें हैं, उनके प्रति अगर देखभाल नहीं होती और उदासीनता बरती जाती है, एक लाचारी और मजबूरी का वातावरण पैदा होता है और जहां सत्ता और अधिकारों का प्रयोग होता है वहां विद्यार्थियों में भी लाजमी तौर पर एक उद्दंडता पैदा होती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं, मैं नहीं जानता और न मेरे पास कोई ऐसे साधन हैं कि मैं देख सकूं, लेकिन जो आरोप हैं वे गम्भीर मालूम होते हैं। लड़के जो आरोप लगाते हैं कि आज कुछ शिक्षक वहां अधिकारयुक्त हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय में जो पिछला विद्यार्थी आन्दोलन हुआ जिसमें कि अहिंसात्मक कार्य हुये हैं उसमें उन्हें शिक्षकों का समर्थन मिला है और उनकी सहायता मिली है और उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता भी दी है। मैं नहीं जानता, न मैंने कोई पूछताछ की है कि यह आरोप कहां तक सही हैं या गलत हैं.....

श्री अध्यक्ष---आपका समय हो चुका, आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कैलासप्रकाश--किन्तु यह ऐसी चीज है कि जिसके प्रति हमें देखभाल और जांच करना होगा कि किस तरह से विश्वविद्यालय की जो शिकायतें हैं पैदा हुईं और किस तरह से शुरू से ही अब की बार वातावरण दूषित हुआ। एक तरफ शिक्षक वर्ग है, दूसरी तरफ विद्यार्थी वर्ग है जैसे कि दोनों में लड़ाई हो यह परिस्थिति है। शिक्षा मंत्री जी घोषणा करें, कमीशन की नियुक्ति करें और तमाम चीजों को उस के सामने रखें और देखें कि जो भी उनकी कोई शिकायतें हैं वह उनके समक्ष रखें अगर उनमें कोई गम्भीर शिकायतें होंगी तो कमीशन में जायेंगी। तो मैं समझता हूं कि पी० ए० सी० को रखने की आवश्यकता नहीं होगी और जो विषम वातावरण पैदा हो गया है यह वहां नहीं रहेगा।

***श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सारी दुनिया के इतिहास में केवल हिन्दुस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है और उसमें भी खासकर यह प्रदेश जहां पर तालीमी दायरे में, विशेषकर यूनीवर्सिटी ऐसी संस्थाओं में, पी० ए० सी० की पोस्टिंग करनी पड़ी, एक बार नहीं कई बार। मान्यवर, मैं मुखालिफ पार्टी का हूं और हमारे और भी दोस्त इस तरफ बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ हमें कुछ शिकायतें हैं, यह सरकार निकम्मी है। लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना है कि यह मांग हमारी अपनी है। प्रदेश हमारा है, जनता हमारी है, विश्वविद्यालय हमारा है, विश्वविद्यालय में पढ़ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले नौजवान विद्यार्थी हमारे हैं। वह विश्वविद्यालय जहां पर स्कालर्स पैदा होते हैं, जहां ऐडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा होते हैं, पोलीटीशियन्स, हम और आप, पैदा होते हैं, आज उस विश्वविद्यालय की क्या हालत है ? वहां पर शिक्षण का काम अच्छी तरह से चल सकता है या नहीं मौजूदा परिस्थितियों में, उसकी क्या वजह है, क्या उसकी गहराई में है, क्या कारण है आज के इस वातावरण का ? क्या शिक्षा मंत्री के पास यह साहस है कि जो उनके पास तथ्य आये हैं अब तक जो उनके पास सूचनायें हैं उनको यहां रखें ? कौन चला रहे हैं इस आन्दोलन को ? बड़े गर्व के साथ कह दिया कि यूनीवर्सिटी में बाहर के गुंडे जाते हैं, शरारत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की जिम्मेदारी है, पी० ए० सी० की पोस्टिंग किये बगैर यूनीवर्सिटी का वातावरण शान्त तरीके से चलाया जा सकता है। सरकार ने गलत कदम उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि १० दिन बाद यह जरूरत क्यों पड़ी ? १० दिन से एजीटेशन चल रहा था और एजीटेशन चलाने के लिये दिल्ली, आगरा और इटावा के लोग आये हुए थे। विद्यार्थियों की कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई। दिल्ली, आगरा और इटावा से आने वाले लोगों ने एक ऐक्शन कमेटी बना ली। यूनीवर्सिटी अथारिटीज आपको रिपोर्ट करती है कि बाहर के लोग ट्रेसपास कर रहे हैं। कहां थे उस समय आपके सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, कहां थी माननीय शिक्षा मंत्री की शान्ति व्यवस्था ? कहां था आपका ट्रेसपास का कानून ? कहां थे वह पुलिस के डंडे जब फतेहगढ़ के हिस्ट्रीशीटर्स यूनीवर्सिटी में जा कर ढेलेबाजी करें ? मैं माननीय गौरीशंकर राय जी से सहमत हूं कि शिक्षक के लिये बहुत ही शरमनाक बात है अपने विद्यार्थियों के ऊपर काबू पाने के लिये पुलिस की शरण ले। लेकिन मान्यवर, मैं यह भी जानता हूं और सब को मानना पड़ेगा कि किसी भी शिक्षक को या आप में से किसी को एक हिस्ट्रीशीटर या कातिल से बचने के लिये पुलिस की शरण लेनी पड़ेगी। क्या किया आपने ? लखनऊ के अन्दर एक साजिश है, वी० सी० खराब हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी का कोई भी टीचर खराब हो सकता है, लड़कों के साथ बदतमीजी की बात कर सकता है, लेकिन सारी की सारी यूनीवर्सिटी का यह वातावरण हो जाय लखनऊ की, इसके अन्दर एक साजिश है। हिम्मत हो शिक्षा मंत्री को तो उस साजिश का पता लगावें। आज उन विद्यार्थियों को पकड़ना बड़ा आसान है और उनको जेल भेजा जा सकता है। आज उस हंगर स्ट्राइकर को उठाकर ट्रक पर जेल भेजने का बड़ा नाज है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने हिस्ट्रीशीटर्स, कितने गुंडे यूनीवर्सिटी के अन्दर घुस कर बदचलनी करते हैं, उनको, कितनों को पकड़ा ? मैं आज भी चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो असली जिम्मेदार हैं, जिनको आप आउट-साइडर्स कह सकते हैं उनको, कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों पर मुकदमा चलाया ?

मान्यवर, सरकार ने पी० ए० सी० की पोस्टिंग से आज यह हालत पैदा की है, आज यह हालत पैदा हो गयी है। मैंने अपने कान से सुनी हैं गालियां जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिये विद्यार्थियों ने दी हैं। भले आदमी का सर नीचे हो जायगा उनको सुन कर। टीचर्स ने बर्दाश्त किया यह फख्र की बात है। सो काल्ड ऐक्शन कमेटी जो बड़ा हौवा है मंत्री जी के लिये उसको कोई समर्थन विद्यार्थियों का प्राप्त नहीं था। ओवरव्हेल्मिंग विद्यार्थी क्लासेज में जाते थे, अपना काम करते थे क्योंकि आउट साइडर्स यह काम कर रहे थे। आप अपने कानूनी तरीके से, आर्डिनरी प्रोसेस आफ ला से उनको चुन चुन कर गिरफतार कर सकते थे। तो आज यह माहौल पैदा हो गया कि जो ओवरव्हेल्मिंग मेजारिटी विद्यार्थियों को पढ़ने के पक्ष में थी वह पी० ए० सी० की पोस्टिंग के कारण आपके खिलाफ हो गयी।

विद्यार्थियों की मांग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना मौका नहीं है कि मैं बहस में जाऊं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल, माननीय पालीवाल जी, माननीय झारखंडे राय अपने आप दौड़े विद्यार्थियों के पास और इस बात का प्रयास किया कि आन्दोलन समाप्त हो। मांगों की भी कोई सीमा हो ? एक, दो नहीं चार मांगों को ले

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

कर अगर स्ट्राइक शुरू की गयी और अब वे ८-१० हो गयीं। तीन विद्यार्थियों के दाखिले की बात शुरू करके हंगर स्ट्राइक की गयी और आज सात विद्यार्थियों के दाखिले की बात कही जा रही है। ज्ञात यह होता है कि पर्मानण्ट रिवोल्यूशन की तैयारी इस यनीवर्सिटी के अन्दर चल रही है। नेता विरोधी दल, पालीवाल तथा झारखंडे राय जी उस पर्मानेण्ट रिवोल्यूशन को खत्म करने के लिये दौड़ते फिरे और १० बजे रात को यूनियन बिल्डिंग से लौटे। उन्होंने कहा कि हम आपके सुझावों की कद्र करते हैं और ऐक्शन कमेटी की मीटिंग का फैसला आपके पास भेजेंगे। लेकिन आज तक वे नहीं लौटे क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह पर्मानेण्ट रिवोल्यूशन माननीय त्रिलोकीसिंह, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल या झारखंडे राय जी के हाथों खत्म हो। इसकी मिसाल है कि इस सूबे के आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे वाइस-चांसलर के खिलाफ जो इतने पापुलर थे वाराणसी में प्रदर्शन हो ही गया।

यह प्रदेश हमारा है, नौजवान हमारे हैं, मुल्क हमारा है, इसलिये भविष्य की तरफ देखने की मैं अपील करता हूं। विद्यार्थियों को भड़काने माननीय गौरीशंकर राय या माननीय नेता विरोधी दल नहीं जाते। भड़काने वाले आपके बीच में हैं जो यहां सीना तान कर यूनीवर्सिटी की आटोनामी की दुहाई देते हैं। मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूं जब यह गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी की आटोनामी पर हमला करती है। लेकिन यह हुकूमत जो पी० ए०सी० की पोस्टिंग करने वाली है, यह हुकूमत बदअमनी पैदा करने तथा एजीटेशन कराने के बाद यही हुकूमत जिम्मेदार है एजीटेशन चलाने की, हुकूमत की पार्टी का है, राज कहां पर है इसको पता लगाने की, आपके घर में उसका दोष है, आपके घर के आदमी आज गुंडों को भेजते हैं, पैसा देते हैं, क्यों नहीं गिरफतार किया आपने इटावा से आने वालों को और दिल्ली से आने वालों को ?

मैं १० बजे रात को हंगरस्ट्राइकर को देखने गया था, उस एक मासूम, बेगुनाह और ईमानदार लड़के को जिसको किसी तरह से हंगरस्ट्राइक पर बिठा दिया गया। माननीय गौरीशंकर राय जी मेरे साथ थे। वहां डेढ़ दर्जन विद्यार्थी बैठे हुये थे हंगरस्ट्राइकर के इर्दगिर्द, लेकिन केवल एक को छोड़कर जो वहां विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था पता लगा कि फलाने साहब दिल्ली के हैं या फलाने रिसाले में काम करते हैं, फलाने वकील साहब हैं या दूसरे लोग जो बुलाये गये हैं आंदोलन को चलाने के लिये। कहां है आपका कानून, कहां है आपकी पुलिस ? क्यों नहीं इनको पकड़ा गया ? जब मैंने वहां देखा आज यह दिन के लिये पास था। फाटक पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और लाठी लिये हुये, संगीनें ताने हुये, टोप लगाये हुये, मुझे हैरत हुई जब मैं अन्दर घुसा कि जहां मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बैठे देखता था, जहां क्लास टीचर्स को पढ़ाते देखता था, जहां लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे आज वहां पी० ए० सी० के लोग लाठियां लिये हुये, संगीनें खड़ी किये हुये सो रहे हैं। यह इसके लिये जेबा नहीं देता है, यूनिवर्सिटी अथारिटीज के लिये जेबा नहीं देता है और किसी भी भले आदमी के लिये जेबा नहीं देता है। मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क के लिये, इस प्रदेश की जनता के लिये, इन नौजवान विद्यार्थियों के भविष्य के लिये आपको सही कदम उठाने पड़ेंगे। आज आपके जो मामूली कानून हैं उनकी शरण आप को लेनी पड़ेगी और अगर यह नहीं तो एक नहीं, दो नहीं हजारों पी० ए० सी० आपकी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आप इस भड़कने वाले रिवोल्यूशन के लिये प्लान को वर्क आउट करके खत्म नहीं करेंगे तब तक आपकी पी० ए० सी० काम नहीं दे सकती।

समाज-कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, आजके इस वादविवाद में यद्यपि कुछ चीजें बहुत तेजी में कही गयी हैं और तेज आवाज में भी कही गयी हैं, लेकिन कुछ निश्चित तथ्य और तत्वों पर वे आधारित भी रही हैं। मैं आपकी आज्ञा से मौलाना, आपके द्वारा कहा हुआ कहूं, श्री पद्माकर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। यद्यपि यह सही है कि उन्होंने कुछ चीजों को कहा और इस ढंग से कहा है कि वह मानों हमसे कुछ कहना चाहते हैं,

लेकिन सही यह है कि उन्होंने बहुत कुछ अपने साथियों से कही है और इसीलिये मेरी यह इच्छा है कि उनको हृदय से बधाई दूं ।

इस समस्या के सम्बन्ध में मैं यदि कहने की धृष्टता करूं कि काफी अरसे से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्या बहुत कुछ इस देश के सामने और मुख्य रूप से इस प्रदेश के सामने रही है तो असत्य न होगा । अभी शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया था कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थी जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो उनके सम्बन्ध में वहां उन प्रदेशों में कुछ धारणा बंध गयी है और कई बार कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में वे बैठते हैं तो उनके सम्बन्ध में बरबस यह खयाल आता है कि वह उन्हीं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है जिनमें अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है । माननीय पद्माकरलाल जी ने उसका लम्बा चौड़ा जिक्र किया । एक प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़े सत्य को सदन के सामने रखा और मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है दुख के साथ कि और किसी माननीय सदस्य ने उस सत्य को रखने की चेष्टा नहीं की ।

उन्होंने जिक्र किया उन व्यक्तियों का जो कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन देते हैं । प्रायः वे बाहर के लोग हैं, विद्यार्थी नहीं हैं । सुरेन्द्रविक्रम सिंह जी, जिन्होंने यह अनशन किया, उनके विषय में भी सर्वविदित है कि वे विद्यार्थी नहीं हैं, इस विश्वविद्यालय के तो हैं ही नहीं । उन्होंने बतलाया कि जब ये सारी योजनायें बनीं तो कुछ वकील साहबान, कुछ दूसरे स्थानों से दूसरे प्रकार के लोग, सब के सब इकट्ठे हुये और इन योजनाओं में सम्मिलित हुये । समस्या बहुत सीधी सी है । जिस प्रकार से कि अभी देश में सरकारी नौकरों की हड़ताल के सम्बन्ध में यह कहा गया और आज इसके सम्बन्ध में बहुत गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि जो लोग इन नौकरियों में विशेष रूप से नहीं हैं उनको इन यूनियनों में स्थान नहीं मिलना चाहिये, इसी तरह से नान-स्टूडेंट स्टूडेंट एजीटेटर्स के सम्बन्ध में एक समस्या इस माननीय सदन के सामने यदि पद्माकरलाल जी ने रखी तो वे सचमुच बधाई के पात्र हैं । हम भी यह निश्चित रूप से जानते हैं कि बहुत से बाहर के लोग हैं जो इस अनुशासनहीनता के पीछे हैं । इस माननीय सदन ने किसी को नहीं बख्शा है, अध्यापकों का जिक्र हुआ, विद्यार्थियों का जिक्र हुआ, मेरा और जोकि विरोधी दल में बैठे हुये माननीय सदस्यगण हैं उनका जिक्र हुआ, यही नहीं बल्कि थोड़ा-सा आगे बढ़ कर कुछ और जिक्र किया ।

मेरे माननीय मित्रों ने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सत्ताधारी दल में जो कुछ दल हैं या आपस का मनमुटाव है उसका जिक्र किया । मैं इसका क्या जिक्र करूं, अध्यापकों की समस्या अपने स्थान पर है । कमीशन इसके सम्बन्ध में बहुत गम्भीर रूप से विचार करेगा और यह सही है कि बार बार उस चीज को दोहराने में कुछ हम लोगों को भी ज्यादा शोभा नहीं देता, लेकिन यदि ये अध्यापक राजनीति में आयेंगे तो वह किसी के लिये कोई शोभा की बात नहीं होगी और निश्चय ही देश की राजनीतिक स्थिति में उससे कठिनाइयां आती हैं और खास कर के शिक्षा के क्षेत्र में । कोई हममें से इस बात को इन्कार करने बैठा है कि यदि अध्यापकगण किसी प्रकार से दलगत राजनीति में पड़ते हैं तो न वह शिक्षा के लिये, न शिक्षित समुदाय के लिये और न विद्यार्थियों के लिये, किसी के लिये कोई हितकर बात है ?

अध्यापकों का अपना स्थान है और मुझे इस चीज की चर्चा करते हुये बहुत खुशी नहीं होती, लेकिन यदि मैं उसकी चर्चा न करूं तो शायद मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा कि एक हमारे माननीय मित्र जोकि अब से कुछ दिन तक हमारे प्रदेश में उपशिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कुछ चीजों का जिक्र किया और उन्होंने जिक्र किया उन बातों का जिनके जरिये से कुछ नयी चीजें सदन के सामने आयेंगी । मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऐसा खयाल करता हूं कि शायद उप शिक्षा मंत्री की हैसियत से उनके सामने ये घटनायें आयी होंगी । और मुझे नहीं पता कि कितनी बार उन्होंने किसी को राय दी हो कि यदि विश्वविद्यालय में आज की ऐसी आवश्यकता पड़ गयी हो तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर पहले देखा जाय और विश्वविद्यालय को

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हाथ में ले लिया जाय और उसके बाद कोई कार्य किया जाय और यदि आज कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि जिनके कारण विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संरक्षण मांगा, तो पहले विश्वविद्यालय को अपने कब्जे में कर लिया जाय उसके बाद पी० ए० सी० भेजी जाय । मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है और शायद इस सदन को भी ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार की कौन-सी परिस्थितियां आ गयी हैं ।

यह हो सकता है कि हमारे मित्र जोकि आज विरोधी दल के रूप में बैठे हुये हैं या हम में से कुछ व्यक्तियों ने ऐसा कहा हो कि अमुक व्यक्ति अमुक पद पर न नियुक्त किया जाय और उसको अमुक अधिकार न प्रदान किये जांय । यह हमको अच्छी तरह से ज्ञात है कि एक बार जबकि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह चर्चा चली हो कि उसको अमुक पद अभी मिलेगा और कुछ लोग उसके सम्बन्ध में आन्दोलन करने लगें और उस आन्दोलन से डर कर कोई सरकार घुटने टेक कर उस व्यक्ति को उसका अधिकार न दे तो मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा दुर्बलता कोई हो नहीं सकती । और यदि इस दुर्बलता को आगे बढ़ाया जाय और मेरे मित्रों की सलाह मानकर, जिसकी मेरे मित्रों ने चेष्टा की है कि विश्वविद्यालय पर अधिकार करने की कार्यवाही की जाय तो मैं इसको समझने में अपने को असमर्थ पाता हूं और इसी के साथ-साथ यह भी कहने की धृष्टता करता हूं कि सरकार भी इसमें असमर्थ है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप थोड़ा दूसरी तरफ चले गये । सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, चांसलर से सम्बन्ध है और इस पर कोई टीका नहीं होनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं । मैंने तो वाइस-चांसलर का जिक्र नहीं किया और अगर जिक्र किया है तो केवल इतना किया है कि अगर चांसलर ने कोई कार्य किया है, उसके विरोध में कोई कार्य किया जाता है तो यह निश्चित है कि सरकार उसके विरोध में काम करेगी और सरकार इसको अपना कर्त्तव्य समझती है कि चांसलर जो काम कर रहा है उसकी अवहेलना न होने दे । इसके अतिरिक्त यदि चांसलर ने कोई काम किया है उसको हुल्लड़बाजी के जरिये से, विद्यार्थियों के जरिये से या बाहर से गैर-विद्यार्थियों को बुलाकर उनके जरिये से उसके विरुद्ध काम किया जाता है तो मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह सरकार उसको कदापि स्वीकार नहीं करेगी ।

मेरा खयाल यह है कि शायद कटु सत्य कभी-कभी मेरे मित्रों को रुचता नहीं है और मैं इसके सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं । यदि यह आशंका हो और इस प्रकार के कार्य किये जांय और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण मांग करें कि उनके शान्ति स्थापित करने के लिये पुलिस या पी० ए० सी० भेजी जाय तो इसमें कौन-सी अनुचित बात है । मैं किसी तरह का लांछन अपने मित्रों पर लगाना नहीं चाहता हूं और न दूसरे व्यक्तियों पर थोपना चाहता हूं । मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि सदन को दो तीन चीजों पर विचार करना है कि घटना घटी विश्वविद्यालय में और कुछ ऐसी घटी जिसके सम्बन्ध में हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जिक्र किया कि वह उनके दिल के टूटने की बात है, उनके दिल के दुखने की बात है । वह चाहे उनके दिल के टूटने की बात हो, चाहे उनके दिल के दुखने की बात हो, यद्यपि मैं बहुत लम्बी चर्चा करने के पक्षपाती नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों ने जब इसकी चर्चा की तो मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से एक चीज की आकांक्षा की जायगी कि आज विद्यार्थियों की शिक्षा का देश के भविष्य से गहरा संबंध है, और प्रत्येक विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके संबंध में हमें यह सोचना पड़ता है कि वह देश का कितना उपयोगी नागरिक बनेगा । प्रत्येक विद्यार्थी जो शिक्षित होकर आगे आयेगा उसके संबंध में यह निश्चित है कि हमारे हृदय में कुछ धारणायें हैं, कुछ आशायें हैं और यदि उसके संबंध में किसी प्रकार के मत से प्रभावित होकर या दूसरी चीज से प्रभावित या प्रेरित होकर कुछ सोचने की चेष्टा करें तो शायद हमारा सोचना इतना ऊंचा और अच्छा नहीं होगा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं ।

आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों की शिक्षा का काम अच्छी तरह से सम्पन्न हो सके। हमारे वयोवृद्ध नेता पालीवाल जी ने जिक्र किया कि यदि विश्वविद्यालय को बंद करने की आवश्यकता पड़े तो वह कार्य भी करना चाहिये। किस के समाने यह सवाल नहीं आया और कितने दिनों के लिये यह काम नहीं हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया था कि ६ महीने का समय हमारे विद्यार्थियों का इस तरह के उपद्रव और विश्वविद्यालय के बंद होने में ही निकल जाता है तो मैं नहीं जानता कि माननीय पालीवाल जी या दूसरे मित्रों ने जो बात कही वह कहां तक ठीक है कि विश्वविद्यालय बंद कर दिये जांय तो मैं कहूंगा कि यह तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विचारने की बात है। लेकिन यदि विश्वविद्यालय बंद होता है तो उसके लिये उत्तरदायी आखिर में कौन ठहराया जायगा ?

एक सदस्य—सरकार।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह आपने ठीक कहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्त में सरकार का नाम आप लेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो बाद में कर लेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—वह बार-बार मेरी तरफ हाथ उठा कर कह रहे हैं। मेरे भाषण की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दें, मैंने कभी नहीं कहा कि विश्वविद्यालय बन्द होना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे खयाल में माननीय पालीवाल जी ने नहीं, शायद विरोधी दल के नेता ने कहा है। उसका उत्तरदायित्व माननीय पालीवाल जी पर भी है क्योंकि वह भी विरोधी दल से सम्बन्धित हैं और उनके नेता ने इस प्रकार की बातें कहीं। मैं यह कहना चाहता था कि यह सोचना सरल है कि विश्वविद्यालय बन्द कर दें लेकिन कब तक ? क्या यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया जाय, और मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक विश्वविद्यालय को बन्द करवाना चाहते हैं, महीने भर, दो महीने, या जब तक उपद्रव शान्त न हो ? इतनी बात जरूर है कि विश्वविद्यालय अपनी नीति को स्पष्ट करते हैं और अपना कार्य चलाते हैं। वह भी इस बात का विचार रखते हैं कि यदि विश्वविद्यालय को बन्द न किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक सरकार में बैठने वालों का सम्बन्ध है उनकी निश्चित धारणा है कि यदि उनको कभी न बन्द किया जा सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—थोड़ा-सा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं दो घंटे का समय तय कर चुका हूं। इससे ज्यादा समय नहीं होगा, म समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार की घटनायें हों, चाहे वह विश्वविद्यालय की बात हो या किसी दूसरे की जिन्दगी की बात हो और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास कोई पुलिस नहीं है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है जिससे लोगों को हटा सकें और इस प्रकार के उपद्रवों को रोक सकें। जब भी कभी किसी की सुरक्षा का प्रश्न पैदा होगा, विश्वविद्यालय में उपद्रव होगा, उस विश्वविद्यालय के अधिकारीगण यदि चाहेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिये, किसी की जान माल की सुरक्षा के लिये, शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा के लिये उनको सरकार की सहायता की आवश्यकता है, तो श्रीमन्, वह सहायता निश्चय ही दी जायगी और सदा ही सरकार इसके लिये चिन्तित और इच्छुक रहेगी कि शिक्षा सुचारु रूप से चले, इस प्रदेश में बालक, बालिकायें सुचारु रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में दो बातें कही गईं। माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि मैंने, उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने कुछ अशोभनीय काम किया है भर्त्सना नहीं की। मैं नहीं जानता कि वह सुन पाये या नहीं। मैंने यह कहा था और एक मिसाल भी दी थी कि १९३८ में एक अध्यापक के कमरे में क्लीकिश और इंट्रीगिंग कहने के कारण दो साल के लिये एक विद्यार्थी निकाला गया था और आज वह दशा है कि वह दस दिन से गाली देते चले जा रहे हैं और कान पर जूं नहीं रेंगती। अब इसके मानी वह कुछ समझें। मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है इसलिये कि न मैं मुलजिम हूं और न मुजरिम। जो बात कहता हूं, साफ कहता हूं।

दूसरी बात कही माननीय समाज सुरक्षा मंत्री ने, माननीय नेता स्वतंत्र दल कहते हैं कि समाज कल्याण मंत्री, वह तो दोनों ही के मंत्री हैं, उन्होंने यह कह दिया कि मैंने कहा कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाय। मैंने कहा कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाय लेकिन क्यों कहा.....

श्री अध्यक्ष—यह आप कारण बता रहे हैं, यह परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। यह व्याख्यान हो जायगा। आप कारण नहीं बता सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं कारण नहीं बता रहा हूं। मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, कारण तो मैं बता चुका हूं, उन्होंने यह कहा कि मैंने कहा कि विश्वविद्यालाय बन्द कर दिया जाय। लेकिन उसके बाद क्या हो, यह मैंने कुछ नहीं कहा कि अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया जाय या कब तक के लिये बन्द कर दिया जाय, और कोई दिल्ली की बात या आगरे और बम्बई की बात तो शायद नहीं कही, मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय बन्द हो यदि पुलिस की मदद से ही चलाना है। साथ-साथ अध्यापकों को नोटिस दिया जाय कि उनकी नौकरी समाप्त हुई, नये सिरे से अजसरे नौ अध्यापकों की फिर से नियुक्ति हो और विश्वविद्यालय फिर से खुले, इस तरीके से विश्वविद्यालय अच्छी तरह चल सकता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, इस वाद-विवाद का उत्तर देने का अवसर कुछ मुझको मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिये कोई उत्तर देने का सवाल पैदा नहीं होता। आप नियम देख लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं केवल यही कहना चाहता था कि कुछ ऐसा समझने को मुझसे बताया गया था।

श्री अध्यक्ष—हां, तो वह गलतफहमी हो गई थोड़ी-सी। बाद में मैं रूल देख रहा था और रूल देखकर मैंने आपके सचेतक से कह दिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, गलतफहमी किधर हुई?

श्री अध्यक्ष—गलतफहमी मेरी और उनकी बातचीत में हुई। आपने कोई गलती नहीं की।

मैं ५, ७ मिनट परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये दे रहा हूं और थोड़ी-सी सूचना भी मुझे देनी है, उस वक्त तक हम बैठेंगे।

***श्री कैलाशप्रकाश**—मान्यवर, अभी समाज कल्याण मंत्री ने कुछ बात विशेष रूप से ऐसे संकेत से कही जिसमें मैं ही विशेष रूप से अंकित होता हूं। अगर किसी और माननीय सदस्य की तरफ से वह आती तो न मुझे उसका दुख होता और न इतना आश्चर्य। किन्तु माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय की तरफ से स्वयं यह बात आई, उसका मुझे दुख और आश्चर्य है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप परसनल एक्सप्लेनेशन क्या देना चाहते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—परसनल एक्सप्लेनेशन यह हुआ कि उन्होंने यह कहा, इस तरीके की बात जिससे यह मालूम होता था कि जो बात मैंने आज कही है वह बात कभी कही नहीं और मैंने आज अपनी राय को बदल दिया जो मेरी राय उस समय नहीं थी जबकि मैं सरकार का एक सदस्य था। श्रीमन्, इस मसले पर मेरी क्या राय रही है यह मैं और केवल शिक्षा मंत्री जी जानते हैं, क्योंकि कुछ पाबन्दियां होती हैं और वह पाबन्दियां रहनी चाहिये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय समाज कल्याण मंत्री को कुछ इस किस्म का भ्रम हो जो उन्होंने सदन के सामने रखा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस मामले के ऊपर मेरी यही राय रही है और यही राय है।

श्री अध्यक्ष—अब कुछ वे सूचना देना चाहते हैं। आप कृपा करके सूचनायें सुन लें। सचिव कुछ सूचनायें देवेंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान परिषद् से प्राप्त सन् १९६० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १६९–१७९ पर।)

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान परिषद् से प्राप्त १९६० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १८०–१८७ पर।)

मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान परिषद् से प्राप्त १९६० का मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १८८–१८९ पर।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ अगस्त, १९६० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१ पर।)

सूची

काठगोदाम पुल के टूटने पर बनी जांच समिति के सदस्यों के नाम तथा जांच समिति के Terms of reference

जांच समिति के सदस्यः

(१) श्री ए० सी० मित्र, आई० एस० ई० या उनका प्रतिनिधि मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग।

(२) श्री आर० के० कोचर,
सुपरिन्टेन्डिन्ग इंजीनियर, ब्रिजेज, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

(३) श्री ओ० पी० जैन,
रीडर, रुड़की यूनीवर्सिटी।

जांच समिति के Terms of reference:

(१) क्या aqueduct के ढेबरियां दोनों ओर एक साथ ही ढीली कर दी गई थीं?

(२) क्या ढेबरियों के ढीले होने से aqueduct पुल के गिरने में योग मिला?

(३) यदि नहीं? तो इसके गिरने के क्या कारण थे?

(४) क्या पुल के गिरने के पहले इसकी पूर्णरूप से देखभाल (रख-रखाव), मरम्मत आदि होती रही? यदि नहीं, तो लापरवाही का उत्तरदायी कौन है?

(५) समिति के अन्य आवश्यक सुझाव जो कि भविष्य में पुल के बनने में सहायक हो सकें।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७ पर।)

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत इस समय बन रही शारदा नहर की चार नहरों की प्रगति निम्नलिखित है :

(१) **ठेकमा रजबहा**—यह नहर मील ५२–६ लम्बी है जिसमें से मील २–५–३४६ से मील ४६–२–२४६ तक की लम्बाई (मील ४३–५) आजमगढ़ जिले में पड़ती है। यह नहर मील ३१–६ से ३२–४ तथा मील ३७ से मील ३७–६ के दो हिस्सों को छोड़कर पूरी बन चुकी है। इस नहर पर अब तक ५,५५,०७२ रुपये का व्यय हो चुका है।

(२) **आजमगढ़ रजबहा**—यह नहर मील ५०–७ लम्बी है जिसमें से मील ९–० से मील ५०–७ (टेल) तक की (मील ४१–७ की) लम्बाई आजमगढ़ जिले में पड़ती है। आजमगढ़ जिले में इस नहर का निर्माण हो रहा है और लगभग ४० प्रतिशत काम हो चुका है। अब तक का व्यय ४,०२,४५७ रुपया है।

(३) **लालगंज रजबहा**—यह नहर मील ४४–४ लम्बी है जिसमें से मील ४–६ से मील ३७–३ तक की लम्बाई (मील ३२–५) आजमगढ़ जिले में पड़ती है। इस नहर पर कोई काम नहीं हुआ है और केवल १,८९८ रुपये का प्रारम्भिक परीक्षण आदि पर व्यय किया गया है।

(४) **फूलपुर रजबहा**—यह नहर मील ४८–४ लम्बी है जिसमें से मील २४–२ से मील ४८–४ तक की लम्बाई (मील २४–२) आजमगढ़ जिले में पड़ती है। इस नहर पर आजमगढ़ जिले में अब तक कोई काम नहीं हुआ है और केवल २,०६६ रुपये का प्रारम्भिक परीक्षण आदि पर व्यय किया गया है।

प्रश्न संख्या ६ के उत्तर का विवरण

उपरोक्त ४ नहरों के लिये वांछित सूचना निम्नलिखित है : (लाख रुपये में)

नहर का नाम		प्रोजेक्ट के अनुसार रकम	जून, १९६० तक वास्तविक व्यय	शेष
ठेकमा रजबहा	..	९.९	५.५५	४.३
आजमगढ़ रजबहा	..	१०.०	४.०२	६.०
लालगंज रजबहा	..	७·५८	०.०२	७.५६
फूलपुर रजबहा	..	३·२६	०.०२	३.२४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

ढोरा रिजरवायर पर कार्य करने वाले सिंचाई विभाग के स्टाफ को प्रदान की जाने वाली निवास-स्थान की सुविधाओं का विवरण

रेगुलर स्टाफ	रहने की व्यवस्था
१—सहायक अभियन्ता	(क) एक अस्थायी सहायक अभियन्ता का निवास स्थान।
	(ख) एक स्थायी ओवरसियर क्वार्टर।
२—ओवरसियर	(क) एक स्थायी ओवरसियर क्वार्टर।
	(ख) दो-दो कमरे के ८ अस्थायी ओवरसियर क्वार्टर।
३—इलेक्ट्रीकल और मेकेनिकल सुपरवाइजर	दो दो कमरे के दो अस्थायी क्वार्टर।
४—सब-डिविजनल कर्क	एक-एक कमरे के दो अस्थायी क्वार्टर।
५—स्टोर कीपर	एक कमरे का एक अस्थायी क्वार्टर।
६—पेटी स्टैबिलिश्मेंट (फोर्थ क्लास)	(क) २ स्थायी क्वार्टर।
	(ख) ६ अस्थायी क्वार्टर।

वर्क चार्ज्ड स्टाफ	
१—मेकेनिक २—आपरेटर ३—वर्क सुपरवाइजर ४—भट्ठा मुन्शी ५—पम्प आपरेटर ६—इलेक्ट्रीशयन ७—बेलदार ८—क्लीनर ९—चौकीदार १०—स्वीपर	(क) ८ कमरे वाली एक बैरक (ख) दो कमरे " " (ग) ६ कमरों वाले ८ बैरक, आगे ८ फिट चौड़ा बरामदा।
११—मस्टर रोल पर रक्खे हुये विभागीय श्रमिक प्रति दिन नियुक्त किये बेलदार	ए० सी० व जी० सी० शीट के शेड जो कि आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाये जाते हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर ।)

प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक बने हुये नलकूपों तथा उनके सिंचाई क्षेत्रफल (Commanded Area) के जिलेवार विवरण की तालिका

क्रम-संख्या	जिला का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना में अब तक निर्मित नलकूप	सिंचाई का क्षेत्र-फल (एकड़ में) (commanded Area)
१	देहरादून	१	५९९
२	सहारनपुर	१५१	१,२०,५६८
३	मुजफ्फरनगर	६६	५४,८२८
४	मेरठ	१०७	८४,५४३
५	बुलन्दशहर	१३३	१,०२,००६
६	अलीगढ़	१६०	१,३८,७५७
७	एटा	१११	९६,५८७
८	मैनपुरी	१०५	८५,७७८
९	फर्रुखाबाद	१५६	१,२८,२३८
१०	कानपुर	४	२,९६३
११	आगरा	५८	४५,९५०
१२	मथुरा	१	२६०
१३	इटावा	१	४२१
१४	मुरादाबाद	५७	४८,६८०
१५	बिजनौर	८७	७७,१३७
१६	बदायूं	७६	५९,६५०
१७	बरेली	७१	५१,९२६
१८	शाहजहांपुर	९४	९७,९६२
१९	पीलीभीत	१६	१८,६१२
२०	सीतापुर	७०	६८,२८९
२१	खीरी	१९६	२,१७,५५४
२२	हरदोई	३५	३१,७३२
२३	लखनऊ	१८	१२,९९१
२४	रामपुर	३५	३०,९३९
२५	बस्ती	२०८	२,२९,१७१
२६	गोरखपुर	१७१	२,२५,४२८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	जिला का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना में अब तक निर्मित नलकूप	सिंचाई का क्षेत्र-फल (एकड़ में) (commended Area)
२७	देवरिया	१९६	२,५०,६०७
२८	फैजाबाद	२४४	२,४२,०००
२९	सुल्तानपुर	७५	७४,०००
३०	बाराबंकी	२१	२१,०००
३१	आजमगढ़	१८९	१,८१,०००
३२	गोंडा	११३	१,१३,०००
३३	बहराइच	१०५	१,०५,०००
३४	वाराणसी	२७२	२,२०,०००
३५	जौनपुर	१५५	१,७९,३८२
३६	मिर्जापुर	४५	३९,८४१
३७	गाजीपुर	१५६	१,४५,५९७
३८	बलिया	१३७	१,४६,२२५
३९	नैनीताल	३४	२३,४६०
४०	इलाहाबाद	१२६	९८,१०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में),	स्थान
जोगीधर	६४.६	जोगीधर ब्लाक
सरा सरिया	१७८.६	" "
फुलैवा	१४.०	" "
मरा भुरिया	३८५.५	" "
	२२६.९	विरया बनकटिया
	६०.०	हागपुर
खेरा जरिया	८.७	भोगचुरी और बंदिया
	१४३.५	भरा भुरिया
	२०.०	फागपुर खेराजरिया
विसौता	१५.०	फागपुर
	२५.०	जोगीधर ब्लाक
भीकमपुर	११.२	जोगीधर ब्लाक
	२६.३	भीकमपुर
कुआ खेरा	५५.०	जोगीधर ब्लाक
	१९.२	कुआ खेरा
नानक भत्ता	१९०.०	जोगीधर ब्लाक
योग ..	१४४३.५ एकड़	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३–३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

माता टीला बांध में उन ठेकेदारों की सूची जिनका पेमेन्ट बाकी है

नाम ठेकेदार	कब से पेमेन्ट बाकी है	धनराशि
१—श्री भागमल जैन	अगस्त, ५९	३,५०८.७६
(अ) ,, ,,	,, ५९	(–) ६,४१६.६२
(ब) ,, ,,	,, ५९	२५.७०
२—श्री दलीप चन्द	,, ५९	६,८६४.७२
(अ) ,, ,,	,, ५९	(–) ६०२.६८
(ब) ,, ,,	अक्तूबर, ५९	३,०४८.५०
३—श्री जगदीश सरन	अगस्त, ५९	१,१४२.९३
(अ) ,, ,,	जून, ५९	४०.००
४—श्री गुलाब चन्द	नवम्बर, ५७	६४६.००
५—श्री मूलचन्द	जुलाई, ५९	९१९.१२
६—श्री सेर्तासिह	नवम्बर, ५९	२,६८३.००
७—श्री ए० पी० शुक्ला	जुलाई, ५९	३,३९७.७४
(अ) ,, ,,	अगस्त, ५९	(–) ५१३.२०
(ब) ,, ,,	अक्तूबर, ५९	७०९.००
८—श्री जगलोक सिह	जून, ५९	१,१३८.००
९—श्री सत्यपालसिंह	,, ५९	२,५३४.००
१०—श्री वी० एन० टंडन	,, ५९	६,६४९.००
११—श्री शील चन्द	नवम्बर, ५९	३,१२४.२२
१२—श्री दीवान चन्द	,, ५९	५,८००.८८
१३—श्री मोहनलाल	,, ५९	५,४४४.६८
	योग ..	४०,१४३.७५

टिप्पणी—उपरोक्त तीन स्थानों में (माइनस) का चिन्ह दिया गया है। इसका स्पष्टीकरण मुख्य अभियंता के कार्यालय से मांगा गया था। उन्होंने बतलाया कि यह धनराशि उन स्टाक (Stock) की वस्तुओं का मूल्य है जो कि ठेकेदारों को काम के सम्बन्ध में अधिक जारी कर दिये गये थे। उनका मूल्य उनके Security deposit में से adjust कर दिया गया है।

अविलम्ब प्रकाशन हेतु

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रगट होने वाले प्रयोजनों के लिये यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्ष नाम

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में — — यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा २ का संशोधन।

(क) खंड (एच) में शब्द "established" के स्थान पर शब्द "constituted" रख दिया जाय; तथा

(ख) खंड (के) के पश्चात् नये खंड (केके) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(*kk*) 'Nirvachan Nideshak (Panchayat)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette* and any officer to whom the Nirvachan Nideshak (Panchayat) delegates any of his powers and functions, shall be deemed to be Nirvachan Nideshak (Panchayat) for the purposes of the exercise or performance of such power or function."

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ की संख्या बदलकर उसे धारा ९ की उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— — यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा ९ का संशोधन।

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, no person who is not, and every person who is, for the time being, entered in the register as member, shall be entitled to vote at any election or in any other proceeding under this Act or the rules farmed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Goan Panchayat of Nyaya Panchayat."

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ११-बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — यू०पी० एक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा ११-बी का प्रतिस्थापन।

Election and term of Pradhan.

"**11-B.** (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst themselves in such manner as may be prescribed :

Provided that when a Gaon Sabha has failed to so elect, it shall be called upon to elect the Pradhan, but if it again fails, it shall be lawful for the State Government or the prescribed authority to nominate as Pradhan, a member of the Gaon Sabha qualified to be chosen as Pradhan and the person so nominated shall be deemed to have been duly elected.

(2) The term of a Pradhan shall commence from the date of the constitution of the Gaon Panchayat or from the date of his being elected or nominated, whichever is later, and unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the Gaon Panchayat."

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा ११–डी का प्रतिस्थापन।

५––मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ११–डी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"11-D. No person shall simultaneously—

Prohibition against holding certain offices simultaneously.

(*a*) be the Pradhan of a Gaon Sabha and a member (other than *ex officio*) of a Gaon Panchayat or a Panch of a Nyaya Panchayat; or

(*b*) be a member of a Gaon Panchayat and a Panch of a Nyaya Panchayat; or

(*c*) be a member of a Gaon Panchayat from more than one constituency;

(*d*) hold any office in more than one Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat;

and the rules may provide for the vacation of all but one offices by any person chosen to fill offices which he cannot hold simultaneoulsy."

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२ का प्रतिस्थापन।

६––मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"12. (1) As soon as may be, after the establishment of the Gaon Sabha, there shall be constituted an Executive Committee thereof called the Gaon Panchayat.

Constitution of Gaon Panchayat.

(2) Unless terminated earlier under section 12-G, the term of every Gaon Panchayat shall be five years or, if the State Government so declares by notification in the official *Gazette*, such longer term, not exceeding six years, as it may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be made before the expiry of the five years aforesaid or, when the term has been extended, before the expiry of such extended term.

(4) There shall be a general election in the manner prescribed to constitute or reconstitute Gaon Panchayats.

(5) The constitution of a Gaon Panchayat shall be notified in such manner as may be prescribed and thereupon the Gaon Panchayat shall be deemed to have been duly constituted, any vacancy therein notwithstanding :

Provided that the prescribed authority shall not so notify till at least two-thirds of the members of the Gaon Panchayat and the Pradhan have been elected or nominated.

(6) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election.

(7) The members of a Gaon Panchayat shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst themselves. Their number shall be such as may be prescribed and the Pradhan and Up Pradhan shall *ex officio* be the Pradhan and Up Pradhan of the Gaon Panchayat.

(8) The term of a member of Gaon Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of the Gaon Panchayat.

(9) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Gaon Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area :

Provided that this provision shall have effect only up to the date up to which reservation for such castes exists under the Constitution of India.

Provided further that nothing in the preceding proviso shall affect any representation in a Gaon Panchayat until a fresh election is held.

(10) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (7), it shall be called upon to elect the remaining number, but if it again fails to elect the full number, it shall be lawful for the State Government or the prescribed authority to fill in any seat so remaining vacant, by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any person so nominated shall be deemed to have been duly elected."

७—मूल अधिनियम की धारा १२—ए निकाल दी जाय ।

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२—ए का निकाला जाना ।

८—मूल अधिनियम की धारा १२—बी के पश्चात् नई धारा १२—बी बी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ में नई धारा १२-बी बी का बढ़ाया जाना ।

"12-BB. Superintendence of elections. All elections (including bye-elections and nominations) of members of Gaon Panchayats, and of Pradhans of Gaon Sabhas shall be conducted under the supervision and control of the Nirvachan Nideshak (Panchayat), who may also set aside or modify any order or declaration relating to such election passed or made without jurisdiction or in violation of any provision of this Act or the rules made thereunder by any officer or official entrusted with duties relating to the conduct of such election."

९—मूल अधिनियम की धारा १२-सी की उपधारा (१) में शब्द "a person who may be appointed" के स्थान पर शब्द "a person appointed" रख दिये जायं ।

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२-सी का संशोधन

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२–डी का प्रतिस्थापन ।

१०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२–डी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Disputes peraining to the election of Up Pradhan, Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

"12-D. The provisions of section 12-C shall *mutatis mutandis* apply to the election of a person as Up Pradhan of a Gaon Sabha or as Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat."

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२–ई का संशोधन ।

११—मूल अधिनियम की धारा १२–ई में अंक तथा अक्षर (11-B, 12-A) के स्थान पर अंक १२ रख दिया जाय ।

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा १२–जी का प्रतिस्थापन ।

१२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२–जी का स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Reconstitution of Gaon Panchayat, etc.

"12-G. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may—

(1) at any time order reconstitution of Gaon Panchayats in the whole State or in any specified area thereof and thereupon the term of such Gaon Panchayats shall be deemed to have expired and fresh elections, nominations and appointments may take place accordingly; and

(2) when there is any change in the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, order such changes in the constitution of the Nyaya Panchayat as it considers necessary in view of the change in the jurisdiction."

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६,१९४७ की धारा ४२ तथा ४३ का प्रतिस्थापन ।

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४२ तथा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Establishment of Nayaya Panchayat.

"42. (1) The State Government or the prescribed authority shall divide a district into circles, each circle comprising as many areas subject to the jurisdiction of the Gaon Sabhas as may be expedient, and establish a Nyaya Panchayat for each such circle :

Provided that the areas of Gaon Sabhas within each circle shall, as far as possible, be contiguous.

(2) Subject to a minimum of ten and a maximum of twenty-five, every Nyaya Panchayat shall have such number of members as may be prescribed, but it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to function notwithstanding any vacancy therein; provided the number of Panches therein is not less than two-thirds of the prescribed strength.

Appointment of Panhches and their term.

43. (1) There shall be appointed by the prescribed authority out of the members of a Gaon Panchayat such number of persons as may be prescribed to be Panches of the Nyaya Panchayat and thereupon the persons so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat and their seats in the Gaon Panchayat

shall be filled, as far as may be, in the manner provided in section 12.

(2) No person may be appointed as a Panch of the Nyaya Panchayat unless he has the qualifications that may be prescribed:

Provided that where suitable persons having the prescribed qualifications are not available for such appointment, any or all of such qualifications may, by an order in writing, be relaxed by the prescribed authority."

१४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— **यू०पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ४५ का प्रतिस्थापन।**

"**45.** The term of every Panch of a Nyaya Panchayat shall commence on the date of his appointment as such and, unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the Gaon Panchayat from which he was appointed:

Term of a Panch.

Provided that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed."

१५—मूल अधिनियम की धारा ११० की उपधारा (२) में— **यू०पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ११० का संशोधन।**

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ii) the establishment of Gaon Sabha or Nyaya Panchayat or the constitution of Gaon Panchayat."

(ख) खंड (२—जी) में शब्द "Panchayat" के पश्चात् तथा "सेमीकोलन" के पूर्व निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"and Pradhans and the appointment of Panches of Nyaya Panchayat."

१६—इस अधिनियम में दी हुई किसी बात का विद्यमान प्रधानों, गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा और वे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रधानों के पुनः निर्वाचन या गांव पंचायतों या न्याय पंचायतों के पुनस्संघटन तक, जैसी भी दशा हो, मूल अधिनियम द्वारा इस प्रकार शासित होंगे मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो। **अपवाद।**

उद्देश्य तथा कारण

यू०पी० पंचायत राज संशोधन अधिनियम समिति की सिफारिशों पर यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ वर्ष १९५४ में पूर्णतया संशोधित किया गया था। वर्ष १९५७ में ऐक्ट में कतिपय और संशोधन किये गये। विगत पांच वर्षों में पंचायतों के कार्य के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि ऐक्ट में कतिपय और संशोधन गांव पंचायतों के सामान्य चुनावों के पूर्व ही किये जायं।

विधेयक में जो संशोधन प्रस्तावित हैं वे गांव पंचायतों के संघटन तथा न्याय पंचायतों के पंचों के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। कतिपय आनुषंगिक और प्रासंगिक संशोधन भी प्रस्तावित हैं।

अनुसूचित जातियों के लिये लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानों के रक्षण से सम्बद्ध भारत के संविधान के उपबन्धों में हाल में ही परिवर्तन हुआ है। अतः इस अवसर का उपयोग उक्त अधिनियम में तदनुसार परिवर्तन करके अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के रक्षण की अवधि बढ़ाने के लिये भी किया गया है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित है।

विचित्रनारायण शर्मा
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६० के ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायी अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।

संलग्न उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६० में निम्नलिखित उपबन्ध दिये गये हैं जिनमें विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान के तत्व अन्तर्ग्रस्त हैं और जो सामान्य प्रकार के हैं। इनमें से अधिकतर अधिकार मूल अधिनियम के अधीन भी राज्य सरकार को थे और उनकी पुनरावृत्ति संगत उपबन्धों के प्रतिस्थान के कारण करनी पड़ी है।

खंड ४—इस खंड द्वारा मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ११-बी को एक नई धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पश्चादुक्त धारा में राज्य सरकार को उस रीति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार प्रधान, गांव सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा।

खंड ५—इस खंड के अधीन प्रस्तावित धारा ११-डी द्वारा राज्य सरकार को, ऐसे नियम बनाने का अधिकार दिया जा रहा है जिनमें उक्त धारा में अभिदिष्ट एक पद के अतिरिक्त समस्त पदों को ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त करने की व्यवस्था की जाय जिसे उन पदों की पूर्ति के लिये चुना गया हो जिन्हें वह एक साथ धारण नहीं कर सकता।

खंड ६—इस खंड के अधीन प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार गांव पंचायतों के संघटन या पुनस्संघटन के लिये सामान्य निर्वाचन किया जायगा।

इसी प्रकार उक्त धारा १२ की उपधारा (५) में राज्य सरकार को नियमों द्वारा उस रीति की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार पंचायत का संघटन विज्ञापित किया जायगा।

पुनः, उक्त धारा १२ की उपधारा (७) में राज्य सरकार को नियमों द्वारा, गांव पंचायत के ऐसे सदस्यों की संख्या नियत करने का अधिकार दिया गया है जिनका निर्वाचन गांव सभा के सदस्य अपने में से करेंगे।

खंड १३—इस खंड के अधीन प्रस्तावित धारा ४३ की उपधारा (२) में राज्य सरकार को नियमों द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या नियत करने का अधिकार दिया जा रहा है जो कम से कम दस तथा अधिक से अधिक पच्चीस होगी।

प्रस्तावित धारा ४३ की उपधारा (१) में सरकार को इस उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है कि वह इन व्यक्तियों की संख्या नियत करे जो नियत प्राधिकारी द्वारा गांव पंचायत के सदस्यों में से न्याय पंचायत के पंचों के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं।

उक्त धारा ४३ की उपधारा (२) में राज्य सरकार को उसके द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा न्याय पंचायत के पंच के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अर्हतायें नियत करने का अधिकार दिया गया है।

खंड १५—खंड १५ के उपखंड (ए) के अधीन मूल अधिनियम की धारा ११० (२) के वर्तमान खंड (२) को नये खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पश्चादुक्त खंड द्वारा केवल आनुषंगिक तथा शाब्दिक परिवर्तन किये गये हैं और यह राज्य सरकार के सम्बद्ध विषय पर नियम बनाने के वर्तमान अधिकार से भिन्न नहीं है।

खंड १५ के उपखंड (बी) द्वारा प्रधानों के नाम निर्देशन तथा न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति को मूल अधिनियम की धारा ११० (२) के वर्तमान खंड (२-जी) की परिधि के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव है और इससे परिणामतः राज्य सरकार को इस विषय पर भी नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

विचित्रनारायण शर्मा
स्वायत्त शासन मंत्री।

Extracts of relevant sections of U.P. Panchayat Raj Act, 1947

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,

* * *

(*h*) "Gaon Panchayat" means the Executive Committee of the Gaon Sabha established under section 12;

* * *

9. On the establishement of a Gaon Sabha, the prescribed authority shall cause to be prepared a register, in the prescribed form, of all persons ordinarily residing within the jurisdiction of such Gaon Sabha and such register shall, among other things, contain the names of every person entitled under section 5 to be a member of the Gaon Sabha on the date of its establishment. The register so prepared shall be revised at least once a year in the manner prescribed. Register of members.

11-B. The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed. Election of Pradhan.

(2) Subject to the provision of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be five years, or, if the State Government so declares, by notification in the official *Gazette*, such longer term not exceeding six years, as it may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of five years aforesaid, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term.

11-D. No person shall simultaneously hold any office— Prohibition of holding office simultaneously in Gaon Panchayat, Nyaya Panchayat and in more than one Gaon Sabha.

(*a*) both in the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat, or,

(*b*) in more than one Gaon Sabha, and the rules may provide for the action by a member who is so chosen to two such offices under sections 11-B or 11-C above, of one or the other office.

12. (1) As soon as may be after its establishment, every Gaon Sabha shall elect from amongst its members, an Executive Committee called the Gaon Panchayat. Establishment and constitution of Gaon Panchayat.

(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be *ex officio* member thereof. The Pradhan and the Up Pradhan shall also be *ex officio* Pradhan and Up Pradhan of the Gaon Panchayat.

(3) Subject to the provision of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be five years, or , if the State Government so declares, by notification in the official *Gazette*, such longer term not exceeding six years, as it may fix.

(4) The declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of five years aforesaid, or, when the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term.

(5) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election.

(6) The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees.

(7) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in the Gaon Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area :

Provided that this sub-section shall cease to have effect on and from the twenty-sixth day of January, 1960:

Provided further that nothing in the preceding proviso shall affect any representation in a Gaon Panchayat until the dissolution thereof:

Provided also that for purposes of determining the due representation of Scheduled Castes in any Gaon Panchayat, any person elected to a seat reserved for such castes but who may have been subsequently appointed to the Nyaya Panchayat under section 43, shall be taken into account.

(8) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members, it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant, by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated, shall be deemed to have been duly elected.

Number of persons to be elected for Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat.

12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number perscribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat, shall be members of the Gaon Panchayat.

Application for questioning the election.

12-C. (1) The election of a person as Pradhan of a Gaon Sabha or as member of a Gaon Panchayat including the election of a person who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under section 43, shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—

(*a*) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(*b*) that the result of the election has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act:

(A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate, of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(*a*) a person to stand or not stand as or to withdraw from being a candidate at an election ; or

(*b*) an elector to vote or refrain voting at an election; or as a reward to—

(i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right:

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as it referred to therein who—

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed.

Explanation—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected, shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of--

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner, have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4), the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribed authority upon an application under sub-section (1), shall be final and conclusive, and shall not be questioned in any Civil Court.

Disputes pertaining to the election of Up Pradhan, Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

12-D. Any dispute relating to the election of Up Pradhan of a Gaon Sabha or of Sarpanch or Sahyak Sarpanch of a Nayya Panchayat, shall be referred in the manner prescribed to the prescribed authority whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be question in any Civil Court.

Oath of office.

12-E. (1) Every member of a Goan Sabha shall, before entering upon any office referred to in section 1-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed, on oath or affirmation, in the form to be prescribed.

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid, shall be deemed to have vacated the office forthwith.

General elections.

12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-B, 11-C, sub-section (3) of section 12 and section 45, the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.

Circle of Nyaya Panchayat.

42. The State Government or the prescribed authority shall divide a district into circles, each circle comprising as many areas subject to the jurisdiction of Gaon Sabhas as may be expedient, and establish Nyaya Panchayats for each such circle:

Provided that the areas of Gaon Sabhas within each circle shall, as far as possible, be contiguous.

Constitution of Nyaya Panchayat.

43. There shall be appointed by the prescribed authority five persons or such lesser number of persons as may be fixed under section 12-A of prescribed qualifications out of the persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12 and

section 12-A to be Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall, notwithstanding anything hereinbefore contained, not be members of Gaon Panchayat:

Provided that where suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any, or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authorrity.

45. (1) The term of office of every Panch shall be five years from the date of his election :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend the term for a total period not exceeding one year :

Provided further that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed.

(2) The notification under sub-section (1) may be published at any time before the expiry of five years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period.

110. (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication by notification in the official *Gazette*, make rules consistent with this Act to carry out the purposes of this Act.

Power of State Government to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

* * * * *

(ii) the establishment of Gaon Sabha, Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat ;

* * * * *

(ii-g) nomination of persons as members of Gaon Panchayat.

* * * * *

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

दि इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६०

ऐक्ट संख्या १६, १९२७।

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या १६, १९२७

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट, ऐक्ट, १९२७ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा २८ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २८ को

(१) उपधारा (१) में—

(१) शब्द "Forest" तथा कामा के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"or declared a protected forest or is a forest belonging to the Government."

(२) अन्त में आने वाले फुलस्टाप के स्थान पर एक कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द तथा फुलस्टाप बढ़ा दिये जायं

"And, subject to the rules made under sub-section (2), all the provisions of this Act relating to reserved forests protected forests or forests belonging to the Government, shall, as the case may be, apply to them."

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय :—

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८—ए का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३८—ए में—

(१) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(*b*) 'Forest' means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate, streamflow protection of land from erosion, or other such matters, and shall, include—

(i) land covered with stumps of trees of a forest ;

(ii) land which is part of a forest or lies within it or was part of a forest or was lying within a forest on the first day of July, 1952;

(iii) such pasture land, waterlogged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest, as may be declared to be a forest by the State Government."

(२) खंड (बी) के पश्चात् नये खंड (सी) तथा (डी) के रूप म निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"(*c*) 'Forest land' means a land covered by a forest or intended to be utilized as a forest; and

(*d*) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

४—मूल अधिनियम की धारा ३८—एफ में संख्या तथा अक्षर '38-C' तथा शब्द 'relates" के बीच में शब्द, संख्या तथा अक्षर 'or 38-H' रख दिये जायं। ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८—एफ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ३८—जी में, कामा तथा अंक और अक्षर '38-D' के बीच में आया हुआ शब्द 'and' निकाल दिया जाय और अंक तथा अक्षर '38-D' और शब्द 'shall' के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर 'and 38-H' रख दिये जायं। ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८—जी का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ३८—जी के पश्चात् ३८—एच से ३८—एम तक के रूप में निम्नलिखित नई धारायें बढ़ा दी जायं: ऐक्ट संख्या १६, १९२७ में ३८—एच से ३८—एम तक नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

"38-H. (1) Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest, or forest land, is necessary or expedient in the public interest, or in order to secure the proper management thereof, particularly with a view to ensure its planned development, as a forest, it may, by notification in the official *Gazette* do so for all or any of the said purposes, for such period, not exceeding fifteen years as may be specified in the notification.

Power to take over management.

(2) No notification under sub-section (1) shall be issued until—

(*a*) after the issue of a notice by the Foret Officer to the claimant or the owner or tenure-holder of the forest or forest land, as the case may be, affording him reasonable opportunity to show cause, within a period of not less than fourteen days from the date of service of the notice on him to be specified in such notice why management of the forest or forest land specified therein be not taken over; and

(*b*) objections, if any, have been heard and disposed of, by the Forest Officer in the manner prescribed.

(3) The notice referred to in sub-section (2) shall be served upon the person concerned in accordance with the provisions of section 38-D.

Consequences of notification under section 38-H.

38-I. The State Government shall in respect of a forest, or forest land, for which a notification under section 38-H has been issued—

(i) place the forest, or forest land, as the case may be, with effect from the date of the notification, in the charge of a Forest Officer, for carrying out the purposes mentioned in the notification, and thereupon the provision of section 5 shall *mutatis mutandis* apply to such a forest or forest land, as the case may be; and

(ii) be liable and pay to the claimant or the owner or the tenure-holder of the forest, or forest land, as the case may be, the balance of the income, if any, accruing to it therefrom, for the period commencing from the date of notification till the date it is released under section 38-L after deducting therefrom such percentage of it, not exceeding twenty, as may be prescribed for cost of management and the amount, if any, spent by the State Government on its development.

Payment in respect of forests already in possession of the State Government.

38-J. In the case of a forest, possession whereof was taken over by the State Government prior to the commencement of the Indian Forest (U. P. Amendment) Act, 1960, and the management whereof is taken over in accordance with the provisions of section 38-H, the State Government shall, in the absence of a contract between the State Government and the person concerned to the contrary, be liable to pay for the period commencing from the date of possession till the issue of the notification under the said section, the balance of income accruing therefrom in accordance with the provisions of section 38-I (ii) as if the provisions of the aforesaid Act has been in force at all material dates and the management of such forest had been assumed on the date of taking over possession thereon; anything contained in any other law, custom, usage for the time being in force or contract to the contrary notwithstanding.

Permission to cultivate areas lying within a forest or forest land taken over under this Act.

38-K. (1) The State Government may, where it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, on the application of the person whose forest or forest land, as the case may be, has been taken over under section 38-H, allow him to cultivate such part of it, not being in excess of one-fifth of the total area of such forest or forest land, as the case may be, and for such period, not being beyond the period of its management, as may be specified in the order granting the permission.

(2) An application under sub-section (1) shall be submitted to the Forest Officer in charge of the forest of the forest land, as the case may be, who shall forward the same, with his recommendations thereon, to the State Government.

(3) The decision of the State Government on the application under sub-section (2) shall be final and be not questioned in any court of law.

Release of a forest or forest land from management.

38-L. The State Government may, at any time, by notification in the official *Gazette*, release from its management, any forest or forest land, as the case may be, taken over under section 38-H and thereupon the forest or the forest and, as the case may be, shall cease to be under the management of the State Government, and the liability of the State Government in respect of the forest or the forest land, as the case may be, shall cease with effect from the date of release specified in the notification.

Power to make rules.

38-M. (1) The State Government may, after previous publication in the official *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

(*a*) provide for the items for which and the manner in which, the cost of management shall be calculated;

(*b*) prescribe the procedure for the hearing and disposal of objections under this Act;

(*c*) prescribe the mode of management or development of the forest or the forest land taken over under this Act;

(*d*) prescribe the form of application under section 38-K and the particulars that must be given therein; and

(*e*) prescribe any other matters which are to be, and may be, prescribed under this Act.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the official *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the Houses of the Legislature may agree to make; so, however, that any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

एक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ५२, ५३ और ५५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) तथा धारा ५३ और धारा ५५ में जहां कहीं शब्द "carts" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "vehicles" रख दिया जाय।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ६८ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (३) में शब्द "fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम बनने के पूर्व भूतपूर्व जमींदारों ने बहुत से बन क्षेत्रों को पुनरुद्धार और बाद में कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाये जाने के लिये पट्टे पर उठा दिया था। इस प्रकार उठाये गये पट्टों के बल पर बहुत से हितबद्ध लोगों ने उन बनों को साफ करना आरम्भ कर दिया या वे अब ऐसा करने के लिये इच्छुक हैं। राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से इन बनों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। इसी परिस्थिति में १९५६ में इंडियन फारेस्ट [उ० प्र० (संशोधन) अधिनियम, १९५६] बनाया गया था। परन्तु उस अधिनियम ने राज्य सरकार को केवल उन पट्टेदारों के, जिन्हें उक्त ऐक्ट में (calimants) कहा गया है, बनों के पेड़ काटने पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया था। पर आवश्यक होने पर बनरोपण के प्रयोजनों के लिये नये पौधे लगाकर उन बनों के संरक्षण की समस्या १९५६ के संशोधन अधिनियम से हल न हो सकी। इसके अतिरिक्त उसके उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को ऐसे बन क्षेत्रों का अनुरक्षण तथा विकास पूर्णतया सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं मिला था और विशेष रूप से उनमें राज्य सरकार को रचनात्मक कार्य करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार जनता के सर्वाधिक लाभ के लिये बनरोपण उगाना और उनका पोषण तथा संरक्षण इस समय नहीं किया जा सकता। अतएव अब इन कमियों को दूर करने और ऐसे बन क्षेत्रों को, जिनका विकास और वर्द्धन जनता के व्यापक हित की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है, आरम्भ में १५ वर्ष की अवधि के लिये अधिकार में लेने की व्यवस्था करने का विचार है। मूल अधिनियम में नई धारायें ३८-एच से ३८-एम तक बढ़ाकर उक्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ६८ के अधीन बन संबंधी अपराध के मामलों में कार्यवाही करने में बनाधिकारियों को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। इस धारा के अधीन बनाधिकारी किसी बन संबंधी अपराध के मामले में उस व्यक्ति से, जिसके द्वारा ऐसा अपराध किये जाने का संदेह हो, प्रति-कर स्वरूप जो ५० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकार करके उसमें राजीनामा कर सकता है, ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने में यह विदित हुआ है कि ५० रु० की उक्त सीमा के कारण बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि जिन मामलों में बड़ी कार्यवाही अपेक्षित होती है उन्हें खंडों में इसलिये विभाजित करना पड़ता है कि प्रत्येक खंड प्रति-कर की अनुमत सीमा (अर्थात् ५० रु०) के भीतर आ जाय। इसके अतिरिक्त, बन उत्पादन के मूल्य ३० वर्ष पूर्व के मूल्यों की तुलना में लगभग ८ या १० गुना बढ़ गये हैं। इस प्रकार ५० रु० की सीमा वर्तमान समय में अनुपयुक्त हो गयी है। अतएव यह निर्णय किया गया है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ६८(३) में उल्लिखित ५० रु० की सीमा बढ़ाकर ५०० रु० कर दी जाय। यह विधि का उल्लंघन करने के अभ्यस्त अपराधियों के लिये अधिक प्रभावकारी प्रतिरोधक सिद्ध होगी और साथ ही इससे न्यायालयों में चलने वाले लम्बे और व्ययपूर्ण मुकदमें भी कम हो जायेंगे।

३—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ५२(१) में रक्षित बनों में कोई अपराध करने में प्रयुक्त समस्त औजारों, नावों, बैलगाड़ियों या पशुओं को जब्त कर लेने की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि बन प्राधिकारी ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, साइकिलों आदि को जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस धारा के अन्दर नहीं आतीं। सभ्यता के विकास और यातायात के यांत्रिक साधनों के प्रयोग के कारण बन संबंधी अपराधों के लिये आधुनिक गाड़ियां आमतौर से काम में लायी जाती है। अतएव यह प्रस्ताव है कि इंडियन फारेस्ट, ऐक्ट, १९२७ की धारा ५२(१), ५३ तथा ५५ में आये हुये शब्द "carts" के स्थान पर शब्द "vehicles" रख दिया जाय। इससे यह निर्योग्यता दूर हो जायेगी जिसका अनुभव आज विभाग इस संबंध में कर रहा है।

४—टेहरी गढ़वाल के सोयम बनों का प्रबन्ध गांव पंचायतों के नियंत्रण में कर देने की निरन्तर मांग है। इन बनों का प्रबन्ध हस्तांतरित करने के पूर्व उन्हें संरक्षित (protected) बन घोषित करना आवश्यक है, जिससे कि सरकार का संबंधित गांव पंचायतों पर नियंत्रण हो सके और उन्हें कोई ऐसा काम करने से रोका जा सके जिसका इन बनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सकता हो।

बनों की हालत गिर चुकी है। चूंकि ये बन सरकार के हैं, इसलिये उन्हें इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा २९ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन व्यक्तियों या समुदायों के विद्यामान अधिकारों को प्रभावित या न्यून (abridge) किये बगैर रक्षित बन घोषित किया जा सकता है। यह भी आवश्यक समझा गया है कि इन सोयम वनों का प्रबन्ध पंचायती आधार पर करने के लिये कुमायूं फारेस्ट पंचायत रूल्स में दी गई रूपरेखा के अनुसार इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अधीन गांव पंचायतें संघटित की जायं। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा २८ में दिये गये उपबन्धों के अधीन ऐसे ग्राम निकाय बनाना संभव है, परन्तु कठिनाई यह है यह धारा केवल रक्षित बनों (reserved) forests) पर ही प्रवृत होती है। इसका क्षेत्र रक्षित बनों (protected forests) तक बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इस धारा को विधेयक के प्रारूप में बतायी गयी रीति से संशोधित किया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
बन मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इंडियन फारेस्ट ऐक्ट (ऐक्ट संख्या १६), १९२७ की वर्तमान धारायें

Formation of village forests. (1) The State Government may assign to any village community the rights of Government to or over any land which has been constituted a reserved forest, and may cancel such assignment. All forests so assigned shall be called village forests. **Section 28.**

(2) The State Government may make rules for regulating the management of village forests prescribing the conditions under which the community to which any such assignment is made, may be provided with timber or other forest produce or pasture, and their duties for the protection and improvement of such forest.

(3) All the provisions of this Act relating to reserved forests shall (so far as they are not inconsistent with the rules so made) apply to village forests.

Definition. In this Chapter unless there is anything repugnant, in the subject or context— **Section 38-A.**

(*a*) "Claimant" as respects any land means a person claiming to be entitled to the land or any interest therein acquired, owned, settled or possessed or purported to have been acquired, owned, settled or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act.

(*b*) " Forest" includes

(i) any land covered by trees and shrubs, and

(ii) pasture lands.

Penalties. Any person who— **Section 38-F.**

(i) fells, girdles, lops, taps, pollards or burns any tree or strips off the bark or otherwise damages any tree, or breaks up or clears for cultivation or any other purpose, and land in the forest to which the notification under section 38-B or 38-C relates, or

(ii) sets to fire such forests, or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading, or

(iii) permits cattle to damage any such tree, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

Savings. The powers conferred by section 38-B, 38-C and 38-D shall be in addition to and not in derogation of any other powers conferred on any authority by or under any other provision of this Act. **Section 38-G.**

Seizure of property liable to confiscation. (1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any forest produce, such produce, together with all tools, boats, carts or cattle used in committing and such offence, may be seized by any Forest Officer or Police Officer. **Section 52.**

(2) Every officer seizing any property under this Section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized, and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

Provided that, when the forest produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of Government, and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to this official superior.

Power to release property seized under section 52.

Section 53. Any forest officer of a rank not inferior to that of a Ranger who, or whose subordinate, has seized any tools, boats, carts or cattle under section 52, may release the same on the execution by the owner thereof a bond for the production of the property so released, if and when so required, before the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

Forest produce, tools, etc. when liable to confiscation.

Section 55. (1) All timber or forest produce which is not the property of Government, and in respect of which a forest offence has been committed, and all tools, boats, carts and cattle used in committing any forest offence, shall be liable to confiscation.

(2) Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

Power to compound offences.

Section 68. (1) The State Government may, by notification in the local official *Gazette*, empower a forest offcer—

(*a*) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence other than an offence specified in section 62 or section 63, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed; and

(*b*) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same on payment of the value thereof as estimated by such officer.

(2) On the payment of such sum of money, or such value, or both as the case may be, to such officer, the suspected person, if in custody, shall be discharged, the property (if any) siezed shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.

(3) A forest officer shall not be empowered under this section unless he is a forest officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees, and the sum of money accepted as compensation under clause (*a*) of section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees.

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १११ पर)

मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये,

विधेयक

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम १ जनवरी, १९६० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

ऐक्ट संख्या ११, सन् १९४८ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ए) के उपखंड (१) तथा (२) में जहां भी संख्या '1959' आयी हो उसके स्थान पर संख्या '1960' रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ में यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूची निर्दिष्ट नियोजन (Employment) में काम पर लगे हुये कर्मचारियों को देय मजदूरियों की न्यूनतम दरें ३१ दिसम्बर, १९५९ के पहले निश्चित की जानी चाहिये। न्यूनतम मजदूरियां निश्चित करने की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद के लिये बढ़ाने के उद्देश्य से इस धारा का संशोधन करने के प्रश्न पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। यह सम्मेलन ३ तथा ४ जनवरी, १९६० को नयी दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारें "राज्य में आने वाले क्षेत्र" नियोजनों में प्रारम्भिक रूप में न्यूनतम मजदूरियां निश्चित करने का कार्य पूरा करने के लिये स्वयं अपने विधायन अधिनियमित कर लें।

(२) इस राज्य में कतिपय क्षेत्रों के कुछ अनुसूचित नियोजनों में मजदूरियों की न्यूनतम दरें अभी निश्चित करनी हैं। अतः मिनिमम वेजेज ऐक्ट की तद्विषयक धारा का संशोधन करना आवश्यक है हो गया है जिससे कि न्यूनतम मजदूरियां निश्चित करने की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ायी जा सके।

(३) तदनुसार मिनिमम वेजज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पुरःस्थापित किया जाता है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

STATEMENT SHOWING THE SECTION OF MINIMUM WAGES ACT, 1948, PROPOSED TO BE AMENDED BY MINIMUM WAGES (U. P. AMENDMENT) BILL, 1960.

Sl. no.	Section proposed to be amended	Full Text of the Section
1	Sub-clauses (i) and (ii) of clause (*a*) of sub-section (1) of section 3.	Fixing of minimum rates of wages—(1) The appropriate Government shall, in the manner hereinafter provided— (*a*) fix the minimum rates of wages payable to employees employed— (i) in any employment specified in Part I of the Schedule at the commencement of this Act, before the 31st day of December, 1959 ; (ii) in an employment specified in Part II of the Schedule at the commencement of this Act, before the 31st day of December, 1959 ; Provided that the appropriate Government may, instead of fixing minimum rates of wages under this sub-clause for the whole State, fix such rates for a part of the State or for any specified class or classes of such employment in the whole State or part thereof ; and

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२१ एल० ए०—१९६०—८४५ ।